मध्य प्रदेश शासन

गृह विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2017–2018

***

विभागीय संरचना

माननीय मंत्री जी	श्री भूपेन्द्र सिंह
अपर मुख्य सचिव	श्री के0के0 सिंह
सचिव (प्रशासन)	श्री केदार शर्मा
सचिव (पुलिस)	श्री विवेक शर्मा
अपर सचिव	श्री शेखर वर्मा
उप सचिव	श्री आर.आर. भोंसले
उप सचिव	श्रीमती अजीजा सरशार जफर
अवर सचिव	श्री श्रीदास
अवर सचिव	श्री डी0एस0 मुकाती

गृह विभाग के अन्तर्गत कार्यरत विभागाध्यक्ष

1.	पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल	श्री ऋषि कुमार शुक्ला
2.	अध्यक्ष, म0प्र0 पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन	श्री विजय कुमार सिंह
3.	महानिदेशक, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा	श्री महान भारत सागर
4.	संचालक, लोक अभियोजन	श्री राजेन्द्र कुमार
5.	संचालक, सैनिक कल्याण संचालनालय	ब्रिगेडियर आर0एस0 नौटियाल (से0नि0)
6.	संचालक, संपदा संचालनालय	श्री अमरपाल सिंह
7.	संचालक, मेडिकोलीगल संस्थान	डॉ अशोक कुमार शर्मा
8.	अधीक्षक, मध्यप्रदेश स्टेट गैरेज	श्री शेखर वर्मा
9.	कार्यपालन संचालक आपदा प्रबंध संस्थान	श्री संजीव सिंह
10.	समन्वयक, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	श्री विवेक शर्मा
11.	प्रभारी संचालक राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफ.एस.एल, सागर)	श्री एन0एस0 परमार

प्रमुख दायित्व

गृह विभाग, प्रदेश में कानून और व्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा व शांति बनाये रखने, शस्त्र अधिनियम, विदेशियों से संबंधित अधिनियम, म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 आदि की क्रियान्वयन एवं अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के दायित्वों का निर्वहन करता है।

इस विभाग के अंतर्गत भारतीय पुलिस सेवा, राज्य पुलिस सेवा, नगर सेना, लोक अभियोजन एवं सैनिक कल्याण से संबंधित समस्त विषय, शासकीय सेवकों के आवास आवंटन, पारपत्र/वीसा, अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित व्यवस्था मंत्रियों तथा अधिकारियों को शासकीय आवासों का आवंटन, उनके लिये वाहन व्यवस्था, शासकीय टेलीफोन व्यवस्था आदि कार्यो का संपादन किया जाता है।

गृह विभाग के अधीन प्रतिपादित किये जाने वाले कार्य निम्नानुसार है :–

अ– सामान्य

1. नागरिकता और देशीकरण
2. पारपत्र और दृष्टांक (वीसा)
3. अन्य देशीय
4. अन्तर्राज्यीय प्रवजन अन्तर्राज्यीय निरोध
5. प्रत्यर्पण
6. भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राएं
7. राज्य और जिला सैनिक, नाविक तथा वैमानिक मण्डल को सम्मिलित करते हुये सैनिकों सिविल पायोनियर्स तथा युद्व उद्योंगों में श्रमिकों का पुनर्वास/पुर्ननियुक्ति
8. अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित सामान्य प्रश्न
9. जनगणना
10. मंत्रियों और मंत्रीगणों के निवास भवनों का आवंटन
11. भोपाल स्थित मोटर वर्क्स तथा स्टेट गैरेज से वाहनों का आवंटन
12. सरकारी मोटर गाड़ियां जो मंत्रियों और संसदीय सचिवों के उपयोग के लिये रखी गई है, का रखरखाव
13. चयनित विभागों के लिये सरकारी टेलीफोन व्यवस्था
14. ऐसे सरकारी भवनों में जो सामान्य पूल के हो और जो निवास के प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाये जाते हो, बिजली प्रकाश तथा पंखा की व्यवस्था
15. वर्दियां
16. अशासकीय संघो (एसोशिएशन) द्वारा पारित संकल्प
17. ऐसे शासकीय सेवकों के (जो पाकिस्तान चले गये थे) वेतन, छुट्टीवेतन, भविष्य निधि निवृत्ति वेतन आदि का बकाया संबंधी दावे
18. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
19. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिये आशयित निवास भवनों के निर्माण के लिये प्रशासकीय अनुमोदन और उनका आवंटन
20. ऐसी सेवाओं से सम्बद्व सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ नियुक्तियॉं, पदस्थापनाएं, स्थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्नतियां, भविष्यनिधियां प्रतिनियुक्तिां, दण्ड तथा अभ्यावेदन।

आ–पुलिस

1. सार्वजनिक व्यवस्था
2. आंतरिक सुरक्षा
3. पुलिस जिसके अन्तर्गत रेल्वे और ग्राम पुलिस भी है, किन्तु विशेष पुलिस स्थापना शामिल नहीं है।
4. पुलिस प्रशिक्षण शालायें और महाविद्यालय
5. शस्त्रास्त्र, आग्नेय युद्धोपकरण
6. फड़ लगाना और जुआ
7. पुलिस बल की शक्तियां और क्षेत्राधिकार का अन्य क्षेत्रों पर विस्तार
8. केन्द्रीय गुप्तवार्ता और अनुसंधान विभाग
9. सैनिक शिक्षा (नगर सेना)
10. राजनैतिक अपराध
11. निवारक निरोध तथा ऐसे अन्य व्यक्ति जो विदेशी कार्य, भारत की प्रतिरक्षा संबंधी कारणों से ऐसे निरोध के अध्याधीन है।
12. राज्य की सुरक्षा से सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने अथवा समुदायों के लिये,अत्यावश्यक संभरणों और सेवाओं को बनायें रखने से सशक्त कारणों के लिये निवारक निरोध, ऐसे निरूद्ध व्यक्ति
13. सिविल प्रतिरक्षा
14. अर्न्तराज्यीय पुलिस बेतार (वायरलैस) पद्धति
15. पुलिस पदक
16. भारतीय पुलिस सहित भारतीय पुलिस सेवा से संबंधित विषयक
17. ऐसी सेवाओं से संबंधित सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ नियुक्तियां, पदस्थापनायें, स्थानांतरण, वेतन छुट्टियां निवृत्ति वेतन, पदोन्नतियां भविष्यनिधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्ड तथा अभ्यावेदन।

पुलिस मुख्यालय, भोपाल

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2017–18

मध्यप्रदेश पुलिस

1.प्रशासन शाखा

पुलिस मुख्यालय की प्रशासन शाखा द्वारा भारतीय पुलिस सेवा, राज्य पुलिस सेवा एवं निरीक्षक से आरक्षक संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा से संबंधित कार्यवाहियां संपादित की जाती है। प्रशासन शाखा के प्रमुख अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) है। जिसके अंतर्गत राजपत्रित शाखा एवं कार्मिक शाखा कार्य करती है। पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) भारतीय पुलिस सेवा एवं राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के स्थापना संबंधी कार्यों का पर्यवेक्षण करते हैं तथा पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक निरीक्षक से आरक्षक एवं अनुसचिवीय बल से संबंधित स्थापना कार्यों का पर्यवेक्षण करते हैं।

राजपत्रित शाखा द्वारा सेवा अभिलेख संधारण, स्थानांतरण, पदोन्नति, अवकाश, गोपनीय चरित्रावलियों का संधारण, समय–समय पर दिये जाने वाले विभिन्न वेतनमान हेतु पदोन्नति, पुलिस विभाग में दिये जाने वाले विशिष्ट एवं सराहनीय सेवा पदक, के.एफ. रूस्तमजी पुरूस्कार, पुलिस महानिदेशक प्रशस्ति पत्र, राज्य के बाहर प्रतिनियुक्ति, पासपोर्ट एवं विदेश यात्रा हेतु अनुमति दिये जाने की कार्यवाही, भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग पुनरीक्षण एवं राज्य पुलिस सेवा के पदों पर सीधी भर्ती/पदोन्नति हेतु लोक सेवा आयोग के माध्यम से किये जाने की कार्यवाही की जाती है।

कार्मिक शाखा मुख्य रूप से अराजपत्रित कर्मचारियों के संबंध में उपरोक्त सभी बिन्दूओं पर कार्य करती है तथा अनुकंपा नियुक्ति, भर्ती हेतु पदों का आंकलन कर मांगपत्र चयन शाखा को उपलब्ध कराती है। विभिन्न संवर्गों के अधिकारी/कर्मचारियों के सेवा संबंधी न्यायालयीन प्रकरणों पर मार्गदर्शन अनुसार कार्यवाही की जाती है।

वर्ष–2017–18 के अंतर्गत दिनांक–01.01.2017 से दिनांक–31.12.2017 तक किये गये महत्वपूर्ण कार्य–

वर्ष	पदोन्नति	प्रदत्त वेतनमान	पदक
2017 जनवरी–2017 से दिसम्बर–2017	1–अ.म.नि. से विशेष पुलिस महानिदेशक – 03 2–पु.म.नि. से अ.म.नि.–09 3–उ.म.नि. से पु.म.नि.–02 4–पु.अ. से उ.म.नि. – 15 5–रा.पु.से से भा.पु.से.–10 6–उ.पु.अ. से अति.पु.अ.–37 7–निरीक्षक से उ.पु.अ.–निल	**भा.पु.से.** 1–प्रवर श्रेणी वेतनमान– निल 2–कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान–03 3–वरिष्ठ समय वेतनमान–08 **रा.पु.से.**	अ–गणतंत्र दिवस– 1–विशिष्ट सेवा–04 2–सराहनीय सेवा –16 स्वतंत्रता दिवस– 1–विशिष्ट सेवा–03 2–सराहनीय सेवा –17 ब–रूस्तमजी पुरूस्कार– 1–परम विशिष्ट–05

		1–वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान–03 2–प्रवर श्रेणी वेतनमान–15 3–वरिष्ठ वेतनमान–32	2–अतिविशिष्ट–06 3–विशिष्ट–51

प्रशासनिक कार्यो का कम्प्यूटरीकरण

1. Sparrow-sps.mpeoffice.gov.in के माध्यम से वर्ष 2016–17 हेतु राज्य पुलिस सेवा के सभी राजपत्रित अधिकारियों की एसीआर (वार्षिक गोपनीय चरित्रावली) ऑनलाईन लेख करने की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

2. Personnel Information System (PIS) के माध्यम से म0प्र0 पुलिस के सभी अधिकारी/कर्मचारियों के सेवा विवरण का Digitization किया जा चुका है। वर्तमान में सभी अवकाश संबंधी कार्य, पारितोषिक/प्रशंसा आदेश, स्थानांतरण आदेश इत्यादि की कार्यवाहियॉ PIS के माध्यम से संपादित किये जाने की कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है।

1.2 कार्मिक शाखा

कार्मिक शाखा द्वारा विभागीय वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2017–18 के अंतर्गत दिनांक 01.01.2017 से दिनांक 31.12.2017 के दौरान निम्नानुसार पदोन्नति एवं अनुकंपा नियुक्ति की कार्यवाही की गईः–

स.क्र.	संवर्ग का नाम	कुल संख्या	
	कार्यपालिक बल		
01	**नियुक्ति (सीधी भर्ती द्वारा)**		
	सूबेदार	61	
	उप निरीक्षक	660	
	कुल	**721**	
02	**पदोन्नति**		
	निरीक्षक से उप पुलिस अधीक्षक (वन स्टेप पदोन्नति)	10	
	सूबेदार से रक्षित निरीक्षक	00	
	उप निरीक्षक से निरीक्षक	06 (N.B.R.)	
	सहायक उप निरीक्षक से उप निरीक्षक	11 (N.B.R.)	
	कुल	**27**	
03	**स्थानांतरण**		
	रक्षित निरीक्षक	22	
	निरीक्षक	294	
	सूबेदार	29	
	उप निरीक्षक	522	
	सहायक उप निरीक्षक	95	
	प्रधान आरक्षक	27	

	आरक्षक	197	
	कुल	**1186**	

अनुसचिवीय बल (पुलिस मुख्यालय)

01	**नियुक्ति (सीधी भर्ती द्वारा)**		
	सूबेदार – अ	14	
	सहायक उप निरीक्षक –अ	01	
	कुल	**15**	
स.क्र.	**संवर्ग का नाम**	**कुल संख्या**	
02	**नियुक्ति (अनुकंपा नियुक्ति द्वारा)**		
	सहायक उप निरीक्षक –अ	30	
	प्रधान आरक्षक –अ	01	
	आरक्षक –अ	21	
	कुल	**52**	
03	**पदोन्नति**		
	वरिष्ठ शीघ्रलेखक से प्रवर श्रेणी शीघ्रलेखक	01 (N.B.R.)	
	कनिष्ठ शीघ्रलेखक से वरिष्ठ श्रेणी शीघ्रलेखक	02 (N.B.R.)	
	सहायह अधीक्षक आडिटर से कार्यालय अधीक्षक	01 (N.B.R.)	
	मुख्यलिपिक से सहायक अधीक्षक/आडिटर	02 (N.B.R.)	
	आंकिक से सूबेदार – अ	01 (N.B.R.)	
	उप निरीक्षक– अ से आंकिक	01 (N.B.R.)	
	कुल	**08**	
04	**स्थानांतरण**		
	शीघ्रलेखक	48	
	अधीक्षक	02	
	आडिटर/सहायक अधीक्षक	06	
	सूबेदार– अ	04	
	आंकिक	07	
	उप निरीक्षक–अ	19	
	सहायक उप निरीक्षक – अ	62	
	प्रधान आरक्षक –अ	07	
	आरक्षक– अ	10	
	कुल	**165**	

अनुसचिवीय बल (जिला इकाई)

01	**पदोन्नति**		
	उप निरीक्षक–अ से आंकिक	01 (N.B.R.)	
	सहायक उप निरीक्षक–अ से उप निरीक्षक–अ	05 (N.B.R.)	
	कुल	**06**	
02	**स्थानांतरण**		
	मुख्यलिपिक	04	
	आंकिक / सूबेदार – अ	11	
	उप निरीक्षक – अ	29	
	सहायक उप निरीक्षक – अ	72	
	प्रधान आरक्षक – अ	00	
	आरक्षक –अ	01	
	कुल	**117**	

2. कल्याण शाखा

2.1 अशासकीय निधियों के अन्तर्गत पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन से वार्षिक अंशदान प्राप्त कर केन्द्रीय कल्याण निधि का गठन किया गया है, जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक 26252 दिनांक 13.6.1994 है। इस निधि से आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु परोपकार निधि, संकट निधि, शिक्षा निधि, सुख सुविधा निधि (एमिनिटी फंड), बटालियन / लाईन फंड आदि मद स्थापित किये गये हैं। केन्द्रीय कल्याण निधि के वार्षिक आय–व्यय के लेखों तथा नई योजनाओं हेतु प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय संयुक्त पुलिस परामर्शदात्री एवं केन्द्रीय प्रबंध समिति की वार्षिक बैठक आयोजित की जाती है।

2.2 कल्याणकारी गतिविधियों के अंतर्गत पुलिस विभाग की इकाईयों में निम्नलिखित 24 प्रकार की 716 कल्याणकारी गतिविधियां संचालित हैं। इन गतिविधियों के छःमाही लाभांश की 20 प्रतिशत राशि जनवरी एवं जुलाई में पुलिस मुख्यालय की केन्द्रीय कल्याण निधि में प्राप्त होती थी, किन्तु दिनांक 02.11.2017 को राज्य स्तरीय संयुक्त पुलिस परामर्शदात्री एवं केन्द्रीय प्रबंध समिति की वार्षिक बैठक में निर्णय लिया गया है कि कुल प्राप्त लाभांश राशि में से 20 प्रतिशत राशि इकाई में रिजर्व एवं कंटेनजेंसी मद में रहेगी। 80 प्रतिशत राशि में 50 प्रतिशत राशि पुलिस मुख्यालय को भेजी जावेगी बाकी इकाई में रहेगी, जिसका उपयोग पुलिस कल्याण के विभिन्न कार्यो जैसे– पुलिस लाईनों में स्वच्छता, पार्क, जिम, सीवेज सिस्टम में सुधार एवं सम्पूर्ण पुलिस लाईनों की मरम्मत आदि कार्यो में किया जावेगा, जिसका लाभ समस्त कर्मचारियों को प्राप्त होता हो, न कि किसी एक व्यक्ति को। पुलिस इकाईयों में संचालित अस्पतालों के रखरखाव एवं स्टाफ के मानदेय हेतु भी उक्त राशि का उपयोग किया जा सकेगा। पुलिस मुख्यालय में जो राशि आयेगी वह आवश्यकतानुसार मूलभूत सुविधाओं पर नियमानुसार खर्च की जावेगी। वर्ष 2016–17 में 20 प्रतिशत लाभांश की राशि रू0 239.56 लाख केन्द्रीय कल्याण निधि में प्राप्त हुई है।

2.3 पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों के एक दिन के मूल वेतन के बराबर अंशदान प्रत्येक वर्ष के माह अक्टूबर में केन्द्रीय कल्याण निधि में प्राप्त होता है। शासन अनुदान केवल परोपकार निधि, शिक्षा निधि, एमिनिटी फंड तथा लाईन फंड में प्राप्त होता है।

2.4 मध्य प्रदेश पुलिस की विभिन्न पुलिस इकाईयों में संचालित गतिविधियों की संख्या

क्रमांक	गतिविधी का नाम	संख्या		क्रमांक	गतिविधी का नाम	संख्या
1.	पेट्रोल पंप	24		**13.**	मत्स पालन	01
2.	गैस एजेंसी	19		**14.**	विश्राम गृह	01
3.	जनरल कैंटीन	31		**15.**	आर.ओ. प्लांट	85
4.	ग्रेन शॉप	19		**16.**	शामियाना	01
5.	चाय कैंटीन	33		**17.**	कल्याण केन्द्र	59
6.	आटा चक्की	33		**18.**	मनोरंजन गृह	31
7.	मसाला चक्की	04		**19.**	पुस्तकालय	23
8.	सामुदायिक भवन	22		**20.**	एन.जी.ओ. मैस	86
9.	दूध सेंटर	04		**21.**	पार्क	27
10.	जिम	86		**22.**	सहकारी बैंक	24
11.	ए.टी.एम.	12		**23.**	स्कूल	02
12.	सब्जी शॉप	05		**24.**	खेल मैदान	84
					कुल योग :–	716

इन गतिविधियों में पुलिस कर्मचारियों के आश्रितों को मानदेय पर रखा जाकर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। सी.पी.सी. कैंटीन अंतर्गत रियायती दरों पर 17 से 38 प्रतिशत की छूट पर दैनिक उपयोग की सामग्री तथा गैस एजेंसी द्वारा समय पर सेलेंडर उपलब्ध कराये जाते हैं। पुलिस कर्मचारियों को शासकीय कार्य पर अन्य जिले में न्यूनतम दर पर मैस में कमरा एवं भोजन उपलब्ध कराया जाता है। पुलिस परिवारों की सुविधा हेतु पुलिस इकाईयों में पार्क एवं पुस्तकालय तथा मनोरंजन गृह बनाये गये हैं।

3. योजना शाखा

इस शाखा के प्रभारी के रूप में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (योजना) पदस्थ हैं। इसके अतिरिक्त इनके अधीनस्थ वर्तमान मे निम्नांकित अधिकारी तैनात हैं:–

1. पुलिस महानिरीक्षक (योजना)
2. सहायक पुलिस महानिरीक्षक(योजना)
3. सहायक पुलिस महानिरीक्षक (संपदा)
4. अपर संचालक (वित्त)
5 उप पुलिस अधीक्षक (योजना)
6. सांख्यिकी अधिकारी

योजना शाखा में निम्नानुसार शाखाएँ कार्यरत हैं:–

3.1–खण्ड 16 बजट:–

मध्यप्रदेश पुलिस के लिये सम्पूर्ण बजट की स्वीकृति शासन से प्राप्त कर इकाईयों को बांटना तथा व्यय का लेखा–जोखा प्राप्त कर महालेखाकार को प्रेषित करना। बैंक व अन्य ऐजेसियों को उपलब्ध कराई गई गार्ड की वसूली।

3.2–खण्ड––18 (योजना) – समस्त श्रेणी के नये पदों का निर्माण।

(अ)– थाना/चौकी नई बटालियन की स्थापना व बलवृद्धि संबधी कार्य।

(ब)– स्वीकृत बल की जानकारी, पुलिस विभाग के विशेष वेतन/भत्ते आदि की स्वीकृति

3.3–आर0 एण्ड डी0 सेल (अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ)–

(अ) राज्य योजना व केन्द्रीय वित्त आयोग से संबंधित योजनाऐं तैयार कराना व शासन स्वीकृति प्राप्त कर योजनाओं की राशियों का आवंटन प्रदाय किया जाना।

(ब) विभिन्न नोडल एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वयन व समीक्षा संबंधी समस्त कार्य करना।

3.4–शाखा–19 (भवन)–

(अ) पुलिस आधुनिकीकरण/राज्य योजना आयोग से प्राप्त राशि से थाना/चौकी, एवं प्रशासकीय/आवासीय भवनों के निर्माण की समस्त कार्यवाही।

(ब) पुलिस विभाग को भूमि उपलब्ध कराने की कार्यवाही।

(स) थाना/चौकी, प्रशासकीय आवासीय भवनों के लिये पी.सी. एंड आर./एम.ओ.डब्लू. मद के आवंटन व वितरण संबंधी कार्यवाही।

3.5–सांख्यिकी शाखा–म.प्र. पुलिस का स्टेटिकल डाटा तैयार करना।

3.6– केन्द्रीय ग्रंथालय

वर्ष 1962 में स्थापित केन्द्रीय ग्रंथालय का प्रमुख उद्देश्य पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों में कानून–व्यवस्था बनाये रखने, अपराधों पर नियत्रंण, व्यावसायिक दक्षता को उन्नत बनाने, के साथ ही उन्हें देश–विदेश की ज्वलन्त समस्याओं से अवगत कराने, शासकीय एवं आपराधिक प्रकरणों पर त्वरित संदर्भ एवं ज्ञानवृद्धि की दृष्टि से विधि, अपराध, समाज शास्त्र, इतिहास, धर्म आदि विषयों की संदर्भ, प्रेरक, ज्ञानवर्द्धक एवं मनोरंजक अद्यतन सामग्री को अध्ययन हेतु उपलब्ध कराना है।

केन्द्रीय ग्रंथालय, पु.मु. भोपाल में वित्तीय वर्ष 2017–18 में 1062 पुस्तकें परिग्रहित की गई एवं दिनांक 31.12.2017 तक कुल पुस्तकों की संख्या 43815 हो चुकी हैं एवं Current Awareness Service की दृष्टि से 17 समाचार पत्र, 13 सम–सामयिक पत्रिकाएं एवं 13 लॉ/ई जर्नल्स प्राप्त हो रहे हैं, इसके अतिरिक्त A.I.R., Supreme Court Cases एवं Legal ई–जर्नल्स के माध्यम से शाखाओं एवं अधिकारीगण की मांग पर विधि निर्णयों की प्रति संदर्भ सेवा हेतु उपलब्ध एवं मेल की जाती है। केन्द्रीय ग्रंथालय, पु.मु. भोपाल में वर्तमान में श्री फरीद बज़्मी वरिष्ठ ग्रंथपाल के रूप में पदस्थ है।

मध्यप्रदेश पुलिस सामान्य विवरण समेकित जानकारी

1	प्रदेश का क्षेत्रफल (वर्ग कि0मी0)	308252
2	प्रदेश की जनसंख्या	72626809 (जनगणना –2011)
3	पुरूष	37612306 (तदैव)
4	स्त्री	35014503 (तदैव)
5	कुल बल स्वीकृत	119750
6	अनुसचिवीय बल	3962
7	विधि विज्ञान प्रयोगशाला	604
8	चिकित्सा बल	529
9	आई0टी0आई0 बल	55
10	पुलिस रेंजों की संख्या	11 पु0म0नि0 जोन, 15 उ0म0नि0 रेंज
11	पुलिस जिलों की संख्या	51, 3 रेल्वे पुलिस अधीक्षक =54
12	पुलिस अनुभागों की संख्या	185
13	पुलिस थानों की संख्या	1099
14	पुलिस चौकियों की संख्या	579
15	वाहिनियों की संख्या	22
16	आर.ए.पी.टी.सी	**01**
17	प्रति दस हजार आबादी पर पुलिस बल	16.4
18	प्रति सौ वर्ग किलोमीटर पर पुलिस बल	38.8

वित्तीय वर्ष 2017–18 (राशि हजारो में)

स.क.	योजना क्रमांक	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2017–18 का बजट	प्रतिशत
1	1011	क्षेत्रीय महानिरीक्षक तथा संभागीय स्थापना	126817	0.25
2	3680	राज्य मुख्यालय	739752	1.46
3	0195	अन्य पुलिस प्रशिक्षण शालाएँ	1354817	2.67
4	0270	अपराध अनुसंधान विभाग	1738655	3.43
5	7453	राज्य सायबर सेल	58968	0.12
6	4492	विशेष पुलिस	10659589	21.01
7	1816	डकैती रोधक अभियान	447774	0.88
8	4491	जिला स्थापना	29955066	59.05
9	9070	ग्राम रक्षा समितियॉ	13883	0.03
10	9259	पर्यवेक्षक कर्मचारी वृन्द (रेल पुलिस – पश्चिम विभाग)	1085632	2.14
11	2634	पुलिस कर्मियों का कल्याण	161965	0.32
12	0783	कम्प्यूटर शाखा	81209	0.16
13	4155	बेतार केन्द्र भोपाल/ग्वालियर	1392154	2.74
14	4011	विधि चिकित्सा विज्ञान प्रयोगशाला सागर	167869	0.33
15	2643	पुलिस बल का आधुनिकीकरण	800000	1.58
16	1309	न्यायालय सुरक्षा	30000	0.06

17	8333	सड़क सुरक्षा कोष से व्यय	7	0.000
18	6919	एस.आर.ई.	34549	0.07
19	7189	केन्द्र/राज्यों के पुलिस बल के व्यय की प्रतिपूर्ति	170000	0.34
20	6065	थानों का सुदृढ़ीकरण	49000	0.10
21	6296	भारतीय सेना के सेवा निवृत सिपाहियो को विशेष सहयोगी पुलिस फोर्स का गठन	5229	0.01
22	6308	ग्राम रक्षा समिति के सदस्यो की कर्तव्य के दौरान मृत्यु होने पर सहायता	100	0.000
23	6395	पुलिस कर्मियो के आवासो की मरम्मत हेतु	300000	0.59
24	6445	पंचायत चुनाव में कोटवारो का मानदेय	100	0.000
25	7130	महिला अपराध शाखा	158683	0.31
26	7588	पासपोर्ट सेवा कोष	7311	0.01
27	7576	सिविल सेवा सेशन न्यायालय	845	0.002
28	1334	गौवंश प्रतिशोध अधिनियम 204	575	0.001
29	1337	लावारिश लाश का कफनदफन	500	0.001
30	0108	पुलिस संरक्षक,रक्षा एवं अन्य विभाग	1990	0.004
31	0109	पुलिस संरक्षक, निजी कंपनियों से वसूल	151570	0.30
32	0121	विशेष पुलिस स्थापना कार्या0 जलबपुर	1997	0.004
33	0343	आकाशवाणी केन्द्र ग्वा, जबपु, भो, इदौ	17314	0.03
34	3776	रे0 मजिस्ट्रेट, रतलाम, ग्वालियर	21898	0.04
35	4451	सांची गार्ड	6803	0.01
36	1116	आई0 बी0 गार्ड	12866	0.03
37	4410	सीएमडी गार्ड	1916	0.004
38	5172	अनुसूचित जाति /जन जाति के थानो की स्थापना	473140	0.93
39	1416	राज्य सड़क सुरक्षा निधि का गठन	500000	0.99
		<u>योग</u>	50730543	100.00
	4055 –पुलिस पर पूॅजीगत परिव्यय : 211 पुलिस आवास 2643 पुलिस बल का आधुनिकीकरण, 64 –001 वृहद निर्माण कार्य		25900	
	2059 –लोकनिर्माण कार्य : 01 कार्यालय भवन , 053 – रखरखाव तथा मरम्मत ,2631 – पुलिस प्रशासन		50000	
	<u>महायोग</u>		50806443	
	4491	**53- 000** डिक्री धन	12131	

वित्तीय वर्ष 2018–19 की कार्ययोजना हेतु में योजनाओं हेतु बजट की मांग–

क्र	वर्ष 2017–18 की उपलब्धियां	(प्राप्त बजट)	नवीन मांग
1	5555 बड़े शहरों एवं संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा	10789.00 लाख	3,00,70,49,000
2	7346 केन्द्रीयकृत पुलिस कॉल सेंटर और नियंत्रण कक्ष तंत्र (डायल–100)	10555.00 लाख	2,00,85,80,000
3	7348 अपराध एवं अपराधी पतासाजी तंत्र और व्यवस्था (सी.सी.टी.एन.एस.)	2244.00 लाख	26,91,84,000
4	0737नव गठित 36वीं भारत रक्षित वाहिनी विसबल बालाघाट की स्थापना	2308.00 लाख	29,00,00,000
5	1418स्ट्रेन्थिग होम लैण्ड सिक्युरिटी	2607.00 लाख	55,76,06,000
6	7184 फोरेंसिक सांईस	200.00 लाख	65,00,000
7	1331–पुलिस परेड ग्राउण्ड हेतु बाउण्ड्रीवाल	163.83 लाख	2,00,00,000
8	7352–प्रशासकीय भवनों का निर्माण अंतर्गत–पुलिस थाना/चौकी के भवनों का निर्माण	0	1,26,72,00,000
9	3059 म.प्र.पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम के माध्यम से आवासगृहों का निर्माण	23700.00 लाख	8,50,00,00,000
10	7185 राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन	7989.12 लाख	1,05,85,00,000
11	7181 पुलिस ग्रन्थालयों का पुनर्गठन	4.00 लाख	4,81,40,000
12	5554 राज्य सायबर पुलिस	133.00 लाख	1,00,00,000
13	7186 बड़े शहरों में यातायात प्रबंधन	0	43,47,00,000
14	7344 राजमार्ग सुरक्षा एवं संरक्षा	0	20,90,00,000
15	7182 अश्वारोही एवं श्वानदल का पुनर्गठन	0	5,60,40,000
16	7347–नारकोटिक्स शाखा का पुनर्गठन	0	5,95,00,000
17	5556इन्टीग्रेटेड पुलिस प्रशिक्षण कॉम्पलेक्स, भौंरी, भोपाल का निर्माण	0	4,79,00,000
18	7183 विसबल एवं अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं का पुनर्गठन	0	21,43,00,000
19	7350 आटोमेटेड फिंगर प्रिन्ट आइडेन्टि फिकेशन सिस्टम	0	10,10,00,000
20	स्पेशल टास्क फोर्स का गुनर्गठन	0	5,55,00,000
21	1345– जिलों में मेला व्यवस्था	0	4,99,00,000
22	7726– फायरिंग रेंज का विकास	0	5,00,00,000
23	7727– पुलिस थानों में बाउण्ड्रीवाल	0	5,00,00,000
24	मोतीलाल नेहरू स्टेडियम का उन्नयन	0	15,00,00,000
25	आधुनिक 7 अजाक थाना भवनो का निर्माण	0	18,81,00,000
26	51 जिलो पुलिस लाइनो में महिला बैरक निर्माण	0	20,78,00,000
27	प्रदेश के 676 थानो में महिलाओ के लिये पृथक कक्ष का निर्माण	0	20,22,00,000

28	लाल परेड मैदान में शहीद स्मारक निर्माण	0	10,09,00,000
29	पुलिस महानिदेशक का आवास एंव सह कार्यालय का निर्माण	0	4,75,00,000
30	बड़े शहरों एवं संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा योजना का उन्नयन एवं विस्तार (चतुर्थ चरण)	0	5,00,00,000
31	6650– पुमनि/उमनि चम्बल हेतु कार्यालय एवं आवास निर्माण	0	2,00,00,000
32	झोनल सायबर कार्यालयों की स्थापना	0	2,00,00,000
33	म.प्र. पर्यटन पुलिस चौकी निर्माण	0	2,00,00,000
34	7356 –पुलिस लाईनों का उन्नयन	0	2,00,00,000
35	7343– सामुदायिक पुलिसिंग के अंतर्गत ''विक्टिम वेलफेयर बोर्ड के गठन	0	2,00,00,000

4. प्रबंध शाखा

प्रबंध शाखा के प्रभारी के रूप में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रबंध), पदस्थ है।

इनके अधीनस्थ निम्नलिखित अधिकारीगण पदस्थ हैः–

01. पुलिस महानिरीक्षक (प्रबंध)
02. सहायक पुलिस महानिरीक्षक (प्रबंध)–पद रिक्त
03. अपर संचालक (वित्त)
04. उप पुलिस अधीक्षक (प्रबंध–1)
05. उप पुलिस अधीक्षक (प्रबंध–2)
06. उप पुलिस अधीक्षक (आर्म्स)

वर्ष 2017 के दौरान प्रबंध शाखा द्वारा निम्न कार्य किये गये–

4.1 म0प्र0 शासन के पत्र क्र.एफ/3–89/2012/बी–3/दो दि. 07.01.2014 के द्वारा पुलिस विभाग मे पदस्थ आरक्षक/प्र0आरक्षकों को उनकी पात्रतानुसार किट सामग्री के स्थान पर नगद राशि भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई जिसके पालन में इस शाखा द्वारा म0प्र0 पुलिस के उपलब्ध आरक्षक एवं प्र0आरक्षक को नगद किट एलाउंस नियमित रूप से प्रदान किया जा रहा है। आवंटन पश्चात् इकाईयों द्वारा चाही गई जानकारी के अनुसार मार्गदर्शन दिया जाता है। इकाईयों से प्रेषित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों पर सर्वर से उपलब्ध जानकारी प्राप्त कर शीर्षबार चार्ट तैयार किया जाना व समय–2 पर वरिष्ठ स्तर पर चाही गई जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।

4.2 इस शाखा द्वारा राज्य के समस्त पुलिस इकाईयों, थानों/चौकियों को आधुनिक संसाधन कार्यालय उपकरण/वाहन/आर्म्स एम्युनेशन/फर्नीचर इत्यादि क्रय कर आवंटित किया जाकर इकाई स्तर पर सुदृढीकरण किया गया है। कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए सभी पुलिस इकाईयों को आवश्यकता अनुसार भारी/मध्यम/हल्का/मोटर सायकल उपलब्ध कराये गये है, जिससे पुलिस की कार्य करने की गतिशीलता मे वृद्धि हुई है तथा रिस्पोंस टाइम मे काफी सुधार हुआ है।

4.3 पुलिस बल मे आधुनिक बलवा नियंत्रण सामग्री, टियर गैस सामग्री, एम्युनेशन एवं अत्याधुनिक हथियार क्रय कर थाना/चौकियों एवं अन्य शस्त्र इकाईयो को उपलब्ध कराये गये जो कि कानून

व्यवस्था प्रभावी रूप से बनाये रखने मे कारगर सिद्ध हुये है एवं कार्यवाही की क्षमता मे वृद्धि परिलक्षित हुई है।

4.4 वर्ष 2017 मे थानों के सुदृढीकरण के अतर्गत कम्प्यूटर, यूपीएस,लेजर प्रिंटर, मल्टी फंक्शन प्रिंटर, फोटोकापियर,वाटर कूलर, सीलिंग फेन इत्यादि उपकरणों का प्रदाय किया गया है जिससे अपराधों एवं अपराधियों की जानकारी अद्यतन रखने में अत्यन्त सुविधा हुई है तथा उपयोग से कार्य करने की क्षमता एवं गतिशीलता में वृद्धि हुई है।

4.5 प्रदेश में पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों को ड्राईविंग ,फायरिंग हैड ग्रेनेड, सेम्यूलेटर उपलब्ध कराये जाने से बल की कार्यक्षमता मे वृद्धि हुई है जिससे प्रति वर्ष व्यय होने बाले गोला बारूद में काफी कमी लाई जाकर मितव्ययता को ध्यान मे रखते हुये विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों में बेहतर गुणात्मक संसाधन उपलब्ध कराये गये है। संस्थानों के उन्नयन से विभाग में कर्मचारियों की व्यवासायिक दक्षता मे वृद्धि हुई है।

4.6 प्रदेश मे पुलिस के कार्य स्थल मे अच्छा माहौल बनाने एवं आने वाले पीड़ितो की सुविधा हेतु थानों/चौकियों/इकाई कार्यालय के लिए स्टॉफ टेबिल,एंगल आयरन,आयरन रैंक, स्टील अलमारी,विजिटर बैंच,स्टॉफ चेयर,कम्प्यूटर टेबिल, कम्प्यूटर चेयर, ऑफिसर टेबिल, ऑफिस चेयर, सोफा सेट, सेन्टर टेबिल, पलंग, गद्दे, कान्फ्रेन्स टेबिल, एक्जीक्यूटिव टेबिल, एक्जीक्यूटिव चेयर आदि सामग्री का क्रय किया जाकर थानों/चौकियों/इकाई कार्यालय की मॉग एवं पूर्ति के अनुपात से पूर्ति की गई है। जिससे पुलिस की कार्यक्षमता मे वृद्धि हुई है।

4.7 जिलो में कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु अतिरिक्त बल के रूप मे प्रदाय वि0स0बल0 के मूव्हमेंट मे होने वाली परेशानी को दृष्टिगत रखते हुए जिलो में वि0स0बल0 केम्प हेतु पलंग, गद्दे,आलमारी प्रदाय किये गए है।

4.8 पुलिस के दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के प्रकरण मे सतत समीक्षा की जाकर प्रकरण के शीघ्र निराकरण के संबंध में इकाईयों को निर्देश दिये गये है। मायलेज पूर्ण कंडम वाहनों को जोन स्तर पर पु0म0नि0 रेंज के माध्यम से निष्प्रयोज्य की कार्यवाही किये जाने हेतु समस्त पुलिस इकाईयों को निदेर्शित किया गया है।

4.9 प्रबंध शाखा मे केन्द्र शासन द्वारा प्रवर्तित, पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना का प्रारूप अनुमोदन हेतु राज्य शासन के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्रालय, नई दिल्ली भिजवाना तत्पश्चात् अनुमोदित योजना के अतंर्गत राज्य शासन के माध्यम से आवंटित धनराशि एवं स्वीकृत, सामग्रियों का क्रय तथा पुलिस विभाग की विभिन्न उप शाखाऐं जैसे– विशेष शाखा, अअवि, दूरसंचार, प्रशिक्षण, राज्यअपराध अभिलेख ब्यूरों अन्य शाखाओं को उक्त योजना में आवंटित राशि का वितरण एवं लेखा–जोखा भी नोडल एजेंसी के रूप में रखा जाता है तथा सभी शाखाओं की क्रय नस्तीओ पर परीक्षण उपरांत टीप अंकित की जाती है।

5. विशेष शाखा

5.1 दायित्व एवं सामान्य जानकारी

1. विशेष द्वारा कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा की स्थिति पर सतत् निगाह रखी जाती है एवं आसूचना संकलन, आसूचना विश्लेषण, महत्वपूर्ण व्यक्तियों / संस्थानों की सुरक्षा एवं विदेशी नागरिकों से संबंधित एवं चरित्र

सत्यापन संबंधी कार्य किया जाता है राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर की समस्त प्रकार की सूचनाओं का संकलन कर शासन एवं संबंधित ईकाइ प्रमुखों को आवश्यक कार्यवाही हेतु अवगत कराया जाता हैं ।

2. विशेष शाखा मुख्यालय में कुल 25 अनुभाग कार्यरत है। इन अनुभागों के अतिरिक्त आर्थिक आसूचना सेल, एमटी सेल, सीआई सेल, तकनीकी सेल, आईओ अनुभाग, विशेष शाखा प्रशिक्षण शाला कार्यरत् हैं। विगत वर्षो विशिष्ट इकाई एटीएस, हॉक फॉर्स, एसआईबी, सीआईजेडब्लू एवं माननीय मुख्यमंत्री सुरक्षा दस्ते का गठन किया गया है। जो वर्तमान में विशेष शाखा के अधीन कार्यरत हैं ।

3. इसके अतिरिक्त पुलिस मुख्यालय परिसर में राज्य स्थिति कक्ष निर्धारित है, जो 24 घंटे कार्यरत् रहकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर निगरानी रखने के साथ ही आसूचना–संकलन एवं महत्वपूर्ण घटनाओं का आदान–प्रदान करता हैं ।

5.2 संरचनाः–

1. विशेष शाखा का मुख्यालय पुलिस मुख्यालय भोपाल परिसर में स्थित है और इसके प्रमुख अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी हैं । विशेष शाखा मुख्यालय में वर्तमान में 01 अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, 03 पुमनि, 01 उमनि एवं 08 समनि स्तर के अधिकारी हैं । इसके अतिरिक्त विशेष शाखा मुख्यालय में 20 उप पुलिस अधीक्षक के पद स्वीकृत हैं ।
2. मुख्यालय स्तर पर प्रदेश को 08 जोन में विभाजित किया जाकर भोपाल/ इन्दौर / जबलपुर / ग्वालियर / उज्जैन / सागर/रीवा/बालाघाट में जोनल पुलिस अधीक्षक विशेष शाखा के कार्यालय में पदस्थ अधि./कर्मचारियों के वेतन / भत्ते आदि की कार्यवाही सम्पन्न कराये जाने की दृष्टि से 08 जोनल पुलिस अधीक्षक को विभाग प्रमुख/ डीडीओ घोषित करने संबंधी प्रस्ताव पर शासन से स्वीकृति प्राप्त हो गई हैं।

5.3 ई–गर्वनेंस के क्षेत्र में कार्यः–

विशेष शाखा मुख्यालय में प्राप्त होने वाले पत्रों एवं नस्तियों के मूवमेंट हेतु फाईल प्रबंधन सिस्टम प्रारंभ किया गया हैं । अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से दर्ज कराई जा रही है तथा इनकी गुजारिश एवं समस्याओं का निराकरण ऑनलाइन किया जाता है। विभिन्न जिलों में जानकारी आदान–प्रदान हेतु पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है।

5.4 विशेष शाखा के आधुनिकरण हेतु किये गये प्रयास -:

- होमलैंड सुरक्षा योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू. 86.00 लाख के उपकरणों का क्रय किया गया ।

- अतिविशिष्ट/विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु प्राप्त बजट आवंटन (रू. 6.70 करोड़ अंतर्गत) 7 नग बी.आर. वाहन एवं 01 नग फारचूनर तथा 13 इनोवा वाहन के क्रय की कार्यवाही की गई ।

- गैर आयोजना मद अंतर्गत प्राप्त बजट आवंटन (रू. 117.29 लाख) अंतर्गत m-Passport के उपयोग हेतु Tablets एवं आसूचना उपकरणों का क्रय किया गया ।

5.5 विशेष शाखा प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल की उपलब्धियां–

- विशेष शाखा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण के लिए 02 क्लास रूम की व्यवस्था है जिसमें एक–एक क्लास रूम में बुनियादी एवं दूसरे क्लास रूम में इन सर्विस कोर्स संचालित किये जाते है। एवं तीसरे क्लास रूम निर्माण हेतु प्रक्रियाधीन है। तथा विशा0 संवर्ग के आरक्षकों एवं उप निरीक्षकों में से कोई एक बुदियादी कोर्स एक बार संचालित होता है। वर्तमान में वर्ष में लगभग 1200 प्रशिक्षणार्थी विविध विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त करते है तथा नये डीपीआर के अन्तर्गत संस्थान के लिए नवीन भवन का निर्माण प्रक्रियाधीन है। नवीन भवन के निर्माण हो जाने पर प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण दक्षता में वृद्धि होगी।

- माह जनवरी 2017 से दिसम्बर 2017 तक कुल 28 कोर्स संचालित किए गए । जिसमें राजपत्रित अधिकारियों के लिए 07 कोर्स संचालित किए गए, एवं 21 कोर्स अराजपत्रित अधिकारियों के लिए संचालित किए गए । जिसमें कुल 960 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षित हुए है। नव आरक्षकों का बुनियादी प्रशिक्षण संचालित किये गये । जिनमें 30 नव आरक्षकों को बुनियादी प्रशिक्षण दिया गया । वर्तमान में 9वां बैच उप निरीक्षकों का बुनियादी प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है, जिसमें 22 उप निरीक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

5.6 एटीएस की महत्वपूर्ण उपलब्धिया -:

- नवम्बर 2016 में जम्मू कश्मीर राज्य में पाकिस्तान के लिए सेना की जासूसी करते हुए जम्मू पुलिस द्वारा सतविंदर और दादू को गिरफ्तार किया था। उसने पूछताछ में बताया कि मध्यप्रदेश के सतना जिले से उसके खाते में पैसे जमा कराये जा रहे थे। उनसे बलराम के कई पाकिस्तानी हैण्डलरों से लगातार संपर्क बना हुआ था। बलराम के खाते में पैसे **छद्म टेलीफोन एक्सचेंजों** के माध्यम से आ रहा था। जो चोरी–छिपे देश भर में लगाये गये थे, जिनसे इंटरनेट के माध्यम से बात हो रही थी और उन कॉलों को **सेल्युलर फोन कॉल में परिवर्तित** किया जा रहा था जिससे यह पता न चले कि बात करने वाला पाकिस्तान से है कि भारत से। ऐसे एक्सचेंज की आड़ में हवाला, लाटरी के अलावा पाकिस्तान के हैंडलर भी भारत में संपर्क कर रहे थे। इस कार्य में **उच्च तकनीकी का उपयोग** हो रहा था। मध्यप्रदेश एटीएस ने अभूतपूर्व तकनीकी दक्षता एवं व्यवसायिक कौशल का प्रदर्शन करते हुए नेटवर्क का खुलासा किया और फरवरी, 2017 में प्रकरण में **15 आरोपियों को गिरफ्तार** किया।

5.7 नक्सली समस्या पर टीप, महत्वपूर्ण घटनाएँ एवं महत्वपूर्ण उपलब्धियॉ

- मध्य प्रदेश के पूर्वांचल में नक्सली गतिविधियाँ प्रकाश में आती हैं, जिसमें से बालाघाट अत्यधिक नक्सल प्रभावित जिला है। जिला बालाघाट में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) के मुख्यतः मलाजखण्ड दलम, टांडा दलम एवं दर्रेकसा दलम सक्रिय हैं।

- जनवरी, 2017 से दिसम्बर, 2017 तक की अवधि में पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान की कार्यवाही में जिला बालाघाट में 5 वारंटी नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है।

- उक्त अवधि में पुलिस द्वारा आसूचना आधारित कार्यवाही कर बालाघाट जिले में नक्सलियों के 6 डम्प ध्वस्त कर बड़ी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ, बैटरी, डेटोनेटर, जिलेटिन, इलेक्ट्रिक वायर आदि जप्त किए गए।

5.8 कानून–व्यवस्था

● प्रदेश में वर्तमान में कानून–व्यवस्था की स्थिति सामान्य है । वर्ष 2017 में आयोजित समस्त त्यौहारों के दौरान कानून–व्यवस्था की स्थिति को बनाये रखने में राज्य पुलिस सफल रही है जिसके कारण समस्त समुदायों के त्यौहार शांतिपूर्वक सम्पन्न हुए । प्रदेश में समस्त प्रकार के आन्दोलनों के दौरान भी कानून–व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रभावी कदम उठाये जाकर कानून–व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में रखी गई ।

5.9 साम्प्रदायिक स्थिति

● प्रदेश में वर्ष 2017 में साम्प्रदायिकता की स्थिति नियंत्रण में रही । समस्त त्यौहार शांतिपूर्वक सम्पन्न हुए । त्यौहारों के दौरान कतिपय जिन स्थानों पर विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी वहॉ पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए स्थिति को तत्काल नियंत्रित किया गया । किसी भी जिले में कोई बड़ी साम्प्रदायिक घटना घटित नहीं हुई । राज्य शासन द्वारा साम्प्रदायिक कट्टरवाद के विरूद्ध अपनाई जा रही सख्त नीति

6 अपराध अनुसंधान विभाग

6.1 अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, **अ0अ0वि0** के सीधे नियंत्रण में यह शाखा कार्य करती है । वर्तमान में इस पद पर दिनांक 05.12.2016 से **श्री कैलाश मकवाणा, (भा0पु0से0)** कार्यरत है । पूरे प्रदेश एवं भारत वर्ष में घटित होने वाले अपराधों में नवीन तकनीक एवं संसाधनों के प्रयोग के कारण अपराधियों की अपराध करने की प्रवृत्ति एवं कार्यविधि में काफी परिवर्तन आ गया है। संचार के नये–नये साधनों के प्रयोग तथा आवागमन के संसाधन तेजी से बढ़ जाने के कारण, साथ ही प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या में वृद्धि, बेरोजगारी, शहरीकरण, आर्थिक असमानतायें, औद्योगिकीकरण, बढ़ती हुई मंहगाई, बढ़ती हुई गरीबी, नैतिक आदर्शों का अवमूल्यन, आदि कारणों से प्रदेश में अपराधों की संख्या में वृध्दि हो रही है। प्रदेश में कई दिनों से सफेदपोश अपराधियों द्वारा घटित अपराधों की संख्या बढ रही है। नॉन बैंकिंग फायनेन्स, निजी बैंको, चिट फण्ड कम्पनी आदि के माध्यम से आम जनता को ज्यादा पैसे कमाने का प्रलोभन दिया जाता है । भोली भाली जनता से करोड़ों रूपया इकठ्ठा कर चम्पत हो जाते हैं। वायदा बाजार के माध्यम से करोड़ों रूपयों की वस्तुओं का अनैतिक व्यापार होता है ।

तेजी से हो रहे आर्थिक विकास के साथ–साथ अधिक असमानतायें बढ़ जाने से समाज में कम समय में अधिक पैसा कमाने की लालच के कारण कई प्रकार के माफिया भी तेजी से बढ़ रहे है, इसमें प्रमुख माफिया है– **भू–माफिया, खनिज माफिया, शराब माफिया, शिक्षा माफिया, तस्कर, जालसाज, हवाला माफिया, सायबर माफिया, आदि**। इन माफियाओं के द्वारा अपराधी अपना जाल कई जिलों में या करीब–करीब पूरे प्रदेश में फैलाकर अवैध गतिविधियां संगठित तरीके से संचालित करते हैं। ऐसे अपराध जैसे लूट, अंधे कत्ल, डकैती जिनका अन्तर्जिला अथवा अन्तर्राज्जीय प्रभाव होता है जिसमें आरोपी घटना घटित करके अन्य जिले अथवा प्रदेश में शरण ले लेता है। ऐसे अपराधों की विवेचना भी जिला स्तर पर करने में कठिनाई अनुभव होती है एवं जिले में सीमित संसाधन होने से वह इन अपराधों में पूरी तरह फोकस नही कर पाते हैं, जिससे अपराधी के हौसलें बुलन्द होते है एवं वह लगातार अपराध घटित करता जाता है। इससे आम जनता के मन में सरकार व शासन तथा पुलिस की छवि धूमिल होती है। इस कारण उपरोक्त इन प्रकरणों के सटिक एवं त्वरित निराकरण एवं समीक्षा की दृष्टि से प्रदेश स्तर पर अ.अ.वि. में विशेष विवेचना दल गठित कर विवेचना की जाती है ।

शासन के निर्देशानुसार प्राथमिकता के आधार पर सनसनीखेज़ अपराधों को चिन्हित करके अ0अ0वि0 मुख्यालय से सीधे पर्यवेक्षण किया जा रहा है तथा उक्त अपराधों की विवेचना की प्रतिदिन समीक्षा की जाती है एवं प्रकरण न्यायालय में चालान किए जाते है, उनकी भी मॉनीटरिंग करना पड़ती है ताकि न्यायिक प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण हो सके और अपराधियों को त्वरित एवं पर्याप्त रूप से सजा मिल सके । ऐसे सनसनीखेज प्रकरणों के त्वरित निराकरण एवं अपराधियों के सज़ायाब होने से आम जनता में शासन एवं पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ता है।

6.2 विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी

अपराध अनुसंधान विभाग में विवेचना एवं जांच का कार्य यहां पदस्थ वरिष्ठ अधिकारियों के निकट पर्यवेक्षण में उप पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक स्तर के विवेचना अधिकारियों द्वारा किया जाता है । इसके अतिरिक्त जिलों में घटित गंभीर प्रकृति के सनसनीखेज एवं संवेदनशील अपराधों की जांच एवं विवेचना करने तथा आवश्यकतानुसार जिला पुलिस इकाईयों को समुचित मार्गदर्शन देने की जिम्मेदारी इस विभाग की है ।

6.3 सामान्य या प्रमुख विशेषतायें

अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा प्रदेश में घटित गंभीर एवं संवेदनशील अपराधों की समीक्षा कर अपराध नियंत्रण हेतु प्रभावी मार्गदर्शन एवं गंभीरतम अपराधों की विवेचना की कार्यवाही की जाती है । साथ ही विधि विज्ञान प्रयोगशाला एवं क्यू.डी. प्रयोगशाला के माध्यम से विवेचना में फॉरेंसिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है ।

6.4 कार्यरत प्रकोष्ठ/शाखा

6.4.1 कार्यरत प्रकोष्ठ

1– अनुसंधान प्रकोष्ठ 2– सतर्कता प्रकोष्ठ 3– बाल सहायता प्रकोष्ठ 4– विशेष किशोर पुलिस इकाई

6.4..2 कार्यरत शाखा

1– डकैती शाखा, 2– मूर्ति चोरी, 3– एफएसएल शाखा, 4– क्यू0डी0 शाखा, 5–टाईगर सेल, 6– जाली नोट शाखा, 7– विधि शाखा, 8– एकीकृत सेल, 9– फोटो शाखा, 10– थाना अअवि, 11–विधान सभा सेल, 12–क्राईम सेल, 13– मानिटरिंग सेल, 14– टेक्निकल सेल, 15– स्थापना/लेखा/स्टोर.

6.5 क्षेत्रीय कार्यालय

(1) ग्वालियर (2) इंदौर (3) जबलपुर (4) उज्जैन (5) सागर एवं (6) रीवा

6.6 उत्तरदायित्व

1. पेशेवर एवं संगठित गिरोंहों द्वारा घटित अपराधों की विवेचना ।
2. ऐसे अपराधों की विवेचना जिनका दायरा प्रदेश के कई जिलों में फैला हो ।
3. अर्न्तराज्यीय अपराधों की विवेचना ।

4. डकैती एवं फिरौती के लिये किये गये अपहरण के अपराधों की विवेचना में स्थानीय पुलिस की सहायता । मैदानी इकाइयों को अपराधों की रोकथाम एवं विवेचना के लिये वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना।

5. विभिन्न प्रकार के माफिया जैसे भूमाफिया, खनिज माफिया, शराब माफिया आदि के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही कराना ।

6. विशिष्ट प्रकार के अपराधों की विवेचना के लिये प्रकोप्ठों –डकैती सेल,जाली नोट सेल, मूर्ति चोरी सेल,कंजर सेल, कॉपी राइट सेल,धोखाधडी सेल, साईबर क्राईम सेल इत्यादि–का गठन एवं संचालन ।

7. पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति के लिए मतांकन करना।

8. उच्च पदों पर आसीन एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आपराधिक कृत्यों की जॉच।

9. राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला का प्रशासनिक दायित्व ।

10. विवादग्रस्त अभिलेख (क्यू.डी.) शाखा का प्रशासनिक दायित्व ।

11. फोटोग्राफी सेल का प्रशासनिक दायित्व ।

12. बाल सहायता प्रकोप्ठ (जुवेनाइल एड ब्यूरो का संचालन) ।

13. न्यायालय के निर्णयों/आदेशों का अनुपालन प्रदेश की पुलिस इकाइयों द्वारा सुनिश्चित करना।

14. विधान–सभा, लोक–सभा, राज्य–सभा के पुलिस से संबंधित प्रश्नों के जबाब तैयार करना। अअवि शाखा विधानसभा संबंधी कार्य हेतु पुलिस विभाग की ''नोडल शाखा'' है।

15. प्रदेश में घटित अपराधों की जानकारी का संकलन एवं विश्लेषण ।

16. आपराधिक सूचना पत्र का प्रकाशन ।

17. अ.अ.वि. में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाली आवेदनों एवं अपीलों का निराकरण करना ।

6.7 <u>महत्वपूर्ण सांख्यिकी</u>

6.7.1 अनुसंधान शाखा में वर्ष 2017–18 में हस्तगत एवं निराकृत प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार है :–

प्रकरण का स्वरूप	कुल लंबित प्रकरण	निराकृत	हस्तगत	शेष लंबित प्रकरण
विवेचना	**63**	**7**	**–**	**56**
जांच	**23**	**8**	**1**	**14**

6.7.2 बाल सहायता प्रकोष्ठ में वर्ष 2017–18 में की गई कार्यवाही का विवेचना निम्नानुसार है :–

क्रमांक	गुम			दस्तयाब			अदम दस्तयाव		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2462	7105	9567	2301	6263	8564	1123	4293	5416

क्रमांक	भिक्षावृत्ति करते हुए पाये गये		बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किये गये		शासकीय गृहों में भेजे गये		अशासकीय गृहों में भेजे गये		अभिभावकों के सुपुर्द किया गया/समझाईस देकर छोड़ा गया	
1	2		3		4				5	
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1	1996	765	1996	765	179	78	254	117	1565	568

6.7.3 डकैती शाखा में वर्ष 2017–18 में की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार हैः–

वर्ष	डकैती के प्रकरण	असूचीबद्व गिरोह द्वारा डकैती	असूचीबद्व गिरोह द्वारा हत्या	असूचीबद्व गिरोह द्वारा अपहरण	मुठभेड़	डकैत मृत	डकैत बंदी	शस्त्र जप्त	कारतूस जप्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2017–18	**64**	**01**	**01**	**17**	**3**	**01**	**477**	**93**	**385**

6.7.4 वर्ष 2017–18 **मूर्ति चोरी** में की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	कुल अपराध	गिरफ्तार आरोपी
1	2	3
2017–18	**25**	**16**

6.7.5 सतर्कता प्रकोष्ठ में वर्ष 2017–18 में हस्तगत एवं निराकृत प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार है

प्रकरण का स्वरूप	कुल लंबित प्रकरण	निराकृत	शेष लंबित प्रकरण
जांच	**18**	**05**	**13**
विविध	**207**	**130**	**77**
विवेचना	**01**	**00**	**01**

6.8 सनसनी खेज चिन्हित अपराध –

चिन्हित सनसनीखेज एवं जघन्य अपराधों में वर्ष 2017 में 01.01.2017 से 30.11.2017 तक में कुल 772 प्रकरणों को चिन्हित श्रेणी में लिया गया है, कुल 417 प्रकरणों का निराकरण हुआ है। जिसमें से 297 प्रकरणों में सजायाबी हुई है, जिसमें कुल 198 प्रकरणों में 354 अपराधियों को आजीवन कारावास एवं 10 वर्ष एवं उससे अधिक कारावास में 79 प्रकणों में 134 अपराधियों को दण्डित किया गया है व 04 प्रकरणों में 05 आरोपियों को मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया है**, इस प्रकार सजायाबी का प्रतिशत 71ः रहा है।**

कुल चिन्हित प्रकरण	–	772
कुल निर्णित प्रकरण	–	417
कुल दोषसिद्ध प्रकरण	–	297
कुल दोषमुक्त प्रकरण	–	120
कुल आजीवन कारावास	–	198
आजीवन कारावास से दण्डित आरोपियों की संख्या	–	354
कुल मृत्युदण्ड प्रकरण	–	04
मृत्युदण्ड से दण्डित आरोपियों की संख्या	–	05
10 वर्ष एवं उससे अधिक कारावास	–	79
10 वर्ष एवं उससे अधिक कारावास से दण्डित आरोपियों की संख्या	–	134

6.9 विशेष अभियान :– अ.अ.वि.पु.मु. द्वारा वर्ष 2017 में चलाये गये विशेष अभियानः–

6.9.1 विशेष अभियान (अवैध शस्त्र):–

अवैध हथियारों की धर–पकड़ हेतु दिनांक 15.04.17 से 30.04.17 तक विशेष अभियान के अंतर्गत प्रदेश में कुल 1,384 प्रकरणों में 530 आग्नेय शस्त्र, 918 धारदार हथियार एवं 687 कारतूस जप्त किए गए।

6.9.2 विशेष अभियान (गुम बालक/बालिकाएँ):–

दिनांक 01.05.17 से 31.05.17 तक प्रदेश में गुम हुए अवयस्क बालक/बालिकाओं को खोजने हेतु ''विशेष अभियान'' चलाया गया। जिसमें प्रदेश के कुल 5,289 गुम (बालक 1,108, बालिकएँ 4,181) में से इस अभियान के दौरान विशेष प्रयासों के उपरांत कुल बालक 296 एवं बालिकाएँ 1,126 (योग 1,422) को दस्तयाब करने में सफलता प्राप्त हुई है।

6.9.3 विशेष अभियान (मादक पदार्थों की धरपकड़)–

मादक पदार्थों की धरपकड़ हेतु दिनांक 15.08.17 से 31.08.17 तक विशेष अभियान चलाया जाकर 252 प्रकरणों में 306 आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही कर उनसे स्मैक 247 ग्राम 905 मि.ग्रा., हेरोइन 165 ग्राम, चरस 700 ग्राम, नशीला पदार्थ (टैबलेट) 980 नग, गांजा 851 किलो 864 ग्राम, डोडा चूरा 37 क्विंटल 58 किलो 565 ग्राम, ब्राउन शुगर 32 ग्राम, 451.5 मि.ग्रा., अफीम 42 किलो, 760 मि.ग्रा. कुल अनुमानित मूल्य 3,11,32,415/– रूपये के मादक पदार्थ जप्त किये गये।

6.9.4 विशेष अभियान (अवैध शराब, जुआ, सट्टा, मादक पदार्थ तस्करों के विरूद्ध):–

विशेष अभियान दिनांक 05.10.17 से 15.11.17 तक अवैध जुआ सट्टा, अवैध विक्रय शराब बनाने/परिवहन करने वाले तथा मादक पदार्थ तस्करों के विरूद्ध सघन कार्यवाही हेतु विशेष अभियान चलाया गया।

इस अभियान के दौरान जुआ में कुल 3,548 प्रकरणों में 13,982 अपराधियों को गिरफ्तार कर कुल राशि 1,30,27,251/– रूपये जप्त की गई । सट्टा के 1,868 प्रकरणों में 2,015 अपराधियों को गिरफ्तार कर कुल राशि 18,64,213/– रूपये जप्त की गई ।, अवैध शराब में कुल शराब 1,13,571.52 लीटर, जिसमें अंग्रेजी 17,256.56 लीटर, देशी 57,500.74 लीटर, कच्ची 34,101.48 लीटर, बीयर 4,712.74 लीटर जप्त की गई कुल राशि 2,38,45,619/– रूपये की शराब जप्त की गई । मादक पदार्थ में 148 प्रकरणों में 220 आरोपी गिरफ्तार कर गांजा 22 क्विंटल 14 किलो 205 ग्राम, डोडाचूरा 201 क्विंटल 81 किलो 600 ग्राम, अफीम 9 किलो 940 ग्राम, चरस 400 ग्राम, स्मैक 206 ग्राम 38 मि.ग्रा, हेरोइन 2.5 ग्राम, गांजे के पौधे 648 नग, ब्राउन शुगर 51 ग्राम 910 मि.ग्रा., नशीला पदार्थ(टैबलेट) 3480 नग, कुल अनुमानित मूल्य 4,93,30,317/– रूपये के मादक पदार्थ जप्त किये गये।

6.9.5 विशेष अभियान (गिरफ्तारी/स्थाई वारंट तामीली हेतु):–

विशेष अभियान दिनांक 01.11.17 से 30.11.17 तक गिरफ्तारी/स्थाई वारंट तामीली हेतु चलाया गया। अभियान की अवधि में गिरफ्तारी वारंट **25,351** तथा स्थाई वारंट **6226** तामील किये गये जिससे तामीली के प्रतिशत में सुधार के साथ–साथ कई अपराधियों की गिरफ्तारी भी की गई है।

6.10 अपराध अनुसंधान विभाग पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा अपराधिक सूचना पत्र (गजट) का प्रकाशन शासकीय मुद्रणालय के माध्यम से कराया जाता है।

7. अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण (अजाक) शाखा–

7.1 भारतीय संविधान के अधीन प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करने की सुनिश्चितता उपलब्ध कराई गई है। इसी तारतम्य में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में प्रावधान किया गया है कि राज्य के पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोगों को आर्थिक शैक्षणिक, सामाजिक आलम्ब प्रदान करने एवं ऐसे व्यक्तियों को अन्याय एवं शोषण से बचाने हेतु समुचित प्रयास करेगा। संविधान की उक्त मंशा को दृष्टिगत रखते हुये भारत सरकार द्वारा समय–समय पर अधिनियम एवं नियमों का निर्माण किया गया है। इनमें से प्रमुख है–सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, अजा और जजा (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 तथा अजा और जजा (अत्याचार निवारण) नियम 1995 प्रमुख है। इन अधिनियम एवं नियमों के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को शोषण एवं अन्याय से मुक्ति दिलाने हेतु एवं इनके हितों के संरक्षण हेतु प्रभावी प्रावधान बनाये गये है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य पर घटित होने वाले अपराधों की रोकथाम एवं त्वरित विवेचना, अपराधों की समीक्षा करने तथा प्रदेश में जाति के आधार पर होने वाले अपराधों को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 1973 में पुलिस मुख्यालय में (अजाक) शाखा स्थापित की गई है।

7.2 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु की गई व्यवस्था :–

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अन्तर्गत वर्ष 1974 में 6 (अजाक) पुलिस थाने प्रदेश में स्थापित किये गये थे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के क्रियान्वयन के पश्चात प्रदेश के समस्त जिलों में (अजाक) विशेष पुलिस थाने स्थापित किये गये है। अजाक थानों में पंजीबद्ध अपराधों के अनुसंधान हेतु अजा और जजा (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1995 की मंशा के अनुरूप प्रदेश के समस्त जिलों में उप पुलिस अधीक्षक अजाक की पदस्थापना की गई है। अजा और जजा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में पंजीबद्ध प्रकरणों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुये अजाक थानों में पदस्थ निरीक्षकों को वनस्टेप प्रमोशन दिया जाकर उन्हें उप पुलिस अधीक्षक अजाक द्वितीय का पदनाम देते हुये अधिनियम के अधीन प्रकरणों में अनुसंधान के अधिकार सौपें गये हैं, जिससे कि प्रकरणों का अन्वेषण नियम 1995 के मंशा के अनुरूप समय–सीमा में पूर्ण किया जाना संभव हो सके, साथ ही अजा और जजा वर्ग से संबंधित प्रकरणों में पर्यवेक्षण एवं विशेष नियंत्रण हेतु रेंज स्तर पर प्रदेश में 10 पुलिस अधीक्षक अजाक को पदस्थ किया गया है, जिससे कि अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का नियमित पर्यवेक्षण किया जाना सम्भव हो सके। अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के प्रकरणों मे विधि सम्मत अभिमत प्राप्त करने हेतु एक उप संचालक अभियोजन की पदस्थापना अजाक पुलिस मुख्यालय में की गई है तथा प्रत्येक रेंज पुलिस अधीक्षक अजाक कार्यालय में अभियोजन अधिकारी को पदस्थ किया गया है, जिससे कि अजा और जजा (अत्याचार निवारण) अधिनियम से संबंधित प्रकरणों में विवेचना के स्तर पर उपयुक्त विधिक अभिमत प्राप्त किया जा सके एवं ऐसे प्रकरणों में अधिक से अधिक दोषसिद्धि प्राप्त की जा सके।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 में 26 जनवरी 2016 को किये गये संशोधन उपरान्त पंजीबद्ध अपराधों की संख्या में हुई वृद्धि एवं अनुसंधान अधिकारियों की कमी को दृष्टिगत रखते हुये 13 अक्टूबर 2017 को राज्य शासन द्वारा अधिनियम की धारा 9(1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये राजपत्र में प्रकाशित दिनॉक से निरीक्षक रैंक के सभी अधिकारियों को गिरफ्तारी, अन्वेषण एवं अभियोजन की शक्ति सौपी गई है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के प्रकरणों में दोषसिद्धि की दर में वृद्धि हेतु पीड़ितों एवं साक्षियों को भयमुक्त वातावरण तथा विधिक प्रोत्साहन एवं संरक्षण उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2016 में ''साक्षी संरक्षण सहायता प्रोग्राम'' प्रारम्भ किया गया है। अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबद्ध प्रकरणों में से प्रत्येक जिले में हर तिमाही में 1–1 प्रकरण चयनित कर उन प्रकरणों में अनुसंधान के दौरान तथा विचारण पूर्ण होने तक मानिटरिंग टीम गठित कर निरंतर पीड़ितों एवं साक्षियों से सम्पर्क कर विधिक प्रोत्साहन तथा उचित संरक्षण प्रदान करते हुये न्यायालय में साक्ष्य देने हेतु भयमुक्त वातावरण प्रदान किया जाता है। प्रोग्राम के अन्तर्गत एक वर्ष की अवधि में न्यायालय से निराकृत प्रकरणों में दोषसिद्धि की दर में अत्यन्त सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुये है। प्रोग्राम में चयनित प्रकरणों में दोषसिद्धि की दर 63 प्रतिशत रही है। जबकि सामान्यतः विशेष न्यायालय में यही दर 23 प्रतिशत के लगभग रही है। विशेष न्यायालयों में 11588 प्रकरण विचाराधीन है। जिनमें से 468 प्रकरण साक्षी संरक्षण सहायता प्रोग्राम के अन्तर्गत चयनित किये गये है।

7.3 अपराध

COMPARATIVE CRIME UNDER SC/ST (POA) ACT 1989							
FOR YEAR (JAN - DEC.)2015 TO 2017 A.J.K. CELL P.H.Q BHOPAL							
SNO	HEAD	CASTE	2015	2016	15/16%	2017	16\17%
1	MURDER	SC	81	85	4.94	93	9.41
2	ATTEMPT TO MURDER	SC	117	115	-1.71	110	-4.35
3	RAPE	SC	456	474	3.95	542	14.35
4	ARSON	SC	19	30	57.89	21	-30.00
5	OTHER OFFENCES	SC	2983	4321	44.85	5196	20.25
6	TOTAL	SC	3656	5025	37.45	5962	18.65
SNO	HEAD	CASTE	2015	2016	15/16%	2017	16\17%
1	MURDER	ST	49	44	-10.20	42	-4.55
2	ATTEMPT TO MURDER	ST	27	24	-11.11	34	41.67
3	RAPE	ST	389	392	0.77	441	12.50
4	ARSON	ST	6	6	0.00	13	116.67
5	OTHER OFFENCES	ST	874	1419	62.36	1802	26.99
6	TOTAL	ST	1345	1885	40.15	2332	23.71
	TOTAL(SC/ST)POA ACT1989	SC+ST	5001	6910	38.17	8294	20.03

7.4 सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण केन्द्र :–

मध्यप्रदेश सोसायटी एक्ट 1973 के अर्न्तगत प्रदेश के 51 जिलों में सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण केन्द्रों की पुर्नस्थापना/नवीनीकरण हेतु निर्देश जारी किये गये है। सशक्तिकरण केन्द्र में 7 सदस्य है जिसमें पुलिस अधीक्षक अथवा अति.पुलिस अधीक्षक अध्यक्ष, थाना प्रभारी अजाक सदस्य/सचिव, पुलिस अधीक्षक द्वारा नामांकित जिला पंचायत एवं जनपद से नामांकित अनुसूचित जाति का 1 सदस्य,अनुसूचित जनजाति का 1 सदस्य तथा सामान्य जाति का 1 सदस्य,संबंधित जिले के जिला संयोजक एवं कलेक्टर द्वारा नामांकित एक राजस्व अधिकारी से जूरी का निर्माण किया गया है। सशक्तिकरण केन्द्र में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के भूमि विवाद के प्रकरण, ऋण ग्रस्तता के प्रकरण, सामान्य विवाद के प्रकरण तथा अन्य विभागों से सहायता प्राप्त करने हेतु सभी प्रकार के आवेदन पत्रों पर विचार कर परामर्श के द्वारा प्रकरणों का निराकरण किया जाता है। सामान्यतः 15 दिवस में एक बार अजाक थाने में ज्यूरी की मीटिंग रखी जाती है तथा रेंज पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा केन्द्रों के गतिविधियों की मानीटरिंग की जाती है। सशक्तिकरण केन्द्र अपराध को रोकने की दिशा में एक कारगर कदम है। वर्ष 2017 में 194 बैठकों का आयोजन किया गया, जिसमें 198 शिकायतें प्राप्त हुई। उन शिकायतों में से 278 शिकायतों का निराकरण किया गया।

8. महिला अपराध शाखा–

मध्यप्रदेश की कुल जनसंख्या 72,626,809 है। **(ग्रामीण 52,557,404 एवं नगरी 20,069,405)** जिसमें महिलाओं की **जनसंख्या 35,014,503** है। ग्रामीण महिलाएं 25,408,016 **(48.34 प्रतिशत)** एवं नगरीय महिला 9,606,487 **(47.87 प्रतिशत)** होकर कुल जनसंख्या का **48.21 प्रतिशत महिलाएं** है।

महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिये महिला अपराध शाखा का गठन किया जाकर 01 अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, 04 पुलिस महानिरीक्षक तथा 04 उप संचालक अभियोजन के पद सृजन किये जाकर पदस्थापना की गई है। प्रत्येक जिले में एक महिला प्रकोष्ठ का गठन किया जाकर उसका प्रभार एक उप पुलिस अधीक्षक के अधिकारी को सौंपा गया है।

महिलाओं के विरूद्व अपराध वर्ष 2017 में **28188 अपराध दर्ज** हुये। प्रदेश में महिला विरूद्व अपराधों का मुक्त पंजीयन सुनिश्चित किया जा रहा हैं। दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के अनुसार सभी संज्ञेय अपराधों में तत्काल अपराध पंजीबद्व किया जाकर, विवेचना की जा रही है। प्रदेश में महिला अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस (Zero tolerance) की नीति अपनाई जा रही है ।

8.1 महिलाओं के विरूद्ध घटित अपराध–

COMPARATIVE STATEMENT OF CRIME AGAINST WOMEN FOR						
YEAR 2015 to 2017 (JAN TO DEC) NCRB						
S.No	HEAD	year 2015 NCRB	year 2016 NCRB	%15/16	year 2017 CAW	%16/17
1	RAPE (376)	4391	4656	6.04	4240	-8.93
2	ATTEMPT TO COMMIT RAPE (376/511 IPC)	57	63	10.53	53	-15.87
3	GANG RAPE(376 D IPC)	270	226	-16.30	208	-7.96
4	KIDNAPPING&ABDUCTION363,366,366IPC	4547	4904	7.85	6665	35.91
5	DOWRY DEATHS (304-B)	664	629	-5.27	618	-1.75
6	MOLESTATION(354A,B,C,D,IPC	8049	8717	8.30	9493	8.90
7	INSULT TO MODESTY OF WOMEN509IPC	390	358	-8.21	167	-53.35
8	CRUELTY BY HUSBAND(498-A IPC)	5281	6264	18.61	5908	-5.68
9	ABETMENT OF SUICIDE (306)	577	565	-2.08	652	15.40
10	DOWRY PREVENTION ACT (3/4)1961	62	26	-58.06	35	34.62
11	IMMORAL TRAFFIC ACT	25	20	-20.00	28	40.00
	TOTAL	24313	26428	8.70	28067	6.20

8.2 राज्य स्तरीय महिला हेल्पलाईन 1090–

शासन द्वारा 01 जनवरी 2013 से राज्य स्तरीय महिला हेल्प लाईन 1090 प्रारम्भ की गई है, जिसमें प्रदेश भर की महिलाएँ निडर होकर अपनी शिकायतें दर्ज करा रही है। प्रदेश भर में महिलायें किसी भी स्थान से अपनी शिकायतें राज्य स्तरीय महिला हेल्प लाईन 1090 में दर्ज करा सकती है । महिला हेल्प लाईन से महिला आवेदिका के शिकायत पर संतुष्टि के सबंध में 24 घन्टे के अंदर फीडबैक भी प्राप्त किया जाता है । फरियादिया की संतुष्टि सुनिश्चित करने के बाद ही निराकरण किया जाता है । वर्ष 2017 में 21231 शिकायते प्राप्त हुई जिसमें से 21231 शिकायतों का निराकरण किया गया है तथा 739 प्रकरणों में अपराध पंजीबद्व किया गया।

8.3 सजायाबी–

वर्ष 2017 में महिलाओं के विरूद्व घटित अपराधों के प्रकरणों में (दि. 01.01.2017 से 30.11.2017 तक) मृत्यु दण्ड से दण्डित प्रकरणों की संख्या–02, आजीवन कारावास से दण्डित प्रकरणों की संख्या–128, 10 वर्ष या उससे अधिक दण्ड से दण्डित प्रकरणों की संख्या–277, 10 वर्ष से कम तथा 5 वर्ष से अधिक दण्ड से दण्डित प्रकरणों की संख्या–112, 5 वर्ष से कम के दण्ड से दण्डित प्रकरणों की संख्या–1226, इस तरह कुल 1745 प्रकरणों में आरोपियों को दण्डित किया गया ।

8.4 ऑपरेशन "मुस्कान"–

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार मध्यप्रदेश में ऑपरेशन मुस्कान–3 दि. 01. 07.2017 से 31.07.2017 तक चलाया गया। कुल 5786 बच्चों को दस्तयाब किया गया जिसमें 236 बच्चों को आश्रय गृह भेजा गया एवं 5550 बच्चों को उनके निवास स्थान माता पिता को सुपुर्द किया गया । इस अभियान में 633 प्रकरणों में अपराध पंजीबद्व किये गये ।

8.5 "निर्भया" पेट्रोंलिंग –

महिलाओं की सुरक्षा के लिये जिला मुख्यालयों में निर्भया पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है, जिसमें महिला पुलिस कर्मचारियों को ही पेट्रोलिंग का दायित्व सौंपा गया है। इस पेट्रोलिंग वाहन को दो मोबाईल नंबर प्रदाय किये गये है। विद्यालय /महाविद्यालय, छात्रावास, पार्क, बाजार एवं अन्य भीड़भाड वाले इलाकों में लगातार गश्त कर मोबाईल पर सूचना मिलने पर तुरन्त उस स्थान पर पहुॅचकर कार्यवाही की जाती है।

8.6 "मैत्री" पुलिस पेट्रोलिंग–

''मैत्री पुलिस पेट्रोलिंग'' दो पहिया वाहनों को प्रदेश के प्रमुख चार बड़े जिलों–भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर में वितरित किया गया है। इनका संचालन महिला पुलिस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जाता है । इन पेट्रोलिंग वाहनों द्वारा विद्यालयों, महाविद्यालयों, उद्यानों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर गश्त की जाती है व छात्राओं एवं महिलाओं के विरूद्व होने वाले अपराध जैसे छेड़छाड़, पीछा करने आदि पर मौके पर भी कार्यवाही की जाकर निराकरण किया जाता है ।

8.7 "समर्थ संगिनी" समूह–

मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा अभिनव पहल करते हुये समुदाय की महिलाओं को जोड़कर महिलाओं के विरूद्ध हो रहे अपराधों पर कार्यवाही करने हेतु समर्थ संगिनी समूह का गठन किया गया है जिसका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं के विरूद्ध घटित हो रहे अपराधों की त्वरित सूचना प्राप्त होने पर इन अपराधों पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करना एवं इन कार्यवाहियों से अपराधों में कमी लाना है । इसके अंतर्गत आंगडवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा एवं उषा कार्यकर्ताओं तथा स्वयं सेवी संगठनों एवं समुदाय की महिलाओं को पुलिस से जोड़कर महिलाओं को सशक्त बनाने की पहल की गई है जिसके अंतर्गत लगभग 3,000 समूहों में लगभग 1,00,000 महिलाओं को जोड़ा गया है।

8.8 "जनसंवाद" शिविर–

बालिकाओं/छात्राओं को जागरूकता प्रदान करने एवं पुलिस प्रणाली से अवगत कराने व उनकी समस्याओं के निराकरण करने हेतु प्रदेश के समस्त जिलों के विद्यालयों/महाविद्यालयों में जनसंवाद शिविर आयोजित किये जा रहे है । इन जनसंवाद शिवरों में छात्राओं को उनके विधिक अधिकारों से रूबरू कराने के साथ–साथ उनकी शिकायतों के अनुश्रवण हेतु पुलिस विभाग द्वारा प्रदाय प्लेटफार्म जैसे राज्य स्तरीय

महिला हेल्प लाईन 1090, डायल 100, चाईल्ड लाईन 1098, मोबाईल एप के प्रयोग संबंधी जानकारी प्रदान की जाती है । कन्या महाविद्यालय एवं कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा कुल 3365 संवाद शिविर का आयोजन किया गया, जिनमें कुल 7,17,359 छात्राओं द्वारा भाग लिया गया ।

9 नारकोटिक्स मुख्यालय –

उद्देश्य – मादक पदार्थों के अवैध परिवहन पर रोक एवं मादक पदार्थों के उपयोग से समाज में होने वाले दुष्परिणामों से समाज को अवगत कराना । नारकोटिक्स विंग का गठन वर्ष 1996 में स्वतंत्र इकाई में किया गया साथ ही जिसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्य प्रदेश होकर अवैध मादक पदार्थों के अवैध परिवहन पर नियंत्रण किया जाना रहा है इसके लिये एक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के स्तर के अधिकारी को विभागीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया है।

वर्ष 2002 से नारकोटिक्स के अधिकारियों/कर्मचारियों व्दारा जप्त किये जाने वाले मादक पदार्थों के लिये पृथक से एक थाना स्वीकृत किया गया है जो सम्पूर्ण मध्य प्रदेश इस थाने के क्षेत्राधीन है ।

नारकोटिक्स विंग इंदौर द्वारा एक सहायक इकाई के रूप में नीमच में भी वर्ष 1996 में ''नारकोटिक्स प्रर्वतन प्रकोष्ठ'' की स्थापना की गयी है जहॉ पर पूर्व से एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर एवं उप पुलिस अधीक्षक के अधिकारी का पद स्वीकृत है, जो दोनो वर्तमान में रिक्त है, अतः नीमच में उक्त पद के विरूद्ध एक उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी एवं एक निरीक्षक को पदस्थ किया गया है।

चूँकि म.प्र. राज्य में जिला मंदसौर,नीमच,रतलाम आदि जिलों में राज्य शासन द्वारा अफीम उत्पादन हेतु कृषकों को पट्टे वितरित किए जाते है, इसलिए इन जिलों में अफीम उत्पादन होता है। उक्त जिलों से अधिकांशतः अफीम की तस्करी भी होती है इस बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन ने मन्दसौर जिले में नारकोटिक्स प्रकोष्ठ की स्थापना की है। जिसमें आरक्षक से लेकर पुलिस अधीक्षक तक के कर्मचारी/अधिकारियों के कुल 107 पद स्वीकृत किए गए है, तथा जिला नीमच में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी पदस्थ रहते है, जिनके द्वारा उपरोक्त जिलों में मादक पदार्थो की तस्करी पर नियंत्रण किया जाता है । नीमच जिले में डिप्टी डाईरेक्टर सी.बी.एन. व उनका अमला कार्यरत् है जो केन्द्र सरकार के अधीन है।

नारकोटिक्स मुख्यालय इन्दौर का कार्यालय इन्दौर में प्रारम्भ होने की तिथि से लेकर माह सितम्बर 2016 तक पुलिस थाना पलासिया परिसर स्थित भवन में संचालित हो रहा था । नारकोटिक्स विंग एक महत्वपूर्ण विंग होने एवं इसके कार्य के महत्व को ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत कार्य योजना(डी.पी.आर.) रूपये 766.20 लाख तैयार की जाकर पुलिस मुख्यालय के माध्यम से राज्य शासन की ओर भेजी गई थी जो राज्य शासन द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। पुराने भवन को ध्वस्त कर उसके स्थान पर नारकोटिक्स मुख्यालय का नवीन भवन निर्माण म.प्र. पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड इन्दौर द्वारा किया जा रहा है, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा।

उपरोक्त डी.पी.आर. मे नारकोटिक्स प्रकोष्ठ मंदसौर एवं नीमच के नवीन कार्यालय भवन भी प्रस्तावित है, जिनकी लागत 78.51 लाख रूपये है।

9.1–सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में आयोजित जनजागृति कार्यक्रमों की जानकारी–वर्ष 2017–

शिक्षण संस्थानों में आयोजित जनजागृति कार्यक्रमों की संख्या	उपस्थित छात्र/छात्राओं की संख्या	सार्वजनिक स्थानों पर आम जन के लिए आयोजित जनजागृति कार्यक्रमों की संख्या	नागरिकों की संख्या
155	16645	494	27598

9.2 –नारकोटिक्स विंग द्वारा आयोजित नशामुक्ति एवं जनजागृति कार्यक्रम ''साहस'' की जानकारी–

शिक्षण संस्थानों में आयोजित जनजागृति कार्यक्रमों की संख्या	उपस्थित छात्र/छात्राओं की संख्या
13	5096

10. शासकीय रेल पुलिस –

10.1 विभागीय संरचना शासकीय रेल पुलिस मुख्यालय वर्तमान में पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन,म0प्र0 भोपाल के भवन में किराए से संचालित है। रेल पुलिस मुख्यालय,भोपाल में निम्नानुसार अधिकारी पदस्थ हैः–

1. अति0पुलिस महानिदेशक रेल 01
2. पुलिस महानिरीक्षक रेल 01
3. उप पुलिस महानिरीक्षक रेल 01
4. सहायक पुलिस महानिरीक्षक रेल 01
5. उप पुलिस अधीक्षक रेल मुख्यालय पद रिक्त

10.2 अन्य स्वीकृत बलः–

निरीक्षक– 02,स्टेनो–02,उ0नि–(अ)–04,सउनि–(अ)–04, प्रआर (अ)–01, आर0 (अ)01

अति. पुलिस महानिदेशक रेल म0प्र0का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण रेल्वे क्षेत्र मध्यप्रदेश है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित जीआरपी इकाईयाँ है जिनके प्रभारी पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी हैः–

1. **जीआरपी इकाई – भोपाल**
2. **जीआरपी इकाई – इन्दौर**
3. **जीआरपी इकाई – जबलपुर**

क्रमांक	**इकाई**	**थाने**	**चौकियॉ**
1	भोपाल	10	6
2	इन्दौर	10	7
3	जबलपुर	8	7
योग		28	20

बिन्दु क्रमांक 3 – विभाग के अन्तर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थानो का विवरण :– तीनो जीआरपी इकाईयों के थाने तथा चौकियॉ निम्नानुसार हैः–

10.3 तीनो रेल पुलिस इकाईयो का स्वीकृत बल निम्नानुसार हैः–

पु.अ. रेल	अति. पु.अ. रेल	उ.पु. अ.रेल	निरी.	सूबे.	उ.नि0	सउनि	प्र.आर.	आर.	बाल आर.	कार्या.स्टाफ
3	3	11	27	5	172	224	513	1499	18	58

10.4 दायित्वः –

रेल पुलिस का दायित्व चलती रेल गाड़ियो में घटित होने वाले अपराधो की रोकथाम करना, रेल एंव प्लेटफार्म पर रेल यात्रियों के जान–माल की सुरक्षा करना, घटित होने वाले अपराधों को पंजीबद्व करना, पंजीबद्व अपराधों की विवेचना कर अपराधियो के विरुद्व कार्यवाही करना, विभिन्न राजनीतिक दलो द्वारा किये जाने वाले आंदोलन/प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था, व्हीव्हीआईपी की सुरक्षा हेतु सुमुचित व्यवस्था करना आदि है। रात्रिकालीन यात्री गाडियों में पेट्रोलिंग करना भी रेल पुलिस की जिम्मेदारी है जिससे यात्रियों को सुरक्षा मिल सके एंव अपराधियों पर अंकुश रखने में मदद मिल सके। ट्रेनो में घटित होने वाले अपराधों पर तत्काल कार्यवाही के लिये क्यूआईआरटी (Quick Investigation Response Team) टीमो का भी गठन किया गया है जिसके फलस्वरुप अच्छे परिणाम मिले एंव अपराध पर नियंत्रण में सफलता प्राप्त हुई है । साथ ही सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान हेतु GRP State Response Monitoring System का गठन किया गया है। यात्रा के दौरान यात्री चलती ट्रेन में आवश्यकता होने पर जीआरपी से सीधे सम्पर्क कर सकता है। जीआरपी स्टेट रिस्पॉन्स मॉनिटरिंग सेन्टर मध्यप्रदेश राज्य में कहीं पर भी तुरन्त विधि अनुसार सहायता उपलब्ध कराता है। इसके माध्यम से अपराध पंजीयन तथा अपराधियों को पकडने में समन्वय स्थापित किया जाता है।

10.5 कार्ययोजनाः–

प्रदेश में बढती हुई अपराधिक गतिविधियों को रोकने एवं यात्रियों की सुरक्षा तथा असामाजिक तत्वों द्वारा आतंक फैलाने का प्रयास करने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रदेश के महत्वपूर्ण रेल्वे स्टेशनों में सीसीटीव्ही की स्थापना जरूरी रहेगी। सीसीटीव्ही कैमरो के महत्व को देखते हुए, म0प्र0 राज्य में समस्त महत्वपूर्ण रेल्वे स्टेशन व जीआरपी थाने/चौकियों में सीसीटीव्ही कैमरो (सिस्टम) की स्थापना किये जाने की कार्ययोजना बनाई गई। इंदौर, रतलाम, उज्जैन रेल्वे स्टेशनों के सीसीटीव्ही की फीड सम्बन्धित जीआरपी थाने में प्राप्त की गयी। वित्तीय वर्ष 2017–18 में पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत उपलब्ध राशि रूपये 7,50,000/– से थाना खंडवा में सीसीटीव्ही सिस्टम की स्थापना की गई है। इसके साथ ही उपकरण मद में रेल इकाईयों को प्राप्त आवंटन से इकाईयों के निम्न थाना/चौकियों में सीसीटीव्ही सिस्टम की स्थापना, अपराधों की रोकथाम एवं घटित अपराधों में पतासाजी हेतु की गई है। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

स0कं0	रेल पुलिस इकाई	थाना	चौकी	प्रस्तावित सीसीटीव्ही कैमरे की संख्या
1	इंदौर	इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मेघनगर, नीमच, व्यावरा, शामगढ, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर	महू, नागदा, फतेहबाद, देवास, मक्सी, कालोनी रतलाम, शाजापुर	100
2	भोपाल		बुरहानपुर, मण्डीबामौरा, डबरा, दतिया, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा,	

10.6 उल्लेखनीय सफलता :–

फरियादिया के साथ दिनांक 31/10/17 को रेलवे स्टेशन हबीबगंज के पास आरोपियों द्वारा रोककर बलात्कार किया गया। उक्त अपराध की सूचना पर जीआरपी थाना हबीबगंज में 182/।17 धारा 376–डी, 394, 201, 307, 323, 341, 342, 347, 366, 376(2)एम, 376(2)एन, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण में आरोपी 1. गोलू बिहारी, 2. अमर उर्फ गुण्टू, 3. राजेश चेतराम, 4. रमेश उर्फ सुरेश को गिरफ्तार कर दिनांक 16/11/17 को चालान माननीय न्यायालय भोपाल में प्रस्तुत किया गया। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल न्यायालय द्वारा दिनांक 23/12/17 को उक्त चारो आरोपियों को मात्र 53 दिवस में निर्णय पारित कर आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

11. विशेष सशस्त्र बल–

11.1 विभागीय संरचना एवं अधीनस्थ कार्यालयः–प्रदेश में विसबल की कुल 22 वाहिनियॉ स्वीकृत हैं। सम्पूर्ण इकाईयों/विसबल की प्रशिक्षण संस्थाओं में कुल –31385 का बल स्वीकृत है। विसबल मुख्यालय एवं वाहिनियों में संवर्गवार स्वीकृत बल की स्थिति निम्नानुसार है :–

क0	पद	स्वीकृत बल
1.	अति0 पुलिस महानिदेशक	01
2.	पुलिस महानिरीक्षक, विसबल म0प्र0	06
3.	उप पुलिस महानिरीक्षक, विसबल	02
4.	सेनानी, विसबल	23
5.	सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विसबल	05
6.	उप सेनानी	34
7.	उप पुलिस अधीक्षक, विसबल	01
8.	सहायक सेनानी	133
9.	निरीक्षक विसबल	380
10.	उप निरीक्षक विसबल	1048
11.	सहा0 उप निरीक्षक विसबल	1446

12.	प्रधान आरक्षक	4577
13.	आरक्षक (जी0डी)	15337
14.	आरक्षक, आरक्षक (ट्रेडमेन)	2249
	योग	25242

11.2 वाहन शाखा –

विसबल के अधीनस्थ वाहन शाखा के अन्तर्गत जिला बल/वाहिनियों/केन्द्रीय वाहन कर्मशाला भोपाल एवं वाहन प्रशिक्षण शाला रीवा का एमटी का स्वीकृत बल निम्नानुसार हैः–

1. निरीक्षक (एमटी)		–	13
2. उप निरीक्षक (एमटी)		–	93
3. सहायक उप निरीक्षक (एमटी)		–	405
4. प्रधान आरक्षक (एमटी)		–	1097
5. आरक्षक (एमटी)		–	3274
	योग	–	4882

11.3 पीटीएस आर्म्स–

विशेष सशस्त्र बल के अधीन आर्म्स रिपेयर वर्कशाप भोपाल 7वीं वाहिनी विसबल भोपाल में स्थापित है तथा जिला इकाईयों में पदस्थ आरमोरर शाखा के कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या निम्नानुसार है :–

1. उप पुलिस अधीक्षक	–	01
2. निरीक्षक	–	16
3. उप निरीक्षक	–	64
4. सहायक उप निरीक्षक	–	77
5. प्रधान आरक्षक	–	168
6. आरक्षक	–	319
योग	**–**	**645**

11.4 बैण्ड शाखाः– इस संस्थान में बैण्ड प्रशिक्षण दिया जाता है ।विसबल के अधीन बैण्ड प्रशिक्षण स्कूल भोपाल 7वीं वाहिनी विसबल भोपाल में स्थापित है तथा अन्य जिला इकाईयों में पदस्थ बैण्ड शाखा के कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या निम्नानुसार है :–

1. अति0 पुलिस अधीक्षक	—	01
2. उप पुलिस अधीक्षक	—	01
3. निरीक्षक	—	04
4. उप निरीक्षक	—	09
5. सहायक उप निरीक्षक	—	07
6. प्रधान आरक्षक	—	38
7. आरक्षक	—	152
योग —	**212**	

11.5 अश्वारोही दल —

विसबल के अधीन अश्वारोही दल का प्रशिक्षण संस्थान आरएपीटीसी इन्दौर में स्थापित है तथा अश्वारोही दल प्रथम वाहिनी विसबल इन्दौर, द्वितीय वाहिनी विसबल ग्वालियर , 6वीं वाहिनी विसबल जबलपुर, 7वीं वाहिनी विसबल भोपाल, जिला उज्जैन, जिला खरगौन एवं जिला झाबुआ में स्थापित है। इनकी स्वीकृत संख्या निम्नानुसार है :—

1. उप पुलिस अधीक्षक	—	01
2. वेटनरी आफिसर	—	01
3. निरीक्षक सवार	—	03
4. प्लाटून कमाण्डर सवार	—	07
5. प्रधान आरक्षक	—	33
6. प्रधान आरक्षक कम्पाउन्डर	—	01
7. आरक्षक सवार	—	172
8. आरक्षक सईस	—	49
9. आरक्षक ट्रेडमेन	—	34
योग	—	**301**

11.5 श्वान दल 23वी वाहिनी विसबल भोपाल —

विसबल के अधीन श्वानदल 23वीं वाहिनी विसबल भोपाल में पीटीएस श्वान स्थापित है । इनकी स्वीकृत संख्या निम्नानुसार है :—

1.	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	—	01
2.	उप पुलिस अधीक्षक	—	03
3.	चिकित्सक	—	01
4.	निरीक्षक,विसबल	—	02
5.	उप निरीक्षक, विसबल	—	05

6.	प्रधान आरक्षक	—	24
7.	आरक्षक	—	66
8.	आरक्षक अर्दली	—	04
	योग —	**106**	

11.6 प्रशिक्षण संस्थायें :—

(1) विसबल में विसबल तथा जिला बल, शासकीय रेल पुलिस के अधिकारी/कर्मचारियों हेतु विभिन्न प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं इन प्रशिक्षणों को सुचारू रूप से चलाने हेतु विसबल के अन्तर्गत निम्नलिखित संस्थान वर्तमान में कार्यरत हैं :—

1. आरएपीटीसी इन्दौर
2. 6वीं वाहिनी विसबल जबलपुर
3. 8वीं वाहिनी विसबल छिन्दवाड़ा
4. 13वीं वाहिनी विसबल ग्वालियर
5. पुलिस आर्म्स रिपेयर वर्कशॉप 7वीं वाहिनी विसबल भोपाल
6. पुलिस वाहन प्रशिक्षण शाला रीवा
7. बैण्ड प्रशिक्षण शाला 7वीं वाहिनी विसबल भोपाल
8. श्वान प्रशिक्षण शाला 23वीं वाहिनी विसबल भोपाल

उक्त संस्थानों के नाम में शासन के आदेश क्रमांक/1694/898/2013/बी—3/दो, भोपाल दिनांक 31.10.2013 के माध्यम से निम्नानुसार संशोधन किया गया है :—

11.6.1. पीटीएस विसबल इन्दौर :—

इस संस्थान में नव आरक्षक के बुनियादी प्रशिक्षण के अतिरिक्त 33 इनसर्विसेज कोर्स चलाये जाते हैं जो आरक्षक से लेकर उप सेनानी तक के अधिकारियों के लिए आयोजित किये जाते हैं । इसके अलावा यह संस्थान अन्य राज्यों के सशस्त्र पुलिस बल के नव आरक्षकों को बेसिक प्रशिक्षण भी समय—समय पर सीटें उपलब्ध होने पर चलाता है। इस संस्थान में पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार विभिन्न सेमीनार एवं कार्यशालाएँ भी आयोजित की जाती हैं।

11.6.2. पीटीएस विसबल जबलपुर :—

इस वाहिनी में विसबल के नवआरक्षकों का बुनियादी प्रशिक्षण संचालित किया जाता है । इसके अतिरिक्त इसी संस्थान द्वारा हॉक फोर्स का भी बेसिक प्रशिक्षण एवं रिफ्रेशर कोर्स भी चलाया जाता है ।

11.6.3. पीटीएस विसबल छिन्दवाड़ा एवं पीटीएस विसबल ग्वालियर :—

इन वाहिनियों में विसबल के नवआरक्षकों का बुनियादी प्रशिक्षण संचालित किया जाता है ।

11.6.4 पीटीएस आर्म्स भोपाल :–

इस संस्थान में म0प्र0 पुलिस के हथियारों को सुधारने के साथ–साथ आरमोरर कन्डेन्स कोर्स 6 माह का तथा आरमोरर रिफ्रेशर कोर्स 30 एवं 40 दिन अवधि का संचालित किया जाता है । जिसमें आरक्षक (जीडी) से लेकर आरक्षक (आर्म्स) एवं उप निरीक्षक तक को प्रशिक्षण दिया जाता है ।

11.6.5 पुलिस वाहन प्रशिक्षण शाला रीवा :–

इस संस्थान में प्रमुखतः डीएण्डएम, आटोफिटर, आटोइलेक्ट्रिक, डीएण्डएम रिफ्रेशर, हैवी डीएण्डएम तथा डीआर कोर्स का संचालन किया जाता है । इन कोर्सेज में आरक्षक (जीडी) से लेकर एमटी के आरक्षक से सउनि तक को प्रशिक्षित किया जाता है ।

11.6.7. पीटीएस डॉग भोपाल :–

इस संस्थान में श्वान प्रशिक्षण दिया जाता है ।

11.7 विशेष सशस्त्र बल की उपलब्धियां वर्ष–2017

11.7.1. पीटीएस विसबल इन्दौर :–इस संस्थान में नव आरक्षक के बुनियादी प्रशिक्षण के अतिरिक्त 33 इनसर्विसेज कोर्स चलाये जाते हैं जो आरक्षक से लेकर उप सेनानी तक के अधिकारियों के लिए आयोजित किये गये हैं। इस संस्थान में पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार विभिन्न सेमीनार एवं कार्यशालाएँ भी आयोजित की गईं हैं ।

11.7.2. पीटीएस विसबल जबलपुर :–इस वाहिनी में विसबल के नवआरक्षकों का बुनियादी प्रशिक्षण संचालित किया गया है। इसके अतिरिक्त इसी संस्थान द्वारा हॉक फोर्स का भी बेसिक प्रशिक्षण एवं रिफ्रेशर कोर्स भी संचालित किया गया है ।

11.7.3. पीटीएस 8वी वाहिनी विसबल छिन्दवाड़ा, 13वी वाहिनी विसबल ग्वालियर :–इन वाहिनियों में विसबल के नवआरक्षकों के बुनियादी प्रशिक्षण संचालित किये गये हैं ।

वर्ष 2016–17 में निम्नानुसार नवआरक्षकों का बुनियादी प्रशिक्षण संचालित कराया गया।

क्र	इकाई का नाम	नव आर0 की संख्या	संचालित दिनांक
1	आरपीटीसी इन्दौर एवं 15वी वाहिनी विसबल इन्दौर	427	17/04/17
2	8वी वाहिनी विसबल छिंदवाड़ा	238	01/06/17
		166	15/06/17
3	13वी वाहिनी विसबल ग्वालियर	201	17/04/17
		270	18/05/17
4	6वी वाहिनी विसबल जबलपुर	345	17/04/17
		323	18/05/17
5	15वी वाहिनी विसबल इंदौर	200	18/05/17
6	पीटीएस उज्जैन	300	28/04/17
		300	18/05/17
7	बीएसएफ (सीएसडब्ल्यूटी) इंदौर	450	17/04/17
		300	18/05/17
	कुल योग –	**3520**	

11.7.4. पीटीएस आर्म्स भोपाल :–

इस संस्थान में म0प्र0 पुलिस के हथियारों को सुधारने के साथ–साथ आरमोरर कन्डेन्स कोर्स 6 माह का तथा आरमोरर रिफ्रेशर कोर्स 30 एवं 40 दिन अवधि का संचालित किया गया है। जिसमें आरक्षक (जीडी) से लेकर आरक्षक (आर्म्स) एवं उप निरीक्षक तक को प्रशिक्षण दिया गया है।

11.7.5. पुलिस वाहन प्रशिक्षण शाला रीवा :–

इस संस्थान में प्रमुखतः डीएण्डएम, आटोफिटर, आटोइलेक्ट्रिक, डीएण्डएम रिफ्रेशर, हैवी डीएण्डएम तथा डीआर कोर्स का संचालन किया गया है । इन कोर्सेज में आरक्षक (जीडी) से लेकर एमटी के आरक्षक से सउनि तक को प्रशिक्षित किया गया है ।

11.7.6. पीटीएस डॉग भोपाल :–इस संस्थान में श्वान प्रशिक्षण दिया गया है ।

11.7.7. म0प्र0 पुलिस बैण्ड प्रशिक्षण स्कूल :–इस संस्थान में बैण्ड प्रशिक्षण दिया गया है ।

11.8– 36वी (भा.र.) वाहिनी विसबल बालाघाट का गठन :–

शासन के आदेश दिनांक 07/08/15 के द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिये नवीन 36वी (भा.र.) वाहिनी विसबल बालाघाट का गठन किया गया है। 36वी वाहिनी विसबल बालाघाट के गठन से बालाघाट क्षेत्र में बड़ रही नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लग सकेगा।

11.9– विसबल इकाईयों में खेल गतिविधियां :–

खेल गतिविधियों के अंतर्गत समस्त पुलिस इकाईयों में कर्मचारियों के बच्चों के लिये उत्तम खेल सुविधायें उपलब्ध कराई गईं तथा खेल सामग्री भी उपलब्ध कराई गई। ग्रीष्मकालीन अवकाश में समर केम्प के अंतर्गत बच्चों को विभिन्न खेलों में प्रशिक्षित विशेषज्ञ उपलब्ध कराये गये। इसके अतिरिक्त खेल चित्रकला, सिलाई, कढ़ाई एवं बुनाई आदि का प्रशिक्षण दिया गया।

11.10–योग केन्द्रों की स्थापना।

समस्त पुलिस इकाईयों में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं कार्य क्षमता में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक इकाई से इच्छुक एवं योग्य अधिकारी/कर्मचारियों को जो योग में रुची रखते हैं उन्हें मान्यता प्राप्त योग संस्थानों में प्रशिक्षण दिलाया जाकर समस्त पुलिस इकाईयों में योग केन्द्रों की स्थापना की गई है।

12. राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो पुलिस मुख्यालय भोपाल–

राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो पुलिस मुख्यालय भोपाल के अन्तर्गत निम्न शाखायें कार्यरत है–

12.1 सांख्यिकी शाखाः–

अ. मासिक अपराध विश्लेषण (एमएसी) :– राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा प्रति माह प्रदेश के समस्त जिलों से अपराध एवं अपराधियों से सम्बधित आकडें , 24 परिशिष्टों में एकत्र किये जाते है। मासिक अपराध विश्लेषण (एमएसी) में भादवि के अंतर्गत दर्ज अपराध , स्थानीय एवं विशिष्ट अधिनियम के अंतर्गत घटित अपराध, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही , चोरी के प्रकरणों का शीर्ष वार वर्गीकरण, चोरी व लूटी गई एवं बरामद सम्पत्ति का मूल्य , न्यायालय द्वारा निपटाये गये प्रकरण , पुलिस अधीक्षकों द्वारा जिले में भ्रमण एवं रात्री हॉल्ट , जिलों में 03 माह से/ 01 वर्ष से तथा इससे अधिक अवधि के लम्बित प्रकरण , पुलिस एवं शासकीय कर्मचारियों के विरूद्ध पंजीबद्ध प्रकरणों , एससी/एसटी के पंजीबद्ध प्रकरणों में वर्ग की महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराध व राहत राशि प्रकरणों की जानकारी , बालक–बालिकाओं एंव महिलाओं के विरूद्ध पंजीबद्ध अपराधों की जानकारी एकत्र की जाती है।

ब. मासिक सांख्यिकी जानकारी :– राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा प्रति माह प्रदेश के समस्त जिलों से , एनसीआरबी नई दिल्ली द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा अनुसार अपराध एवं अपराधियों से सम्बधित आकडें ''मासिक सांख्यिकी जानकारी'' भी एकत्र किये जाते है। एकत्रित जानकारी प्रति माह एनसीआरबी नई दिल्ली को प्रेषित की जाती है।

स. क्राईम इन इन्डिया :– राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा प्रति वर्ष प्रदेश के समस्त जिलों से , एनसीआरबी नई दिल्ली द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा अनुसार अपराध एवं अपराधियों से सम्बधित आकडें ''क्राईम इन इन्डिया '' एकत्र किये जाते है।

द. क्राईम इन एमपी :– राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा प्रति वर्ष प्रदेश के समस्त जिलों से , एनसीआरबी नई दिल्ली द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा अनुसार अपराध एवं अपराधियों से सम्बधित आकडें ''क्राईम इन इन्डिया '' एकत्र किये जाते है।

ड. आकस्मिक दुर्धटना एवं आत्महत्याएं :– राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा प्रति वर्ष प्रदेश के समस्त जिलों से , एनसीआरबी नई दिल्ली द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा अनुसार आकस्मिक दुर्धटना एवं आत्महत्याएं '' Accidental Deaths & Sucides In India (ADSI) '' एकत्र किये जाते है।

12.2 वेबसाईट शाखा –

रा.अ.अ.ब्यूरो द्वारा मध्यप्रदेश पुलिस की अधिकारिक वेबसाईट www.mppolice.gov.in संचालित की जाती है। भारत सरकार द्वारा चयनित संस्था के माध्यम से मध्यप्रदेश पुलिस की वेबसाईट को दिव्यांग जनों के लिये अनुकूल बनाया जा रहा है। वेबसाईट को भारत सरकार की वेबसाईट हेतु जारी GIGW AND WCAG गाईड लाईन के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। वेबसाईट की सुरक्षा हेतु इसका सिक्युरिटी ऑडिट भी कराया जावेगा। मध्यप्रदेश शासन द्वारा पुलिस वेबसाईट को सीआईआई संवेदनशील सूचना तंत्र घोषित किया गया है। यह वेबसाईट हिन्दी एवं अंग्रेजी में उपलब्ध है । वेबसाईट के माध्यम से नागरिकों को प्रदान किये जाने वाली नागरिक सेवाओं जैसे– चरित्र सत्यापन, एफ.आई.आर. देखना, शिकायत दर्ज कराना, गुम वस्तु, दस्तावेज की रिपोर्ट दर्ज कराना, गिरफ्तार व्यक्तियों की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।

12.3 सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट–

राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना के अंतर्गत CCTNS (Crime and Criminal Tracking Network & Systems) एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है जो भारत शासन एवं म.प्र. शासन की सहभागिता एवं संयुक्त वित्तीय अनुदान से प्रदेश में क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रोजेक्ट की कुल लागत राशि रू0 8645.88 लाख है। सीसीटीएनएस योजना में कुल 1049 थानें एंव 428 वरिष्ठ कार्यालय सम्मिलित है।

वर्ष 2016 में सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट के अंतर्गत माह जनवरी 2016 में कुल 1019 पुलिस थानों में सी.सी.टी.एन.एस. सॉफ्टवेयर के माध्यम से कार्य प्रारंभ किया गया था। माह जनवरी 2017 से मिशन मोड में कार्य करते हुये माह दिसम्बर 2017 तक कुल 1049 पुलिस थानों में कार्य प्रारंभ कर लिया गया है। वर्ष 2017 में सी.सी.टी.एन.एस. सॉफ्टवेयर में कुल 15577685 रोजनामचा, 379865 प्रथम सूचना रिपोर्ट, 390904 अपराध विवरण पत्रक, 460917 गिरफ्तारी पत्रक, 332988 जब्ती पत्रक, 393931 चालानी पत्रको एंव 30120 कोर्ट डिस्पोजल केसेस का इन्द्राज किया गया है।

सीसीटीएनएस योजना के अंतर्गत वर्ष 2017 में कुल 4297 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया हैं। अभी तक कुल 22265 पुलिस अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षित किये जा चुके है।

वर्ष 2017 में 950826 डाटा का डिजिटाईजेशन किया जाकर कुल 2843460 डाटा का डिजिटाईजेशन का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2017 में 2843460 डाटा माईग्रेशन हो चुका है।

प्रोजेक्ट में सम्मिलित कुल 1477 थानों/कार्यालयों में से 1391 थानों/कार्यालयों में कनेक्टिविटी बी.एस.एन.एल. एवं स्वान के माध्यम से प्रदाय की गई है, शेष 27 नवीन थानों में म.प्र.स्वान द्वारा कनेक्टिविटी प्रदाय किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है। वर्षान्त तक कुल 59 थानों/वरिष्ठ कार्यालयों टेक्नीकली नॉट फीजिबल थे जिसमें स्वान एंव बी.एस.एन.एल द्वारा रेडियो फ्रिकवेन्सी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का कार्य प्रगति पर है।

सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट से विभाग को लाभः–

- प्रदेश के समस्त अपराध एवं अपराधियों की जानकारी समस्त थानों को तत्काल उपलब्ध।
- हस्तलिखित से इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख संधारण की ओर एक कदम।
- विभिन्न रजिस्टर एवं रिपोर्ट सॉफ्टवयेर के माध्यम से तैयार।
- थानों की कार्यवाही का सतत् एवं सघन पर्यवेक्षण संभव।
- गिरफ्तार अपराधियों एवं बरामद संपत्ति की सूचना समस्त थानों में तत्काल प्रसारित।
- चरित्र सत्यापन प्रदेश स्तर पर संभव।
- अपराधियों का इतिहास एवं प्रवृत्ति की जानकारी प्रदेश स्तर पर उपलब्ध।
- विभिन्न राज्यों से अपराधियों की सूचनाओं का आदान–प्रदान संभव।
  सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट से जन सामान्य को प्राप्त होने वाली सुविधाएंः–
  जनसामान्य को सीटिजन पोर्टल citizen.mppolice.gov.in व मोबाईल एप Mpecop के माध्यम से विभिन्न प्रकार की नागरिक सेवायें उपलब्ध कराई जा रही हैं।
- एफ.आई.आर./प्रथम सूचना प्रतिवेदन का अवलोकन
- गुम हुए दस्तावेज एवं मोबाइल की सूचना देना।
- SOS सुविधा संकट के समय डॉयल 100 एवं अन्य पाँच कॉन्टेक्टस को स्वचालित एस.एम.एस. भेजने की सुविधा। इस सुविधा के माध्यम से व्यक्ति की लोकेशन की जानकारी लेटीट्यूड एवं लॉन्गीट्यूड के साथ भेजी जा सकती है।(मात्र मोबाईल एप द्वारा)
- गुमशुदा व्यक्ति एवं अज्ञात शव की सर्च सुविधा।
- वाहन प्रकार, वाहन रजिस्ट्रेशन, इंजन नम्बर जैसे मापदण्ड के आधार पर चोरी गये वाहनो को खोजने की सुविधा ।
- चोरी गये तथा लावारिस वाहनो का जप्त हुए वाहनों से मिलान।
- महत्त्वपूर्ण सेवाओं के आपातकालीन नम्बर
- प्रदेश के सभी पुलिस थानों एवं वरिष्ठ कार्यालयों के दूरभाष नम्बर ।
- जी.पी.एस. (GPS) के माध्यम से अपने निकटतम थानों की जानकारी प्राप्त कर सकते है। (मात्र मोबाईल एप द्वारा)

सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत भविष्य की योजनाएंः–

1. इंटिग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) का क्रियान्वयन।
2. आईसीजेएस के अंतर्गत न्यायालय, अभियोजन, जेल एवं फोरेंसिक लेबोरेटरी का कम्प्यूटरीकरण एवं सीसीटीएनएस से इंटिग्रेशन।
3. परिवहन विभाग से सीसीटीएनएस का इंटिग्रेशन।
4. आटोमेटेड फिंगर प्रिंट आईडेटिफिकेशन सिस्टम की स्थापना एवं सीसीटीएनएस से इंटिग्रेशन।

12.4 लोकसेवा गारन्टी–

म0प्र0शासन की लोकसेवा गारन्टी योजना के अंर्तगत पुलिस विभाग की तीन सेवाओं को जोड़ा गया है।

1. सेवा क्रमांक 11.2– पदाभिहित अधिकारी द्वारा एफ0आई0आर0 की प्रति आवेदक को 01 कार्यदिवस में प्रदाय की जावेंगी।
2. सेवा क्रमांक 11.1– पदाभिहित अधिकारी द्वारा मृतक के परिवार के सदस्य के आवेदन पर पोस्टमॉर्टम(पीएम) रिपोर्ट की प्रति प्रदान करना।
3. सेवा क्रमांक पी.एस.जी. 11.6– मर्ग इन्टीमेशन की छायाप्रति देना। उक्त सेवायें प्रदेश के समस्त नागरिकों को आवेदन करने पर पदाभिहित अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है।

12.5 अंगुलि चिन्ह शाखा–

प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2017(दिनांक 1.1.2017 से 31.12.2017 की स्थिति में)

अंगुलि चिन्ह शाखा द्वारा घटना स्थल से अपराधी के फिंगर प्रिंट खोज, दंडित एवं गिरफ्तार अपराधियों का रिकार्ड संग्रहण, विवादित दस्तावेजों पर अंगुष्ठ चिन्हों की जांच एवं विशेषज्ञ मत तथा घटनास्थल पर प्राप्त चांस प्रिंट का परीक्षण कर अभिमत देना आदि कार्य संपादित किए जाते हैं ।

अंगुलि चिन्ह का प्रशिक्षणः–

दण्डित अपराधियों की अंगुलि चिन्ह पर्णी अभियोजन कार्यालय के माध्यम से न्यायालयों के कोर्ट मोहर्रिरों द्वारा तैयार की जाती है । गिरफ्तार आरोपियों की अंगुलि चिन्ह पर्णी थाना स्तर पर तैयार की जाती है । इसके अतिरिक्त विवेचनाधिकारियों द्वारा दस्तावेजों प्रकरण एवं वस्तु प्रकरणों में आदर्श अंगुलि चिन्ह पर्णियां तैयार की जाती है । तैयार की गई अंगुलि चिन्ह पर्णियां (स्पष्ट–साफ) मिलान एवं तुलना हेतु उपयुक्त होना आवश्यक है। इस हेतु अंगुलि चिन्ह विशेषज्ञों के द्वारा जिला स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान किए जाते है। इस वर्ष 5699 कोलेटर/कोर्ट मोहर्रिर, विवेचनाधिकारी तथा अन्य पुलिस कर्मियों को थाना एवं जिला मुख्यालय स्तर पर अंगुलि चिन्ह् संबंधी प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षु उप निरीक्षकों का प्रशिक्षण :–

अंगुलि चिन्ह शाखा में 05 नव नियुक्त प्रशिक्षु उप निरीक्षकों को अंगुलि चिन्ह् विज्ञान तथा कार्य के संबंध में तकनीकी प्रशिक्षण के अंतर्गत सैद्धान्तिक, प्रायोगिक, प्रोजेक्ट वर्क आदि का प्रशिक्षण पुलिस मुख्यालय की प्रशिक्षण शाखा द्वारा निर्धारित कार्यक्रम अनुसार दिया जा रहा है ।

13 प्रशिक्षण शाखा –

13.1 प्रशिक्षण संस्थान मध्यप्रदेश में पुलिस को ट्रेनिंग देने के लिये निम्न प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत हैः–

(1) म0प्र0 पुलिस अकादमी भौंरी भोपाल
(2) जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर
(3) पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर
(4) पुलिस प्रशिक्षण शाला पचमढी
(5) पुलिस प्रशिक्षण शाला रीवा

(6) पुलिस प्रशिक्षण शाला उमरिया
(7) पुलिस प्रशिक्षण शाला तिगरा
(8) पुलिस प्रशिक्षण शाला सागर
(9) पुलिस प्रशिक्षण शाला उज्जैन

1. मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी भौंरी राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के अंतर्गत उप पुलिस अधीक्षक परिवीक्षाधीन एवं नव नियुक्त उप निरीक्षक को बुनियादी प्रशिक्षण तथा उप निरीक्षक से अति0 पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को इन सर्विस प्रशिक्षण दिया जाता है।

2. म0प्र पुलिस की कार्य क्षमता एवं ट्रेनिंग की कुशलता को बढाने के लिए म0प्र0 पुलिस अकादमी भौंरी भोपाल की स्थापना की गई है। जिसमें वर्तमान में 17 उप पुलिस अधीक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर उनकी पदस्थापना जिलों में प्रारंभ हो गई है। वर्तमान में उक्त उप पुलिस अधीक्षकों की पदस्थापना जिलों में थाना प्रभारी का 03 माह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नये प्रशिक्षण सत्र में 28 जनवरी 2017 से 48 उप पुलिस अधीक्षक का प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा रहा है।

3. 01 पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इन्दौर व 07 पुलिस प्रशिक्षण शाला पचमढी/रीवा/उमरिया/तिगरा/उज्जैन एवं सागर में नव नियुक्त आरक्षकों को बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाता है तथा आरक्षक से सहायक उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों को इन सर्विस प्रशिक्षण दिया जाता हैं।

13.2. प्रशिक्षण क्षमता की अद्यतन स्थिति–

वर्तमान में प्रशिक्षण ले रहे उपुअ/उनि/सूबे/पीसी/नव आर0 की जानकारी

सक्र	संस्थान का नाम	वर्तमान क्षमता	नव आरक्षक 2017–18
1	पीटीसी इंदौर	1500	1064
2	पीटीएस तिगरा	1500	1337
3	पीटीएस पचमढी	500	394
4	पीटीएस उमरिया	500	427
5	पीटीएस रीवा	850	758
6	पीटीएस सागर	500	464
	कुल योग		**4444**

13.2.1 बुनियादी प्रशिक्षण :–

88वां सत्र के अंतर्गत कुल 4444 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

13.2.2 इण्डक्शन कोर्स

आर0 से प्र0आर एवं प्र0आर से सउनि कर्मचारियों के कुल 857 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

13.2.3 क्रेश कोर्स :–

बुनियादी प्रशिक्षण में अनुत्तीर्ण हुये आरक्षकों का क्रेश कोर्स वर्ष 2017 में क्रमश मार्च, मई, जुलाई, नवम्बर एवं दिसम्बर माह में संचालित किये गये जिसमें कुल 70 प्रशिणार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

13.3 भविष्य में होने वाली पुलिस कर्मियों की भर्ती को प्रशिक्षण दिये जाने की कार्य योजना

मध्यप्रदेश पुलिस में निकट भविष्य में कुल 5000 पुलिस कर्मियों की भर्ती की जाना संभावित है। इनका बुनियादी प्रशिक्षण कराया जाना है। वर्तमान में प्रदेश में 07 पीटीएस की क्षमता उपरोक्तानुसार 5000 है। अतः इन 5000 नव नियुक्त पुलिस बल को बुनियादी प्रशिक्षण दिया जायेगा।

13.4 वर्तमान में चलाये जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष 2016–17 के दौरान पूर्ण उप पुलिस अधीक्षकों का बुनियादी प्रशिक्षण

सरल क्रमांक	प्रशिक्षण संस्थान का नाम	प्रशिक्षु संख्या
1	म.प्र.पुलिस अकादमी भौरी, भोपाल	17 संस्थान में प्रशिक्षण पूर्ण
		48 (28.01.17 से प्रारंभ है)
	कुल योग	**65**

वर्ष 2016–17 के दौरान पूर्ण सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग/प्लाटून कमाण्डर का बुनियादी प्रशिक्षण

सरल क्रमांक	प्रशिक्षण संस्थान का नाम	प्रशिक्षु संख्या
1	जे.एन.पी.ए. सागर	202
2	म.प्र.पुलिस अकादमी भौरी, भोपाल	191
3	आर.ए.पी.टी.सी. इन्दौर	327
	कुल योग	**720**

वर्ष 2016–17 के दौरान जारी सूबेंदार/उप निरीक्षक संवर्ग/प्लाटून कमाण्डर का प्रशिक्षण

सरल क्रमांक	प्रशिक्षण संस्थान का नाम	प्रशिक्षु संख्या
1	जेएनपीए सागर	268
2	म.प्र.पुलिस अकादमी भौरी, भोपाल	443
3	आर.ए.पी.टी.सी. इन्दौर	99
4	अअवि क्यूडी भोपाल	02
5	विशेष शाखा भोपाल	41
6	दूरसंचार संगठन भोपाल	11
7	फिंगर प्रिंट एससीआरबी भोपाल	08
	कुल योग	872

सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग एवं प्लाटून कमाण्डर के स्तर के अधिकारियों का बुनियादी प्रशिक्षण माह 24 अप्रेल 2017 से प्रारम्भ है, माह 31 मार्च 2018 में पूर्ण होगा।

वर्ष 2016 के दौरान पूर्ण सूबेदार (अ)/शीघ्रलेखक/सउनि (अ) का बुनियादी प्रशिक्षण–

सक्र	संस्थान का नाम	संस्थान में प्रशिक्षण पूर्ण किया जा चुका है।	
1	पुलिस प्रशिक्षण शाला सागर	सूबेदार (अ)	83
2		सउनि (अ)	221
		कुल योग	304

13.5 राज्य के बाहर प्रशिक्षण

सक्र	विवरण	वर्ष 2017	
		कोर्स की संख्या	प्रशिक्षित अधिकारी
1	भापुसे /रापुसे संवर्ग के अधिकारियों के लिए (जनवरी–2017 से आज तक)	62	132
2	राज्य पुलिस सेवा संवर्ग (आरक्षक से अति0 पुअ तक) के लिए	177	431

13.6 विदेश प्रशिक्षण

सक्र	विवरण	वर्ष 2017	
		कोर्स की संख्या	प्रशिक्षित अधिकारी
1	भापुसे संवर्ग/रापुसे संवर्ग	01	01

14. रूस्तमजी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, इंदौर

14.1 उद्देश्य – विसबल के नव आरक्षक एवं उप निरीक्षक, विसबल के अधिकारी / कर्मचारियों का बुनियादी प्रशिक्षण एवं विसबल के अधिकारियों/ कर्मचारियों को विभागीय कोर्स का प्रशिक्षण देना । सूबेदार बुनियादी प्रशिक्षण, उप निरी.(तक.), आधारभूत प्रशि. एवं उप निरीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक को वेपन एवं टेक्टिस कोर्स डी.आई कोर्स, पी.टी.आई. कोर्स, आउटडोर ट्रेनर कोर्स, यू.ए.सी कोर्स, फाउण्डेशन कोर्स का प्रशिक्षण।

14.2 इतिहास

पुलिस बल में हुए विस्तार एवं प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए सशस्त्र पुलिस के प्रशिक्षण हेतु वर्ष 1980 में इस संस्था की स्थापना की गई । वर्ष 1988 में प्रशिक्षण संस्था को महाविद्यालय का दर्जा दिया गया । वर्ष 2003 में इस संस्था को रूस्तमजी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविघालय का नाम दिया गया। संस्था प्रमुख के पद पर श्री मिलिन्द कानस्कर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक,श्री जे0एस0 कुशवाह, पुलिस उप महानिरीक्षक एवं श्री ए0पी0 सिंह, सेनानी के पद पर पदस्थ हैं ।

14.3 स्थापना

सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविघालय में स्वीकृत बल निम्नानुसार हैं :–

ADG	IG	DIG	CO	DC	AC	ADPO	CC/INS	PC/SI	APC/ASI	HC	CON	CTM	BO	TOTAL
1	1	1	1	1	3	2	15	27	16	103	221	45	6	4443

	SUB-M-HC	SUB-M-ACCTT	SUB-M-STENO	SI-M	ASI-M	HC-M	TOTAL
अनुसचिवीय बल	1	2	3	3	5	1	15

	AC	DR	CC	HC-C	HC-S	CON-S	CON-SAIS	CTM	TOTAL
माउंटेड बल	1	1	1	1	3	20	6	11	44

	SI	ASI	CON.	TOTAL
ग्रंथालय बल	1	1	1	3

	INSP	SI	ASI	HC	CON.	TOTAL
आर्मोररी	1	1	1	4	5	12

	MTO	HC	CON.	TOTAL
एम0टी0	1	2	7	10

14.4 प्रशिक्षण

पुलिस मुख्यालय द्वारा अनुमोदित कोर्स केलेण्डर अनुसार एवं समय–समय पर पु0मु0 व्दारा दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पादित किये गये । वर्ष 2017 (दिनांक 1.1.17से 31.12.17 तक) **71** कोर्स संचालित किये गये । इस अवधि में कुल **3645** अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है । वर्ष **2017** में संस्था द्वारा निम्नांकित कोर्स सम्पादित किये तथा दर्शायेनुसार अधिकारियों /कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया ।

(अ) बुनियादी प्रशिक्षण :–

SNo	Details of the Course	Duration	Date		Allotted Seats	AC/DSP	PROB SI	Rc	Total
			दिनांक से	दिनांक तक					
1	जेल प्रहरी बुनि. प्रशिक्षण	60 दिवस	01/02/2017	03/03/2017	305			272	272
2	पीसी होमगार्ड बुनि. प्रशि.	03 माह	01/09/2017	04/08/2017	52		51		51
3	सहा. जेल अधीक्षक बुनिप्रशि	03 माह	01/09/2017	04/08/2017	22	18			18
4	नव आरक्षक बुनि. प्रशि.	9 माह	04/17/2017	01/30/2018	419			409	409
5	आधारभूत प्रशिक्षण	3 माह	05/01/2017	07/29/2017	116		83		83
6	उनि विसबल बु. प्रशि	9 माह	08/09/2017	05/05/2018	52		49		49
कुल योग					**966**	**18**	**183**	**681**	**882**

विभागीय प्रशिक्षण – अवधि में विभागीय प्रशिक्षणों में प्रशिक्षित किये गये अधि./कर्म. की संख्या निम्न है :–

S.No.	Alltd Seats	DSP AC	CC/ INS	PC/ SI	Prob. SI	ASI & ASI (SAF)	HC	Con.	Total
1	**3591**	**11**	**143**	**385**	**710**	**453**	**323**	**738**	**2763**

14.5 विशेष प्रशिक्षण –

14.5.1 जिला पुलिस इन्दौर जोन के उप निरीक्षक से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों की व्यवसायिक दक्षता में बृद्धि हेतु 05 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण (वर्टिकल इंटरेक्शन कोर्स) 50–50 अधिकारीयों के 04 सत्र आयोजित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था 02 सत्र पूर्ण हो चुके है । शेष 02 सत्र माह फरवरी एंव मार्च 2018 में पूर्ण होगें ।

14.6 12वी पंचवर्षीय योजना मद में वर्ष 2013.14 के लिये निम्न स्वीकृतियाँ प्राप्त हुई है :–

1– स्टेडियम कॉम्पलेक्स 80.00लाख
2– बेसिक एण्ड एडवॉस ऑब्स्टेकल कोर्स इक्यूपमेन्ट 45.00लाख

आर.ए.पी.टी.सी. द्वारा संचालित प्रशिक्षण एवं कल्याणकारी गतिविधियों के संबंध में त्रेमासिक पत्रिका (न्यूज लेटर) का प्रकाशन किया जा रहा है तथा संस्था की वेबसाईट http://www.raptc.gov.in का निर्माण किया गया है जिसमें संस्था की समस्त गतिविधियों की जानकारी को अपलोड किया गया है ।

इस संस्था में विसबल एवं जिला बल के अधिकारियों एवं जवानों हेतु मैप–रीडिंग, जंगल वारफेअर, फील्ड क्राफ्ट के साथ–साथ आधुनिक हथियारों का प्रशिक्षण, योग्य प्रशिक्षकों द्वारा दिया जाता हैं। संस्था के प्रशिक्षक देश में ख्याति प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों व्दारा प्रशिक्षित हैं । विषयों की सुगम एवं उत्साहवर्धक जानकारी देने हेतु नवीन माध्यमों (उपकरणों) का प्रयोग किया जाता हैं । वर्तमान परिवेश में उभर रही चुनौतियों से निपटने के लिए संस्था के अधिकारी/कर्मचारियों को अरबन टेक्टिक्स कोर्स कराया गया तथा

संस्था में संचालित उप निरीक्षक/उप निरीक्षक, विसबल के बुनियादी प्रशिक्षण में भी इस प्रशिक्षण का समावेश किया गया है । इस प्रकार संस्था द्वारा वर्तमान चुनौतियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रशिक्षण को लगातार उन्नत करते हुए प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे वें भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना और अधिक दृढ़ता एवं सक्षमता से कर सकेंगे।

15 दूरसंचार संगठन –

15.1 विभागीय संरचना मध्य प्रदेश दूरसंचार शाखा की संरचना–

पुलिस मुख्यालय के अर्न्तगत भोपाल में दूरसंचार शाखा के प्रमुख अति. पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी है। इनके सहायतार्थ पुलिस महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (रेडियो) भोपाल में कार्यरत है। वर्तमान में राज्य मुख्यालय स्तर पर निम्नानुसार अधिकारी पदस्थ है :–

1.	अति.पुलिस महानिदेशक (दू.सं)	श्री अन्वेष मगंलम्	11/03/2013 से
2	पुलिस महानिरीक्षक (दू.सं)	रिक्त	31/07/2016 से
3	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (रेडियो)	श्री साकेत प्रकाश पाण्डेय	05/12/2017 से

पुलिस दूरसंचार संगठन में पुलिस रेडियो प्रशिक्षण शाला इंदौर एवं 6 रेडियो जोन है। पुलिस रेडियो प्रशिक्षण शाला इंदौर में पुलिस महानिरीक्षक (वर्तमान मे रिक्त), पुलिस अधीक्षक एवं रेडियो जोनो में पुलिस अधीक्षक पदस्थ हैं। रेंज स्तर पर पुलिस उप अधीक्षक (रेडियो) तथा जिलों में निरीक्षक (रेडियो) व उप निरीक्षक (रेडियो) प्रभारी के रूप में पदस्थ है।

15.2 म.प्र.पुलिस दूरसंचार शाखा का मुख्य कार्य निम्नानुसार है :–

I- प्रदेश की पुलिस इकाइयों के बीच संचार व्यवस्था कायम रखना, इस हेतु आवश्यक उपकरण जैसे व्ही.एच.एफ, एच.एफ बैण्ड के वायरलेस सेट तथा सह उपकरणों का क्रय, वितरण संचालन एवं संधारण सुनिश्चित करना।

2. प्रदेश के सभी जिलों को ई–मेल के माध्यम से जोडा जाकर तत्काल संदेश प्रसारित करना।

3. पुलिस दूरसंचार से संबंधित विभिन्न विषयों जैसे समस्त रेडियो सेटो हेतु लाइसेंस प्राप्त करना इत्यादी पर राज्य शासन की ओर से केन्द्र शासन एवं अन्य राज्य सरकारों से समन्वय करना ।

4 उपग्रह पर आधारित संचार संबंधी भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा पोलनेट योजना अंतर्गत स्थापित व्हीसेट के माध्यम से संचार करना।

5. बडें शहरों में भोपाल,उज्जैन,इन्दौर,जबलपुर एवं ग्वालियर में संचार व्यवस्था के लिये रेडियो ट्रंकिंग सिस्टम का संचालन करना।

6. समस्त पुलिस कन्ट्रोलरुम का आधुनिकीकरण कर राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम (डायल 100) आधारित कन्ट्रोल रुम का 24 घंटे संचालन करना।

7. प्रदेश के 61 शहरो मे 2000 सार्वजनिक स्थानो /चौराहो पर सी.सी.टी. व्ही की स्थापना करना तथा स्थापना उपरांत संचालन एंव संधारण करना।

8. प्रदेश पुलिस को त्वरित संचार प्रदान हेतु सी.यू जी सेवा का संचालन कराना एवं सिमों का डाटाबेस संधारण करना।

9. रेल पुलिस के लिये रेडियो ओवर इन्टरनेट प्रोटोकाल आधारित संचार प्रणाली स्थापित एंव संचालित करना।

10. बड़े मेलो/जुलूस एवं भीड़ प्रबंधन करने हेतु एवं पुलिस को कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु अनमेंड एरियल व्हीकल (यूएव्ही) का संचालन करना।

11. बायोमेट्रिक आधारित उपस्थित अंकन व्यवस्था की स्थापना एवं संचालन।

12. संदेशों की गोपनीयता बनाये रखने के लिए जिला स्तर तक क्रिप्टोसेन्टर की स्थापना एवं संचालन।

13. थानो मे सीसीटीव्ही कैमरो की स्थापना करना।

14. विडियो कान्फ्रेसिंग सिस्टम की स्थापना एवं संचालन करना।

15.3 सामान्य एवं प्रमुख विशेषताऐं

विद्यमान संचार व्यवस्था

1. ब्रीच प्रकरणों की रोकथाम हेतु समस्त पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए एवं ब्रीच प्रकरण अप्रेल 2017 से जनवरी 2018 तक एक भी प्रकरण संज्ञान में नहीं आया हैं इसके उपरांत भी संबंधितों को पुनः निर्देशित किया गया एवं कूट एवं गोपनीयता के संबंध में निर्देश दिए गए हैं ।
2. 723 व्हीएचएफ स्टेशनों के सेक्फा साईटिंग क्लियरेन्स की जानकारी ऑनलाईन फीड की गई एवं हार्ड कॉपी डब्ल्यूपीसी विंग संचार विभाग में जमा की गई ।
3. नक्सल प्रभावित जिलों के सीमावर्ती राज्य के थाना/चौकियों से संचार सपंर्क स्थापित है। इसके अतिरिक्त एच.एफ. हॉटलिंक एसएसआर भोपाल में स्थापित कर प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिलें – मण्डला, बालाघाट, डिंडौरी, सीधी, शहडोल, उमरिया, अनूपपूर, सिगरौली एवं जबलपुर को सीधे संचार सम्पर्क से जोडा गया है।
4. हॉकफोर्स मुख्यालय भोपाल से नक्सली क्षेत्रो में पदस्थ हॉकफोर्स यूनिट के मध्य एच.एफ. संचार व्यवस्था स्थापित है ।
5. राज्य के समस्त जिलों में ई–मेल संचार व्यवस्था स्थापित है, जिसके माध्यम से संदेशों का आदान–प्रदान किया जा रहा है।
6. प्रदेश के 38 जिलों में उपग्रह पर आधारित व्ही.सेट संचार डी.सी.पी.डब्ल्यू भारत सरकार के माध्यम से पोलनेट योजना अतंर्गत उपलब्ध कराई गयी है। जिसके माध्यम से संदेशो का आदान प्रदान होता है।
7. जिला इन्दौर, उज्जैन, भोपाल एवं जबलपुर में रेडियो ट्रंकिग सिस्टम स्थापित है। जिसके माध्यम से आरटी– संचार व्यवस्था उपलब्ध है।
8. पुलिस विभाग में संचालित समस्त संचार नेटों – व्हीएचएफ, एचएफ, पोलनेट एवं ई–मेल एकीकृत कर एक ही टर्मिनल पर लाने हेतु 57 नग इंट्रीग्रेटेड डाटा सिस्टम जिला स्तर तक स्थापित कराये गये है। इस सुविधा से त्वरित एवं विश्वसनीय संचार उपलब्ध है।
9. थानों/चौकियों एवं जिलों में स्थित सभी आईडीटी सिस्टम के संचार उपकरण के संचालन हेतु पर्याप्त बिजली न मिलने की समस्या के निवारण हेतु सौर ऊर्जा आधारित 2201 सोलर पेनल (40/100 वॉट) उपकरण स्थापित है।

10. प्रदेश की समस्त 21 वि.स.बल वाहिनियों को संचार सुविधा से युक्त किया गया है।

11. शासकीय रेल पुलिस को भी आवश्यकता अनुसार स्टेटिक एवं हेण्डहेल्ड सेट प्रदाय कर संचार व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है।

12. मध्यप्रदेश शासकीय रेल पुलिस के थानों/चौकियों को सीधे राज्य मुख्यालय भोपाल से व्ही.एच.एफ. संचार पर जोड़ने हेतु 40 थानों/चौकियों में आर.ओ.आई.पी. सिस्टम स्थापित कराए गए है। जिसके द्वारा राज्य मुख्यालय भोपाल से दूरस्थ जीआरपी थाना/चौकियों से व्ही.एच.एफ. पर रेडियो टेलीफोनिक वार्तालाप संभव हो सकी है ।

13. पुलिस विभाग में गोपनीय संदेशों के आदान–प्रदान हेतु संचालित 09 सायफर क्रिप्टोसेंटर को बढ़ाकर समस्त 51 जिलों में क्रिप्टोसेंटर स्थापित किये गये है।

14. राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम (डायल 100) 24 घंटे निरंतर संचालन करना एवं जनता को तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध कराना साथ ही आने वाले कॉलो की एवं प्रदेश क्राईम का विश्लेषण हेतु रिर्पोट बनाना।

15. प्रदेश की जनता की सजगता एवं जागरूकता से सुरक्षा प्रदाय करने हेतु 61 शहरो मे 2000 चौराहो पर सीसीटीव्ही कैमरा स्थापित करना।

16. SCMRC (Safe City Monitoring & Response Center) स्थापित करना एवं संचालन करना।

15.4 प्रमुख उपलब्धियां

1. प्रदेश की जनता को त्वरित पुलिस सहायता प्रदान किये जाने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय पुलिस कन्ट्रोल रुम की स्थापना की गई है। परियोजना का शुभारंभ 1 नवम्बर 2015 से आरम्भ होकर प्रदेश के समस्त जिलों में प्रभावी है। इसमें प्रतिदिन लगभग 25000 काल प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं जिसमें से पुलिस कार्यवाही योग्य लगभग 6000 स्थानों पर एफआरवी (First Responce Vehicle) भेजी जाकर त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जा रही है जिससे जनता का पुलिस पर विश्वास मे वृद्वि आई है।
2. स्मार्ट पुलिसिंग मे डायल–100 सेवा को FICCI Award- 2017 से सम्मानित किया गया।
3. डायल–100 सेवा, सी.सी.टी.व्ही. योजना एवं दूरसंचार संगठन को वर्ष 2017 का SCOTCH Award प्राप्त हुआ है।
4. 01 नवंबर 2015 से 31 दिसंबर 2017 तक 39.40 लाख से भी अधिक पीड़ितों एवं जरूरतमंदों को मौके पर पुलिस सहायता प्रदान की गई है।
5. अभी तक 4,26,816 महिलाओं को आपातकालीन मद्द भी पहुंचाई गई है।
6. 2,62,512 सड़क दुर्घटना स्थलों पर पहुंचकर डायल–100 द्वारा घायलों को अस्पताल पहुॅचाया गया तथा कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित नहीं होने दी।
7. अभी तक डायल–100 द्वारा 337 नवजात शिशुओं को बचाया गया है जिनमें अधिकांश नवजात कन्या
   शिशु है।
8. 4286 गुम बच्चों को उनके माता–पिता/पालकों के पास पहुॅचाया गया है।
9. डायल–100 द्वारा 27,707 अवसाद ग्रस्त महिला एवं पुरूषों को आत्महत्या से रोका गया।

10. अब तक 13,374 वरिष्ठ नागरिकों को सहायता पहुंचाई गई।
11. अभी तक 6348 पुलिस कर्मियों को डायल–100 भोपाल में तथा लगभग तीस हजार पुलिस कर्मियों को डायल–100 प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
12. अभी तक 26 राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा डायल–100 कंट्रोल रूम का दौरा किया गया है ये अधिकारी अपने राज्यों में भी इसी माडल को अपनाना चाहते है।
13. प्रदेश के अन्य विभागों के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा भी राज्यस्तरीय डायल–100 सेवा की भूरि–भूरि प्रंशसा की गई है।
14. रिस्पांस टाइम सुधारने के लिए 500 गाडियॉ का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। अनुकूल शासनादेश अपेक्षित है।
15. अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप डायल–100 कंट्रोल रूम भवन की आवश्यकता है। इस हेतु डीपीआर शासन को भेजी जा चुकी है।
16. डायल 100 योजना मे GIS(Geographic Intregration System) के POI (Point of Internet) संग्रह के अंतर्गत 197800 POI सिस्टम पर अपलोड किये गये। जिस हेतु GIOSPATIAL AWARD 2017 से सम्मानित किया गया है।
17. केन्द्र शासन की योजना नेशनल इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम (112 NER.) के कॉल सेन्टर आपरेशन एवं फ्लीट आपरेशन (40 व्हीकल) हेतु टेन्डर ड्राफ्ट तैयार कर केन्द्र शासन की एडवायजरी अनुसार राज्य शासन से मार्ग दर्शन चाहा गया है।
18. शार्ट कोड 155390 नम्बर को समस्त जिला पुलिस कंट्रोल रूम में स्थापित करने हेतु अनुमति प्राप्त हो गई है। जिसके तहत सभी 51 जिलों में स्थापना का कार्य किया जा रहा है।
19. कुल स्पेक्ट्रम चार्जेज राशि रूपये 78046625/– जमा किया जा चुका है।
20. SCMRC Bhopal, उज्जैन, देवास, सागर, कटनी, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सिंगरौली, खण्डवा एवं ओंकारेश्वर में सीसीटीव्ही सिस्टम का कुशलतापूर्वक संचालन किया गया।
21. योजना के द्वितीय चरण में 35 जिलों के 50 शहरों के 1161 स्थानों पर सीसीटीवी सिस्टम की स्थापना हेतु दिनांक 04/09/2017 को कार्यादेश जारी किया जाकर अधिकांश विभिन्न स्थानों पर कैमरा पोल फाउण्डेशन एवं ODC फाउण्डेशन का कार्य किया गया है।
22. सी.सी.टी.वी. योजना के द्वितीय चरण में सम्मिलित शहरों में सीसीटीवी सिस्टम के कुशल संचालन एवं उचित रखरखाव हेतु इन्दौर के 22 प्रशिक्षणार्थी, जबलपुर के 88 प्रशिक्षणार्थी, भोपाल के 59 प्रशिक्षणार्थी, रेडियो जोन इन्दौर के 23 प्रशिक्षणार्थी, एवं उज्जैन के 42 प्रशिक्षणार्थी इस प्रकार कुल 234 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया।
23. प्रदेश में विगत वर्ष में 276 थानों में सीसीटीवी सिस्टम स्थापित किये गये थे, जिनका इस वर्ष कुशल संचालन किया गया। प्रदेश के 463 थानों में सीसीटीवी आधारित निगरानी व्यवस्था स्थापित करने हेतु सीसीटीवी सिस्टम स्थापना कार्य पूर्ण किया गया एवं 124 थानों में सी.सी.टी.वी. सिस्टम की स्थापना किये जाने हेतु दिनांक 30/12/2017 को क्रयादेश जारी किया गया हैं।
24. योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण में सम्मिलित 27 शहरों में मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा सी.सी.टी.वी. कन्ट्रोल रूम का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।
25. 3 नग यूएवी (Unmanded Arial Vehicle) का कुशल संचालन किया गया। चार चरणों में प्रदेश के 140 अधि./कर्म. को प्रशिक्षित किया गया।
26. प्रदेश के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को अनलिमिटेड सीयूजी कालिंग, 45000 सेकेण्ड लोकल कॉल, 15000 सेकेण्ड नेशनल कॉल, 200 एसएमएस एवं 01जीबी डाटा प्रतिमाह सुविधायुक्त सीयूजी

सिम उपलब्ध कराई गई हैं। म.प्र. शासन द्वारा स्वीकृत इन कुल 79410 सीयूजी सिमों के व्यवस्थित प्रबंधन एवं संचालन हेतु उन्नत सीयूजी वेब पोर्टल mppolice.cug.in की संरचना कर स्थापित किया गया हैं।

27. नवीन सीयूजी वेब पोर्टल के माध्यम से सीयूजी सिमों का डाटा अपडेट कर समस्त इकाईयों द्वारा ऑन–लाइन प्रबंधन एवं संचालन प्रारंभ किया गया जो कि त्वरित एवं अधिक सुविधाजनक हैं।
28. 93 थानों CCTV System की स्थापना कार्य कराया गया एवं 124 थानों में CCTV System स्थापना हेतु कार्यादेश जारी।
29. पुलिस संचार व्यवस्था सुदृढ बनाये जाने हेतु 95 Self Supported Towers की स्थापना कार्य कराया गया।
30. थानों की संचार व्यवस्था हेतु 500 VRLA Bty. क्रय की गई।
31. मध्यप्रदेश शासन द्वारा पुलिस दूरसंचार संगठन के बल पुर्नगठन एवं पद विन्यास के प्रस्ताव को आदेश दिनांक 11.09.2017 एवं समसख्यक आदेश दि. 25.09.2017 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।
32. दूरसंचार संगठन द्वारा वर्ष 2017 मे 19 उनि(रे.) एवं 178 आर.(रे.) के नियुक्ति आदेश जारी किये गये
33. पुलिस दूरसंचार संगठन अंतर्गत वर्ष 2017 में कुल 95 शासकीय सेवकों के स्थानांतरण किये गये है।
34. कीर मीणा पारधी अंतर्गत 01, छत्तीसगढ़ राज्य से वापसी उपरांत वरिष्ठता निर्धारण पश्चात कुल 12 एवं आरक्षक(रेडियो) से प्रधान आरक्षक (रेडियो) के पद पर 01 शासकीय सेवक को पदोन्नति प्रदान की गई।
35. दिनांक 01/01/2017 से 31/12/2017 तक संचालित प्रशिक्षणों का विवरणः– वर्ष–2017 में नव आरक्षक से अति. पुलिस अधीक्षक स्तर तक के अधि./कर्म. को इस संगठन द्वारा 73 विभिन्न कोर्स जैसे– आधारभूत प्रशिक्षण, पी.पी.कोर्स, डायल–100 टी.ओ.टी.–प्रशिक्षण/सीसीटीव्ही सर्विलेंस कोर्स एवं अन्य विभागीय तकनीकी विशेषज्ञता कोर्स हेतु विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों जैसे–पीआरटीएस इन्दौर, आर.ए.पी.टी.सी. इन्दौर, पी.टी.सी. भौरी भोपाल, जेएनपीए सागर, सीपीआरटीआई नई दिल्ली,3–आरएमसी लखनऊ एवं स्थानीय क्रिप्स संस्थान भोपाल तथा जिला रेडियो इकाईयों में भी प्रशिक्षण संचालित कराये गये। जिसमें कुल 4009 अधि./कर्म. को प्रशिक्षित किया गया।

15.5 राज्यस्तरीय पुलिस कन्ट्रोल रूम डायल 100 पर वर्ष 2017 में प्राप्त सूचनाएं

Month	Total Call Received	Total No OF Blank/Prank/Enquiry/ Abusive Calls	Actionable Calls	Total Number Of Dispatches
Jan-17	611568	438605	172963	166186
Feb-17	701579	532822	168757	164711
Mar-17	723219	534945	188274	183776

Apr-17	771794	585156	186638	180691
May-17	820099	628269	191830	193104
Jun-17	768166	574174	193992	197885
Jul-17	737507	560343	177164	181119
Aug-17	747056	576206	170850	169791
Sep-17	694351	533167	161184	162462
Oct-17	738722	556873	181849	180205
Nov-17	651581	496468	155113	161931
Dec-17	656830	487084	169746	171164
Total	8622472	6504112	2118360	2113025

15.6 राज्य स्तरीय पुलिस कन्ट्रोल रूम डायल 100 पर महिलाओं एवं कमजोर वर्ग से संबंधित सूचनाएं

S.No	Sub Type	Jan-17	Feb-17	Mar-17	Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dec-17	Grand Total
1	Family_Disputes	7913	8000	10587	10858	14213	15370	13751	13062	12469	16695	13403	14076	150397
2	Domesticviolence	4068	4939	6106	7414	9109	9944	8293	7687	7663	8902	2783	2218	79126
3	Eve_Teasing	1836	1898	2166	1764	1774	1902	1838	1893	1732	1660	1260	1146	20869
4	Kidnap_Female	179	210	238	254	292	273	200	196	199	196	199	226	2662
5	Rape_Attempt	125	130	179	165	211	203	167	177	161	198	198	233	2147
6	Dowry_Torture	118	127	129	179	228	211	150	121	141	163	138	177	1882
7	Couple_Indecency	162	169	168	144	132	127	122	127	132	135	132	116	1666
8	Child_Marriage	30	126	116	440	525	199	42	13	12	3	49	46	1601
9	Rape	96	106	123	111	130	145	101	127	103	99	117	90	1348
10	Prostitution	66	67	73	68	74	95	86	83	74	85	82	66	919
11	Chain_Snatching	55	33	48	36	71	55	44	43	40	34	38	36	533
12	Sexual_Harasment	21	49	26	40	49	43	32	28	32	20	45	47	432
13	Reserved_Coach	27	38	24	46	48	39	39	29	17	26	24	35	392

14	Brothel	54	33	36	27	23	26	34	23	31	18	44	27	376
15	Wanton_Woman	13	10	8	15	20	8	12	10	5	7	7	99	214
16	Club_Indecency	9	12	6	7	20	15	13	15	14	5	17	13	146
17	Murder_Women	7	5	9	9	12	11	10	9	12	10	12	15	121
18	Scandalous_Video	4	10	7	9	7	9	8	4	4	9	6	10	87
19	Foeticide	5	3	5	2	3	4	8	6	6	1	6	3	52
20	Acid_Attack		8	1	2	4			4	2	3	3	1	28
21	Dowry_Death		2		3	3	1	2	3	1	4	4	3	26
22	Lady_Prisoner							1				2	1	4
	Grand Total	14788	15975	20055	21593	26948	28680	24953	23660	22850	28273	18569	18684	265028

15.7 राज्य स्तरीय पुलिस कन्ट्रोल रूम डायल 100 में वर्ष 2017 में प्राप्त होने वाली प्रमुख सूचनाओं की जानकारी

Top 10 Event Sub Type

S.No	Sub Type	Jan-17	Feb-17	Mar-17	Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dec-17	Grand Total
1	Hurt_Simple	26730	28133	36733	33497	37470	37889	31725	29433	26994	33721	24748	24412	371485
2	Insane_Drunkard	19764	18029	22619	18297	19457	18687	17207	16710	14514	16852	12652	13391	208179
3	Family_Disputes	7913	8000	10587	10858	14213	15370	13751	13062	12469	16695	13403	14076	150397
4	Simple_Accident	9648	10532	10124	11918	12695	10608	9066	9234	8696	9854	10114	10060	122549
5	Domesticviolence	4068	4939	6106	7414	9109	9944	8293	7687	7663	8902	2783	2218	79126
6	Gundagardi	4718	5029	6368	5632	6197	7651	6466	5662	5742	7248	7380	7957	76050
7	Abusing	5379	5414	6273	5534	6287	6716	6714	6570	5787	6860	6009	6333	73876
8	Gambling	4495	4039	3618	2164	2239	2490	3202	4395	3075	6077	3126	3128	42048
9	Loud_Sound	4064	6406	5200	3177	2755	1330	961	1515	2750	1560	3305	4142	37165
10	Theft	2288	2372	2414	2407	2856	2656	2566	2842	2491	2347	2282	2549	30070

15.8 Crime Against Weaker Section Year 2017 Dial 100 Bhopal, MP														
Crime_Weak_Sec Jan-17 to Dec-17														
S.No	Sub Type	Jan-17	Feb-17	Mar-17	Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dec-17	Grand Total
1	Family_Disputes	7913	8000	10587	10858	14213	15370	13751	13062	12469	16695	13403	14076	**150397**
2	Domesticviolence	4068	4939	6106	7414	9109	9944	8293	7687	7663	8902	2783	2218	**79126**
3	Eve_Teasing	1836	1898	2166	1764	1774	1902	1838	1893	1732	1660	1260	1146	**20869**
4	Senior_Citizens	575	601	680	744	764	928	744	821	802	987	920	949	**9515**
5	Abandoned_Child	246	264	233	269	289	273	221	247	202	222	210	187	**2863**
6	Kidnap_Female	179	210	238	254	292	273	200	196	199	196	199	226	**2662**
7	Dowry_Torture	118	127	129	179	228	211	150	121	141	163	138	177	**1882**
8	Child_Marriage	30	126	116	440	525	199	42	13	12	3	49	46	**1601**
9	Attrocity_Child	33	37	22	32	68	66	64	82	84	62	73	112	**735**
10	Sexual_Harasment	21	49	26	40	49	43	32	28	32	20	45	47	**432**
11	Scst_Crime	15	14	12	20	28	21	21	19	23	16	15	23	**227**
12	Abandoned_Infant	15	15	15	11	15	6	22	13	17	19	17	15	**180**
13	Murder_Women	7	5	9	9	12	11	10	9	12	10	12	15	**121**
14	Foeticide	5	3	5	2	3	4	8	6	6	1	6	3	**52**
15	Child_Traffick	4	5	6	3	5	5	4	3	1	3	6	3	**48**
16	Dowry_Death		2		3	3	1	2	3	1	4	4	3	**26**
	Grand Total	15065	16295	20350	22042	27377	29257	25402	24203	23396	28963	19140	19246	**270736**

16 शिकायत शाखा –

1. शिकायत की दिनांक 1.1.17 से 31.12.17 तक की स्थिति में

सक	प्राप्त	निराकृत	शेष
1	14814	10664	4150

2. सी.एम.हेल्पलाइन, एम.पी. समाधान की जानकारी दिनांक 1.1.17 से 31.12.17 तक की स्थिति में

दिनांक 01.101.17 से 31.12.17 कुल प्राप्त हुई शिकायतें	दिनांक 01.01.17 से 31.12.17 निराकृत शिकायतें	दिनांक 01.01.17 से 31.12.17 से लंबित शिकायतें
125572	120514	4618

3. राष्ट्रीय मानव अधिकार के अंतर्गत अभिरक्षा में मृत्यु की जानकारी 2017 की स्थिति में

वर्ष	प्राप्त संख्या
2017	4

गृह विभाग के पत्र क्र. एफ/21–03/2014/दो–ए(3) 1 भोपाल दिनांक 07.03.17 तथा शिकायत परिपत्र 57 ए के अनुसार जनशिकायत निवारण को सीएमहेल्पलाईन में दिनांक 14.02.17 से मर्ज कर दिया गया है, सभी शिकायतें सीएमहेल्पलाईन में ही आती है।

17 अग्निशमन सेवा —

17.1 पुलिस अग्निशमन सेवा म0प्र0 के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्यवाही क्रियान्वयन/संचालित है

1	अति0 पुलिस महानिदेशक, कार्यालय मुख्यालय भोपाल
2	प्रमुख अधीक्षक फायर, कार्यालय, इन्दौर
3	मुख्य नियत्रण कक्ष, फायर एवं पुलिस फायर स्टेशन, लक्ष्मीबाई नगर,इन्दौर
4	पुलिस फायर स्टेशन, मोती तबेला, इन्दौर
5	पुलिस फायर स्टेशन, गॉधी हॉल, इन्दौर
6	अस्थाई पुलिस फायर स्टेशन,जी0एन0टी0मार्केट0 इन्दौर
7	पुलिस फायर स्टेशन, मंत्रालय भोपाल
8	पुलिस फायर स्टेशन, मालनपुर भिण्ड
9	पुलिस फायर स्टेशन, पीथमपुर धार

17.2 पुलिस अग्निशमन सेवा के फायर स्टेशनों के उपलब्ध संसाधनों एवं फायर वाहनों से इन्दौर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों की अग्निदुर्घटनाओं को नियंत्रित किया जाता है। पुलिस फायर स्टेशन मंत्रालय, भोपाल के अन्तर्गत, प्रशासनिक भवन मंत्रालय, सतपुडा, विध्याचल, भवन की अग्निदुर्धटना को नियंत्रित करना ।पुलिस फायर स्टेशन पीथमपुर धार के अन्तर्गत पीथमपुर औधोगिक क्षेत्र, पीथमपुर क्षेत्र एवं आस पास ग्रामीण क्षेत्रों की अग्निदुर्धटना को नियंत्रित करना तथा पुलिस फायर स्टेशन मालनपुर भिण्ड के अन्तर्गत औधोगिक क्षेत्र, आस–पास के ग्रामीण क्षेत्रों की अग्निदुर्धटना को नियंत्रित करना आता है।

17.3 अग्निशमन सेवा के कुल 06 फायर स्टेशन तथा 01 अस्थाई फायर स्टेशन पर कुल – 267 का बल स्वीकृत हैं इसके विरूद्व वर्तमान में कुल 236 कर्मचारी उपलब्ध है। अग्निशमन सेवा में विभिन्न प्रकार के 45 फायर वाहन एवं 06 वाटर मिस्ड बुलेट वाहन के द्वारा अग्निदुर्घटना का नियत्रंण सुनिश्चित किया जाता है।

17.4 उपलब्धियॉ –

17.4 .1/ अग्निदुर्घटना का नियंत्रण :–

विगत वर्ष 2017 के दौरान पुलिस अग्निशमन सेवाऍ म0प्र0 के अंतर्गत कार्यरत् फायर स्टेशन, इंदौर, भोपाल, पीथमपुर एवं मालनपुर पर कुल **661** फायर कॉल प्राप्त हुए। जिनका फायर स्टेशन अनुसार विवरण इस प्रकार है :–

क0	फायर स्टेशन का नाम	कुल फायरकाल
01	पु0फा0स्टे0 गॉधीहाल इंदौर	194
02	पु0फा0स्टे0 लक्ष्मीबाईनगर इंदौर	147
03	पु0फा0स्टे0 पीथमपुर जिला धार	103
04	पु0फा0स्टे0 मोतीतबेला इंदौर	90
05	पु0फा0स्टे0 मालनपुर जिला भिण्ड	78
06	पु0फा0स्टे0 मंत्रालय भोपाल	49
	कुल योग	661

अग्निशमन सेवा में उपलबध संसाधनों एवं अग्निशमन दल के अधिकारी/ कर्मचारियों द्वारा पूर्ण क्षमता से कार्य करते हुए जनधन एवं राष्ट्रीय सम्पति की सुरक्षा की गई तथा गंभीर अग्नि दुर्घटनाओं को समय रहते नियंत्रित किया गया ।

18. को–ऑपरेटिव फ्राड, लोक सेवा गारंटी एवं सूचना के अधिकार–

को–ऑपरेटिव फ्रॉड सेल में सहकारी संस्थाओं,गृह निर्माण संस्थाओं एवं सहकारी बैंकों आदि में होने वाले धोखाधड़ी आदि से संबंधित पजीबद्ध आपराधिक प्रकरणों की जानकारी संकलित कर समीक्षा की जाना है। जिलों में ऐसे लम्बित दर्ज आपराधिक प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु समय–समय पर समीक्षा प्रोग्राम निर्धारित कर लम्बित प्रकरणों की लगातार समीक्षा की जाना, जिससे समीक्षा उपरांत लम्बित प्रकरणों में आवश्यक दिशा निर्देश दिये जाकर समय–सीमा में ऐसे प्रकरणों में सक्षमता के साथ प्रभावी कार्यवाही हो सके। सम्पूर्ण म.प्र. में सहकारी समितियो में होने वाले गबन एवं धोखाधड़ी के प्रकरणों में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी ताकि ऐसे अपराधों पर जिला ईकाई स्तर पर अंकुश स्थापित हो सके और माननीय न्यायालयों में अभियोजन पक्ष मजबूत होकर गबन एवं धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों को न्यायालय से दंडित कराया जा सके।

19 मध्यप्रदेश औद्योगिक सुरक्षा बलः–

राज्य शासन के आदेश दिनांक 4.10.2013 द्वारा प्रदेश में राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन हेतु प्रथम चरण में 1986 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें दो वाहिनी क्रमशः रीवा एवं सिंगरौली में तथा भोपाल में राज्य मुख्यालय स्थापित होना है । इस तारतम्य में अभी तक निम्नानुसार कार्यवाही की गई हैः–

(1) वाहिनी मुख्यालय स्थापित किये जाने हेतु रीवा शहर के समीप ग्राम भटलो में तथा सिंगरौली में ग्राम कनई में भूमि का आवंटन संबंधित जिलों के कलेक्टर द्वारा किया जा चुका है। वाहिनियों की अधोसंरचना विकसित किये जाने हेतु कार्यवाही प्रगति पर है।

(2) बल के कानून व्यवस्थापन हेतु मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 2014 तैयार किया गया है जो दिनांक 14.09.2015 को राजपत्र में प्रकाशित हो कर अस्तित्व में आ गया है।

(3) बल के नियंत्रण हेतु मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल नियम 2017 तैयार किया गया है जो वर्तमान स्थिति में शासन स्तर पर विचाराधीन है।

(4) संस्थान जिनके द्वारा सुरक्षा ली जावेगी उनके साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित करना होगा । उक्त हेतु एम0ओ0यू0 के प्रारूप का शासन से अनुमोदन प्राप्त हो गया है।

(5) विशेष सशस्त्र बल से 374 कर्मचारियों का बल प्रतिनियुक्ति पर लिया जाकर विभिन्न संस्थानों में तैनात किया गया है ।

प्रथम चरण का क्रियान्वयन हो जाने के बाद द्वितीय चरण में एक वाहिनी एवं तृतीय चरण में भी एक वाहिनी का गठन का प्रस्ताव है । इस प्रकार प्रदेश में राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल की चार वाहिनियों का गठन होना है ।

20 यातायात संचनालय–

20.1 सड़क सुरक्षा एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी :– सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिये किये गये प्रयासों के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित सफलता परिलक्षित हुई है । वर्ष–2016 की तुलना में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिये सार्थक प्रयास करते हुये वर्ष–2017 में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आई है । वार्षिक तुलनात्मक स्थिति निम्नानुसार रही है :–

	01 जनवरी 2016 से 31 दिसम्बर 2016	01 जनवरी 2017 से 31 दिसम्बर 2017	कमी संख्या
दुर्घटना	53972	53180	792

20.2 विशेष अभियान :– 01 जनवरी से 31 दिसम्बर 2017 तक प्रदेश के जिलों में निम्न अभियान संचालित हुये ।

प्रदेश में अवैध वाहनों के परिचालन की रोकथाम हेतु विशेष अभियान दिनांक 01.01.2017 से 15.01.2017 तक चलाया गया। प्रदेश के जिलों से विभिन्न धाराओं में कार्यवाही करते कुल समन शुल्क–राशि 2,81,30,460/–रूपये वसूल किया गया।

1. प्रदेश के 09 जिले–भोपाल,इंदौर,ग्वालियर,उज्जैन,जबलपुर,रीवा, सतना,सागर, छिंदवाडा में बिना थर्ड पार्टी बीमा कवर वाले वाहनों की विशेष चैकिंग का अभियान की जानकारी दिनांक 27.03.2017 से दिनांक 03.04.2017 तक चलाया गया। जिसमें कुल चालान 733 में कुल समन शुल्क राशि 5,06,700/–रूपये वसूल किया गया।

2. दिनांक 15.04.2017 से 30.04.2017 तक जिलें में पंजीबद्व/संचालित बसों के विरूद्व अभियान चलाया गया जिसमें प्रदेश के जिलों से कुल चालान–10432 एवं कुल समन शुल्क–56,81,500/– रूपये वसूल किया गया।

3. दिनांक 19.06.2017 से 18.07.2017 तक जिलों में शराब पीकर वाहन चलाने वाले दो पहिया/चार पहिया वाहन चालकों के विरूद्व विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें प्रदेश के जिलों से कुल चालानसंख्या–8386, न्यायालय में पेश किये गये प्रकरणों की संख्या–7017 है तथा सक्षम अधिकारी को लायसेंस निलंबन हेतु भेजे गये प्रकरणों की संख्य–1372 हैं।

4. दिनांक 09.09.17 से 08.10.17 तक कमर्शियल वाहन, स्कूली वाहन इत्यादि में उपयोग हो रहे High decibel shrill/ multi-tone/air horns /pressure horns. के विरूद्व विशेष अभियान चलाया गया है जिसमें कुल चालान–8131 बनाये गये है

5. दिनांक 11.09.17 से 30.09.17 तक **शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों** (सभी प्रकार के वाहन) के विरूद्ध विशेष अभियान चलाया गया है जिसमें प्रदेश के जिलों से कुल चालान संख्या–3709 बनाये गये है।

6. दिनांक 01.10.17 से 31.12.2017 तक **बिना हेलमेट धारण किये दो पहिया वाहन चालकों** के विरूद्व अभियान चलाया गया, जिसमें प्रदेश के जिलों से दिनांक **01.10.17 से 31.12.2017** तक कुल चालान–2,12,325 में समन शुल्क– 5,32,64,100/–रूपये वसूल किये गये है।

7. दिनांक 11.12.2017 से 31.12.2017तक **शराब पीकर वाहन** चलाने वाले वाहन चालकों(सभी प्रकार के वाहन)के विरूद्व अभियान चलाया गया है, जिसमें प्रदेश के जिलों से दिनांक **11.12.2017 से 31.12.2017** तक कुल चालान–3836 बनाये गये। तथा न्यायालय में पेश किये गये चालानों की संख्या–2480 है।

8. दिनांक 11.12.2017 से 31.12.2017 तक **नाबालिग वाहन चालकों** (सभी प्रकार के वाहन) के विरूद्व अभियान चलाया गया है, जिसमें प्रदेश के जिलों से दिनांक **11.12.2017 से 31.12.2017** तक कुल चालान–1989 में समन शुल्क 28,47,100/– रूपये बनाये गये।

20.2 –शमन शुल्क :– प्रदेश की यातायात पुलिस द्वारा सुगम परिवहन व्यवस्था बनाने में लगातार सक्रिय भूमिका निभाई जा रही है । पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान द्वारा लगातार पर्यवेक्षण किया गया जिसके फलस्वरूप म0प्र0 के समस्त जिलों से वित्तीय वर्ष 2016–17 में यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर वाहन चालकों से शासन द्वारा निर्धारित मोटर व्हीकल अधिनियम शुल्क वसूल कर दण्डात्मक कार्यवाही कर कुल रूपये 36,70,61335/–का शमन शुल्क वसूल किया गया है।

20.3 – प्रशिक्षण :– पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा यातायात के संबंध में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बेसिक प्रशिक्षण के साथ–साथ यातायात रिफ्रेशर कोर्स, मानव व्यवहार एवं मानव प्रबंधन कोर्स, तनाव प्रबंधन कोर्स, समय प्रबंधन कोर्स चलाये जाते है। वर्ष 2017 में कुल 40 कोर्स संचालित किये जाकर 1118 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है ।

आगामी वर्ष–2018–19 में 40 कोर्स संचालित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं एवं उनमें मृत्यु की घटनाओं की रोक थाम तथा सड़क दुर्घटना के अपराध के अनुसंधान विषय पर कोर्स चलाने के लिये प्रशिक्षण माड्यूल तैयार किया जा रहा है ।

21 जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी –

यह संस्थान मध्यप्रदेश का एकमात्र संस्थान है जो वर्ष 1906 से स्थापित हैं। यह संस्थान 1660 में दांगी राजा ऊदल शाह द्वारा निर्मित किले में स्थापित है, जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण स्थान है। सन् 1818 में यह किला अंग्रेजों के आधिपत्य में आया गया। इसी किले में सन् 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों को संरक्षण मिला था। सन् 1906 में इसी किले में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किया गया था। सन् 1906 में इसे पुलिस महाविद्यालय का तथा 1986 में पुलिस अकादमी का दर्जा प्राप्त हुआ।

21.1 उद्देश्य–

1.सीधी भर्ती के सूबेदार/उप निरीक्षकों तथा नव आरक्षकों को बुनियादी प्रशिक्षण एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण, पुलिस विभाग के सेवारत् अधिकारियों तथा अन्य विभाग के सुरक्षा अधिकारियों को इन–सर्विस कोर्स का प्रशिक्षण देना।

2.जेएनपीए,हैदराबाद से बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त भापुसे के म0प्र0 कैडर के अधिकारियों को एक माह का प्रायोगिक प्रशिक्षण देना।

दिनांक 01/01/2016 से 31/12/2017 तक संचालित कोर्स का विवरण

क्र0	कोर्स का नाम	पद	प्रशिक्षुओं की संख्या
1.	89वां सूबेदार/उपनिरीक्षक प्रशिक्षण सत्र	दि0 04/04/2016 से 15/03/2017 तक	215
2.	90वां सूबेदार/उपनिरीक्षक प्रशिक्षण सत्र	दि0 15/03/2017 से लगातार संचालित	267

22 तकनीकी सेवायें–

तकनीकी सेवायें, पुलिस मुख्यालय भोपाल की स्थापना मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के आदेश क्र/एफ–1–3/2013/ब–2/2 दिनांक 07.02.2013 के द्वारा हुई थी। वर्तमान में तकनीकी सेवायें शाखा के अन्तर्गत वैज्ञानिक सहायता एवं अनुसंधान से संबंधित एफ.एस.एल./क्यू.डी./फोटो शाखा का कार्य व्यवहारित किया जा रहा है। यह शाखा **अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक**, (तकनीकी सेवायें) **अ0अ0वि0** के सीधे नियंत्रण में कार्य करती है। वर्तमान में इस पद पर दिनांक 24.05.2017 से **श्री डी0सी0 सागर, (भा0पु0से0)** कार्यरत है ।

22.1 विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी :–

वर्तमान में तकनीकी सेवायें शाखा के अन्तर्गत वैज्ञानिक सहायता एवं अनुसंधान से संबंधित एफ.एस. एल./क्यू.डी./फोटो शाखा का कार्य व्यवहारित किया जा रहा है।

22.2 एफ.एस.एल. शाखा :– राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सागर के अन्तर्गत क्षैत्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला इंदौर, भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर कार्यरत हैं इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले में जिला सीन ऑफ क्राईम मोबाईल यूनिट कार्यरत हैं जो घटनास्थल निरीक्षण कर विवेचना अधिकारियों को दिशा–निर्देश देते हैं इसके उपरांत प्रकरण परीक्षण हेतु संबंधित प्रयोगशालाओं को भिजवाने का कार्य किया जाता हैं एवं

फारेंसिक विज्ञान एवं घटनास्थल निरीक्षण से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध करायी जाती है।

22.2.1 प्रयोगशाला सेवा के स्वीकृत, रिक्त एवं भरे हुए पदों की जानकारी

क्र	पद	स्वीकृत पद	कार्यशील पद	रिक्त पद
1	निदेशक	1	0	1
2	वरिष्ठ संयुक्त निदेशक	1	0	1
3	संयुक्त निदेशक	13	05	08
4	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	86	37	49
5	वैज्ञानिक अधिकारी	175	107	68
6	प्रयोगशाला टेक्नीशियन	52	25	27
7	प्रयोगशाला सहायक	76	23	53
8	प्रयोगशाला परिचारक	54	20	34
	कुल योग	**458**	**217**	**241**

22.2.2 राज्य/क्षैत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के प्रकरणों की वार्षिक जानकारी :–

क्र	प्रयोगशाला का नाम	माह–जनवरी 1/17 से दिसम्बर 17 तक प्राप्त प्रकरण	अवधि में कुल निराकृत प्रकरण	दिसम्बर –17 तक शेष लंबित प्रकरण	निराकृत प्रकरणों का प्रतिशत	लंबित प्रकरणों का प्रतिशत
1	एफ.एस.एल सागर	10623	8609	2014	81	19
2	आर.एफ.एस.एल इंदौर	6701	5743	958	86	14
3	आर.एफ.एस.एल ग्वालियर	3451	3292	159	95	5
4	आर.एफ.एस.एल भोपाल	4334	3507	827	81	19
5	आर.एफ.एस.एल जबलपुर	974	881	93	90	10
	योग	**26083**	**22032**	**4051**	**84**	**16**

राज्य योजना आयोग के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में क्षैत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, भोपाल में प्रारंभ की जाने वाली डी.एन.ए. लैब एवं सायबर लैब के उपकरणों हेतु रू. 2.00 करोड़ का आबंटन प्राप्त हुआ था। जिसमें से रू. 0.42 करोड़ व्यय किया जा चुका है तथा शेष राशि रू. 1.58 करोड़ के क्रय की कार्यवाही की जा रही है।

22.3 क्यू.डी. शाखा :– मध्यप्रदेश में केवल एक प्रयोगशाला है। जिसमें म.प्र. पुलिस न्यायालय, म.प्र. शासन आदि के द्वारा भेजे गये विवादित दस्तावेजों के प्रकरणों का परीक्षण किया जाता हैं। शाखा के विशेषज्ञों द्वारा प्रकरणों के अतिरिक्त साक्ष्य हेतु न्यायालय में उपस्थित होना तथा कानून व्यवस्था एवं विधानसभा की ड्यूटी भी तत्परता से की गयी है।

मध्य प्रदेश में केवल एक प्रयोगशाला हैं। जिसमें म0प्र0 पुलिस, न्यायालय, म0प्र0 शासन आदि के द्वारा भेजे गये विवादित दस्तावेजों के प्रकरणों का परीक्षण किया जाता हैं। शाखा के विशेषज्ञों द्वारा प्रकरणों के परीक्षण के अतिरिक्त साक्ष्य हेतु न्यायालय में उपस्थित होना तथा कानून व्यवस्था एवं विधान सभा की डियूटी भी तत्परता से की गई हैं।

22.4 फोटो शाखा

फोटोग्राफी शाखा की स्थापना वर्ष 1956 में अपराध अनुसंधान विभाग के अंतर्गत अपराध अनुसंधान एवं घटना के वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचना के दृष्टिकोण से घटनास्थलों की फोटोग्राफी कराने व सार्थक एवं न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये जाने योग्य फोटोग्राफ लेने एवं उन्हें डेवलप कर प्रिंट बनाने के कार्य के लिये की गई थी।

22.4.1 स्थापना

फोटोग्राफी शाखा की स्थापना वर्ष 1956 में अपराध अनुसंधान विभाग के अंतर्गत अपराध अनुसंधान एवं घटना के वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचना के दृष्टिकोण से घटनास्थलों की फोटोग्राफी कराने व सार्थक एवं न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये जाने योग्य फोटोग्राफ लेने एवं उन्हें डेवलप कर प्रिंट बनाने के कार्य के लिये की गई थी।

22.4.2 कार्यप्रणाली

फोटोग्राफी शाखा द्वारा मुख्यालय एवं जिला स्तर पर अपराध घटनास्थल के अनुसंधान जिससे अपराध घटनास्थल, कानून व्यवस्था, वीवीआईपी डयूटी, विधानसभा ड्यूटीसाथ ही विवादग्रस्त अभिलेख शाखा के प्रकरणों में विवादग्रस्त दस्तावेजों की फोटोग्राफी एवं न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने योग्य एन्लार्जमेंट प्रिंट बनाना, अंगुलचिन्ह शाखा को मिलान हेतु संदेहियों के अंगुलचिन्हों के एन्लार्जमेंट फोटोग्राफ उपलब्ध कराने व रिकार्ड हेतु अपराधियों के फोटोग्राफस उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में अपराध घटनास्थल की फोटोग्राफी सुनिश्चित कराने हेतु जिलों के कर्मचारियों को फोटोग्राफी कार्य का प्रशिक्षण तथा प्रयोग होने वाले फोटोग्राफिक उपकरण एवं कन्ज्यूमेबल्स का प्रदाय एवं कानून व्यवस्था से संबंधित छायांकन का कार्य किया जाता है। प्रदेश के सभी जिलों में अपराध फोटोग्राफी कार्य हेतु जिला फोटोशाखाओं की स्थापना हेतु फोटोग्राफी उपकरणों का प्रदाय किया गया है एवं जिला बल के कर्मचारियों को फोटोग्राफी कार्य हेतु प्रशिक्षित कर उनसे जिलों में फोटोग्राफी कार्य का सुचारू संपादन कराया जा रहा है जिससे अपराधों की वैज्ञानिक विवेचना की दृष्टि से साक्ष्य संकलन हो सके साथ ही पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत मुख्यालय में आधुनिकतम डिजिटल कलर प्लांट की स्थापना की गई है जिसमें जिलों से प्राप्त अपराध घटना स्थलों, कानून व्यवस्था तथा अपराधियों की कलर फिल्मों को डेवलप करके तथा डिजिटल मीडिया दोनों ही प्रकार के कलर प्रिंट भी बनाये जाते है जिससे घटनास्थल के अनटेंपर्ड, अववेचना/अनुसंधान हेतु तथा न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने योग्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वास्तविक कलर रिप्रोडक्शन वाले फोटोग्राफस उपलब्ध कराये जा रहे है मुख्यालय स्तर पर कार्य किये जाने से फोटोग्राफस में फेरबदल/टेंपरिंग की सभावनायें समाप्त कर कार्य की गोपनीयता सुनिश्चित की गई।

कार्यालय मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल
वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2017–18

म0प्र0पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत गठित पंजीकृत अर्द्धशासकीय संस्था है। संस्था का गठन 31 मार्च 1981 को राज्य में सेवारत पुलिस कर्मचारियों के लिए आवास गृह एवं प्रशासकीय भवनों के निर्माण के लिए किया गया था। कार्पोरेशन की स्थापना से लेकर अभी तक कार्पोरेशन द्वारा पुलिस कर्मचारियों के लिए 27925 आवासीय क्वार्टर एवं 1333 प्रशासनिक भवन एवं अन्य कार्यो का निर्माण किया गया है।

कार्पोरेशन की स्थापना मूख्यतः इन उद्येश्यों की पूर्ति के लिये हुई है ।

- मध्य प्रदेंश पुलिस विभाग के प्रशासनिक भवन एवं कर्मचारियों के लिये आवासीय भवनें की योजना बनाना एवं उनका क्रियान्वयन ।
- भवनों की सर्व–सुविधायुक्त अधोसंरचना के माध्यम से उच्च गुणवत्ता एवं सर्व सुविधायुक्त भवन निर्माण, वाटर टैंक विद्युतीकरण, सेनेटरी आदि सभी सुविधाओं का समावेश
- आवासीय एवं प्रशासनिक भवन परिसर की अधोसंरचना का उन्नयन जैसे सड़क बिलजी, पानी निकासी की समुचित व्यस्था ।

वित्तीय वर्ष 2016–2017 की उपलब्धियॉ

(1) वित्तीय वर्ष 2016–17 में निर्माण कार्यो पर व्यय का निर्धारित लक्ष्य रु. 294.34 करोड़ रखा गया था। निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध रु. 296.10 करोड़ निर्माण कार्यो पर व्यय किया गया। जो कि निर्धारित लक्ष्य से अधिक है ।

(1) वित्तीय वर्ष 2016–17 में 12वीं पंचवर्षीय राज्यांश के अतंर्गत राज्य आद्योगिक सुरक्षा वाहिनी की स्थापना, केन्द्रीयकृत पुलिस काल सेंटर एवं नियंत्रण कक्ष, सी.सी.टी.व्ही. नियंत्रण कक्ष, पुलिस आईटीआई, विसबल संस्थाओं का पूर्नगठन, फोरेंसिक साईंस, पुलिस लाईब्रेरी का पूर्नगठन, बडे. शहरो में यातायात प्रबंध, राजमार्ग सूरक्षा, फायरिंग रेंज का विकास, इत्यादि के अंतर्गत स्वीकृत कार्य रु. 302.36 करोड़ के निर्माण कार्य प्रगति पर है । इसके अतिरिक्त मुख्य मंत्री आवास योजना 2014–15 के अंतर्गत 2500 आवास गृह जिनकी लागत रु. 284.23 करोड़ है का निर्माण भी किया जा रहा है ।

(2) कार्पोरेशन द्वारा वर्ष 2016–17 में 2388 आवास गृह तथा 69 प्रशासकीय भवनो एवं अन्य कार्यो का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया। कार्पोरेशन द्वारा विगत 10 वर्षो में .8080 आरक्षक/प्र0आर0 आवास गृह, 1976 अराजपत्रित आवास गृहो सहित कुल 10056 आवास एवं 435 प्रशासनिक भवनो एवं अन्य कार्यो का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान लिए जाने वाले नवीन मद के कार्यक्रम तथा लक्ष्यः–

1. मुख्य मंत्री पुलिस आवास योजना के अंतर्गत पुलिस विभाग के लिये 10500 आवास गृह स्वीकृत किये गये है जो लगभग पूर्णता की ओर है ।
2. मुख्य मंत्री पुलिस आवास योजना के अंतर्गत आगामी 5 वर्षो में 25000 आवास गृह स्वीकृत की स्वीकृति दी गई है । जिसके प्रथम चरण में 5000 आवास गृह निर्मित किये जा रहे है तथा द्वितिय चरण में भी 5000 आवास गृह निर्मित किये जाने की प्रकिया प्रारंभ कर दी गई है ।
3. 12वी पंचवर्षीय राज्यांश योजना में रू. 302.36 करोड की प्राप्त राशि के अंतर्गत, प्रस्तावित निर्माण प्रगति पर है।
4. पुलिस आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2013–14 के अतंर्गत रु. 92.91 करोड़ एवं वर्ष 2014–15 के अंतर्गत 68.91 करोड़ के स्वीकृत प्रगतिरत निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है ।

विभागीय पदोन्नती, विभागीय जॉच, नियुक्तियां, स्थानांतरण, न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्णण दिनांक 30.04.2016 के द्वारा म.प्र. सिविल सेवा पदोन्नती में आरक्षण नियम 2002 निरस्त किये जाने एवं म.प्र. शासन द्वारा उक्त निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्य न्यायालय में प्रस्तुत एस.एल.पी. विचाराधीन के कारण पदोन्नतीयां रुकी हुई है । निगम में रिक्त सीधी भर्ती पदों पर आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाकर रिक्त पद भरे गये है । विभागीय जॉच समय पर निराकृत की गयी, एक विभागीय जॉच 04 माह से कम अवधि की लम्बित है । प्रशासनिक कारणों से निगम की आवश्यकता अनुसार समय–समय पर स्थानान्तरण आदेश जारी किये गये है । न्यायालयीन प्रकरण–माननीय सर्वोच्य न्यायालय में 01, माननीय उच्च न्यायालय में 17 प्रशासनिक, सम न्यायालय में 04, मध्य प्रदेश मध्धस्थ अभीकरण में 04 श्रम न्यायालय में 01 कुल 27 प्रकरण विचाराधिन है। सभी प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी एवं अधिवक्ता नियुक्त किया जाकर समय पर जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है। सभी प्रकरण सामान्य प्रकृति के है।

———*******———

मध्यप्रदेश होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा संगठन का
वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2017–2018

विभागाध्यक्ष

भाग – एक

विभागीय संरचना 1:1 मध्यप्रदेश होमगार्ड की स्थापना 1947 में मध्यप्रदेश होमगार्ड एक्ट, 1947 के तहत की गई थी । यह स्वयंसेवी संगठन है जिसके गठन करने के दो मुख्य उद्देश्य हैं :–

(अ) प्रदेश में आपतकालीन स्थिति में शांति एवं व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस बल को सहायता करना।

(ब) लोक कल्याणकारी कार्यों के सहयोग एवं नागरिक सुरक्षा से संबंधित कार्यों का सम्पादन करना ।

अधीनस्थ कार्यालय 1:2 मुख्यालय के अधीनस्थ जबलपुर में एक केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान मंगेली, जबलपुर में स्थापित है, जहॉ के कार्यालय प्रमुख कमाण्डेन्ट हैं, जो संभागीय सेनानी स्तर के अधिकारी हैं। इस संस्थान में होमगार्ड स्वयंसेवकों के बेसिक प्रशिक्षण को छोड़कर एडवांस कोर्स/पुरूष एवं महिला लीडरशिप कोर्स/वाटरमैनशिप कोर्स आदि का प्रशिक्षण एवं प्लाटून कमाण्डर स्तर तक के अधिकारियों/कर्मचारियों का बेसिक प्रशिक्षण एवं रिफ्रेशर कोर्स तथा डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेंट/कम्पनी कमाण्डर तक के अधिकारियों का रिफ्रेशर कोर्स संचालित किया जाता है । इस प्रशिक्षण संस्थान को एक उच्च कोटि के प्रशिक्षण संस्थान के रूप में उन्नयन हेतुं (डी0पी0आर0) योजना तैयार की गयी है । शासन से प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्राप्त कर इस योजना के क्रियान्वयन की कार्यवाही की जायेगी ।

प्रदेश के 10 सम्भागीय कार्यालयों में मुख्यालय के ''नोडल अधिकारी'' के रूप में डिवीजनल कमाण्डेन्ट पदस्थ होकर अपने अधीनस्थ जिलों के कार्यालयों पर नियंत्रण रखते हैं ।

मध्य प्रदेश के सभी 51 जिलों में जिला कार्यालय स्थापित है, जिसमें एक–एक डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेन्ट के पद स्वीकृत हैं।

होमगार्ड विभाग में स्वयं सेवी सैनिक का बल संख्या 16305 स्वीकृत है, तथा सुचारू रूप से प्रशासनिक संचालन हेतु 1410 नियमित अधिकारी /कर्मचारी के पद स्वीकृत हैं। इसके अतिरिक्त राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल हेतु 550 स्वयं सेवी सैनिक का बल स्वीकृत है, जिसके संचालन हेतु भोपाल मुख्यालय में राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल स्थापित है जिसमें आपातकालीन सूचना हेतु दूरभाष /टोल फ्री नंबर 1079 स्थापित है। एवं स्टेट कमांड सेन्टर के लिये 51 जिला में से 04 जिला इकाइयों (भोपाल, इन्दौर ,जबलपुर एवं ग्वालियर) हेतु 88 कुल 132 नियमित पद के पद स्वीकृत है । **2....**

विभाग के अन्तर्गत आने वाले मंडल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरण 1:3 ''निरंक''

विभाग के दायित्व 1:4

मध्यप्रदेश होमगार्ड संगठन की स्थापना मध्यप्रदेश बरार नगरसेना, नियम– 1947 के अंतर्गत की गई है। वर्ष 1956 में मध्यप्रदेश राज्य की स्थापना होने पर इसे राज्य विधान सभा व्दारा आवश्यक संशोधनों

सहित अंगीकृत किया गया। वर्तमान में मध्यप्रदेश होमगार्डस नवीन नियम 2016 है, जो दिनांक 13–04–2016 प्रभावशील है।

मध्यप्रदेश होमगार्ड संगठन को स्वयंसेवी प्रकृति के कार्यकर्ताओं के समूह रूप में परिकल्पना की गई थी। जिसमें उन्हें पुलिस विभाग को सहायता प्रदान करने का मुख्य दायित्व प्रदान किया गया था । कालान्तर में मध्यप्रदेश होमगार्ड संगठन के सदस्यों को शासन के विभिन्न विभागों व्दारा संचालित लोक कल्याण के विभिन्न उपायों के क्रियान्वयन में भी समुचित सहायता प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया ।

विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी 1:5 होमगार्ड विभाग एक स्वयं सेवी संस्था(संगठन) है, जिसका मध्यप्रदेश मुख्यालय जबलपुर साउथ सिविल लाइन जबलपुर में स्थापित है। विभाग का प्रदेश स्तर का एक केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान मंगेली, जबलपुर में है तथा सभी संभाग एवं जिला स्तर पर जिला कार्यालय भी स्थापित हैं।म0प्र0 होमगार्ड विभाग का कार्य पुलिस विभाग को सहयोग करना है तथा शासन के दीगर विभागों को उनके लोक कल्याण कार्यक्रमों में क्रियान्वन में यथोचित सहयोग प्रदान करना है ,साथ ही विभाग में शासन द्वारा राज्य आपदा आपतकालीन मोचन बल का गठन किया गया है, जो भोपाल मुख्यालय एवं स्टेट कमांड सेन्टर 04 जिला इकाइयों (भोपाल ,इन्दौर ,जबलपुर एवं ग्वालियर) में स्थापित है ।

सामान्य या प्रमुख विशेषताएं 1:6 मध्य प्रदेश के 51 जिलों में मध्यप्रदेश होमगार्ड की 97 कंपनियां वितरित की गई हैं। होमगार्ड का बल आपातकालीन स्थिति में पुलिस बल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी ड्यिूटी का निर्वहन करते हैं। प्राकृतिक तथा मानव निर्मित आपदाओं की स्थिति में बाढ बचाव तथा राहत कार्यों में जिला प्रशासन एवं पुलिस बल के साथ उल्लेखनीय सहयोग प्रदान करता है।

महत्वपूर्ण सांख्यिकी 1:7 – ''निरंक''

भाग – दो

2:1 बजट विहंगावलोकनः–इस विभाग का बजट प्रावधान वर्ष 2017–2018 का निम्नानुसार थाः–

मांग संख्या–03–2070– अन्य प्रशासनिक सेवाएं –107 होमगार्ड

क्र0	बजट शीर्ष एवं कोड़ क्रमांक	विभाग का प्रस्तावित बजट 2017–18	शासन द्वारा स्वीकृत बजट 2017–18	प्रथम अनुपूरक वर्ष 2017–18 में शासन व्दारा स्वीकृत बजट	शासन द्वारा कुल स्वीकृत बजट वर्ष 2017–18
1	–0492– आव्हान पर होने वाला व्यय	2,75,08,71,000	2,15,46,20,000	–	2,15,46,20,000
2	2710– प्रधान सेनानी का कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय	90,67,60,000	55,63,67,000	–	55,63,67,000
3	–4670– स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण	18,81,53,000	5,76,50,000	–	5,76,50,000
4	स्कीम–7867– नगरसेना का आधुनिकीकरण	5,00,00,000	2,30,00,000	–	2,30,00,000
	योग 107–होमगार्ड	**3,89,57,84,000**	**2,79,1637,000**	**–**	**2,79,16,37,000**
5	53– डिक्री धन का भुगतान	1,00,000	1,00,000	–	

मॉग संख्या–04–2070–अन्य प्रशासनिक सेवाऐं– 106– नागरिक सुरक्षा

क्र0	बजट शीर्ष एवं कोड़ क्रमांक	विभाग का प्रस्तावित बजट 2017–18	शासन द्वारा स्वीकृत बजट 2017–18	प्रथम अनुपूरक वर्ष 2017–18 में शासन व्दारा स्वीकृत बजट	शासन द्वारा कुल स्वीकृत बजट वर्ष 2017–18
1	1558–नागरिक सुरक्षा	8,19,14,000	42,08,000	–	42,08,000
2	6288–नागरिक सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण	25,10,000	1,21,000	–	1,21,000
	योग–नागरिक सुरक्षा	**8,44,24,000**	**43,29,000**	**–**	**43,29,000**

जेण्डर बजट :– जानकारी ''निरंक'' है।

भाग – तीन

राज्य योजनाए तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाऍः–

आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत माह जनवरी 2017 से दिसम्बर 2017 तक की जानकारी निम्नानुसार है :–

––शासन द्वारा वर्ष 2015–16 की द्वितीय अनुपूरक अनुमान में बजट राशि रू0 2,30,00,000–00 मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ था।

I. सामग्री

क्र0	**वस्तु का नाम**	**कुल सामग्री की संख्या**	**कुल राशि**	**रिमार्क**
1	इनफलेटेबल लाईटिंग टॉवर	09 नग	18,37,558–00	वित्तीय वर्ष 2015–16 के अंतर्गत अनुपूरक अनुमान बजट वर्ष 2016–17 में माह दिसंबर में प्राप्त हाने

				के कारण केवल 02 सामग्री क्रय की जा सकी।
2	डायविंग सूट किट सहित	13 नग	49,72,500	
		योग	68,10058–00	

कुल व्यय राशि का योग :– 68,10058–00/–

समरी :–

शासन व्दारा प्राप्त आवंटन – **2,30,00,000–00**
व्यय राशि रू0 **– 68,10058–00**
शेष बचत राशि रूपये – **1,61,89,942–00**

भाग – चार

सामान्य प्रशासनिक विषयः–

वर्ष 2016 में 209 न्यायालयीन प्रकरण लंबित थे। वर्ष 2017 में (दिनांक 01–01–17 से 31–12–17 तक) 27 नये न्यायालयीन प्रकरण प्राप्त हुए हैं, इस तरह कुल 236 प्रकरणों में 30 प्रकरणों का निराकरण माननीय न्यायालय द्वारा किया गया है एवं 206 प्रकरण लंबित हैं।

वर्ष 2016 में 07 विभागीय जांच के प्रकरण लंबित थे। वर्ष 2017 में (दिनांक 01–01–17 से 31–12–17 तक) 02 प्रकरण संस्थित हुये , इस तरह कुल 09 प्रकरणों में 01 प्रकरण का निराकरण हुआ है एवं 08 विभागीय जांच के प्रकरणों में कार्यवाही चलन में है।

वर्ष 2016 में 67 शिकायत के प्रकरण लंबित थे। वर्ष 2017 में (दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2017 तक) 76 नई शिकायतें प्राप्त हुईं। इस तरह कुल 143 शिकायतों में 79 शिकायतें निराकृत हुईं तथा 64 प्रकरण प्रक्रियाधीन हैं।

नियुक्तियां एवं स्थानांतरण :–

होमगार्ड विभाग में वर्ष 2017 में प्लाटून कमाण्डंर के 40 पद पर एवं शीघ्र लेखक ग्रेड –03 के 01 पद तथा सहायक ग्रेड –03 के 06 पदों पर नवीन नियुक्तियां म0प्र0 प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल के चयन उपरांत की गई हैं।

मध्यप्रदेश होमगार्ड विभाग में वर्ष 2017 के अंतर्गत शासन द्वारा प्रसारित स्थानांतरण नीति के तहत होमगार्ड विभाग द्वारा नीतियों में दर्शित दिशा– निर्देश एवं शर्तों के अनुसार ही स्थानांतरण की कार्यवाही की गई है।

जिले में उपलब्ध होमगार्ड बल में से वर्ष भर होमगार्ड स्वयं सेवी सैनिकों के रिफ्रेशर कोर्स का संचालन संभागीय मुख्यालय/जिलों में चलाये जाते है । इसके अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान होमगार्ड मध्यप्रदेश मंगेली जबलपुर तथा संभागीय मुख्यालय में एडवॉस तथा लीडरशिप कोर्स का संचालन किया जाता है। इसी प्रकार मध्यप्रदेश के आर0सी0व्ही0पी0 नरोन्हा प्रशासन एवं प्रंबधनकीय अकादमी मध्यप्रदेश भोपाल व्दारा समय–समय पर जिन कोर्सेस का संचालन किया जाता है, उसमें सीटो के आवंटन के आधार पर होमगार्ड के विभागीय अधिकारियों को नामांकित किया जाता है। इसके अतिरिक्त पुलिस अकादमी भौरी, भोपाल में नव–नियुक्त डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेन्टो का बुनियादी प्रशिक्षण कराया जाता है।

उल्लेखनीय उपलब्धियां :– (अ) 05 राज्य उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड, पंजाब, गोवा एवं मणिपुर के राज्यों में विधानसभा चुनाव 2017 हेतु मध्यप्रदेश होमगार्ड विभाग के 03 कम्पनियां अर्थात् प्रतिकम्पनी 100 बल के मान से 300 स्वयंसेवी सैनिको को कानून व्यवस्था हेतु चुनाव डियूटी दिनांक 15 जनवरी 2017 से 08 मार्च 2017 तक पंजाब एवं उत्तरप्रदेश राज्य के विधानसभा चुनाव हेतु तैनात किया गया था।

(ब) उपविधानसभा क्षेत्र क्रमांक 09 अटेर जिला भिण्ड एवं उप विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 89 बांधवगढ जिला उमरिया में चुनाव संपन्न कराने हेतु कानून व्यवस्था के लिये डियूटी दिनांक 06.04.2017 से 10.04. 2017 तक होमगार्ड का बल पुलिस विभाग को 355 उपलब्ध कराये गये थे।

(स) कर्मचारी चयन आयोग (मध्यप्रदेश क्षेत्र) रायपुर , छत्तीसगढ राज्य द्वारा आयोजित ''मल्टी टास्किंग'' स्टॉफ परीक्षा 2017 जो मध्यप्रदेश राज्य के अन्य जिलों में आयोजित दिनांक 30.04.2017, 14.05.2017 तथा 28.05.2017 को परीक्षा आयोजित की गई थी। उक्त परीक्षा के कानून व्यवस्था हेतु होमगार्ड स्वयं सेवी सैनिक जिसमें पुरूष एवं महिला 338 का बल डियूटी हेतु तैनात किया गया था।

(द) सतना जिले के चित्रकूट उप विधानसभा चुनाव 2017 दिनांक 09.11.2017 को चुनाव संपन्न कराने हेतु कानून व्यवस्था हेतु 171 होमगार्ड स्वयंसेवी सैनिकों का बल दिनांक 05.11.2017 से 10.11.2017 तक उपलब्ध कराया गया था।

गणतंत्र दिवस 2017 के अवसर पर होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा के अधिकारियों/कर्मचारियों/स्वयं सेवी सैनिकों को महामहिम राष्ट्रपति जी का विशिष्ट सेवा एवं सराहनीय सेवा के लिये पदक प्राप्त होने संबंधी जानकारी :–

<u>सराहनीय सेवा के लिये होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा पदक</u>

1–श्री लाल बहादुर कोल, डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेंट , होमगार्ड सीधी।

2–श्री भगवान दास बैण्डवाल, ए0एस0आई0(एम), होमगार्ड उज्जैन।

3–श्री मदन सिंह परते, स्वयं सेवी सैनिक 233,होमगार्ड सिवनी।

4–श्री मो0 वकील स्वयं सेवी सैनिक 184 , होमगार्ड सिवनी।

होमगार्ड एवं आपदा प्रबंधन विभाग की क्षमतावृद्धि/उपलब्धियां

(1) सिविल डिफेन्स का उन्नयनः–

(अ) आपदा के समय जनसमुदाय की विशेष भूमिका होती है । कल्याणकारी एवं संवेदनशील राज्य की प्रतिवध्दता के रूप में घटना स्थल पर सर्वप्रथम पहुॅचकर जान–माल की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये वर्ष 2009 में भारत शासन के सिविल डिफेंन्स एक्ट 1968 में संशोधन कर सिविल डिफेन्स वॉलेन्टियर्स की आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौपी है । म0प्र0 में पूर्व में मात्र भोपाल,इन्दौर , जबलपुर , ग्वालियर व कटनी को ही सिविल डिफेन्स जिला घोषित किया गया था । अब शासन ने दो चरणों में क्रमशः 20 एवं 26 शेष जिलों को भी सिविल डिफेन्स जिला घोषित कर अब म0प्र0 के सभी 51 जिलों को सिविल डिफेन्स जिला घोषित किया जा चुका है ।

(ब) किसी भी आपदा के समय सिविल डिफेन्स वालेंटियर फर्स्ट रिस्पोण्ड के रूप में अहम भूमिका निभाते हैं। भारत सरकार के डायरेक्टर जनरल फायर सिविल डिफेन्स तथा होमगार्ड नई दिल्ली ने भी राज्यों को अपनी कुल जनसंख्या का 01ः भाग सिविल डिफेन्स वालेंटियर बनाने का लक्ष्य है। मध्यप्रदेश के जनसंख्या के आधार पर लगभग 80,000 सिविल डिफेन्स वालेंटियर बनाये गये हैं।

(2) आपदा कमाण्ड एवं रिस्पॉस मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापनाः–

प्रदेश में आने वाली सभी प्रकार की प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के लिये विभाग द्वारा एक विशेष बेव पोर्टल ॅणीवउमहनंतकण्उचण्हवअण्पद तैयार किया गया है। जिसमें प्रदेश के सभी विभागों को, औद्योगिक इकाईयों, गैर सरकारी एवं समाज सेवी संस्थाओं को, उनके मानव संसाधन , उपकरण , वाहनों आदि की जानकारी को जियोटेग किया जाकर एक सशक्त व्यवस्था की आधार शिला रखी जा रही है, जिसके पूर्ण होने के पश्चात प्रदेश में किसी भी क्षेत्र में आपदा घटित होने पर उसका पंजीयन कर आपदा स्थल के निकटतम संसाधनों को रिस्पॉस करने हेतु तत्काल सूचित किया जा कर प्रभावी राहत एवं बचाव कार्य सूचना मिलते ही प्रारम्भ किया जा सकेगा।

(3) राष्ट्रीय रिमोट सेंसिग सेंटर(प्ैत्) से आपदा प्रबंधन सहयोग हेतु एम0ओ0यू0 साईन करना :–

होमगार्ड/एस0डी0ई0आर0एफ0 के द्वारा राष्ट्रीय रिमोट सेसिंग सेन्टर (छण्त्ैण्ब्ण्) से तत् संबंध में पॉच वर्षीय एम0ओ0यू0 साईल किया गया है, जिसके तहत उनके संसाधन, टेक्नॉलजी, बेववेस्ड सोल्यूशन एवं प्रशिक्षण आदि के उपयोग किये जाने की निःशुल्क व्यवस्था है।

(4) सूचना एवं संचार तकनीकी क्षमता वृद्धि :–

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश होमगार्ड की पहल पर भारत शासन ने आपदा एवं आपात संबंधी सूचनाओं के 1079 नंबंर को लेवल – 1 की सेवा के रूप में स्वीकृत किया जाकर 30 पीआरआई लाईन की सुविधा भी देते हुए स्टेट कमाण्ड सेन्टर मध्यप्रदेश भोपाल में स्थापित किया गया है। अब आपदा/आपात की सूचना मध्यप्रदेश होमगार्ड राज्य आपदा कमाण्ड सेन्टर पर किसी भी टेलीफोन या मोबाईल फोन से दी

जा सकती है। यह व्यवस्था पूर्णतः निःशुल्क है। प्रदेश के सभी 51 जिलों में ई0ओ0सी0 की स्थापना की जाकर उनमें पृथक से टेलीफोन कनेक्शन स्थापित किये गये हैं।

जनरल परेड़ः–

होमगार्ड विभाग की समस्त इकाइयों में प्रत्येक सप्ताह मंगलवार एवं शुक्रवार को जनरल परेड़ का आयोजित की जाती है ताकि विभाग में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी/स्वयंसेवक शारीरिक रूप चुस्त दुरूस्त रहते हुये उनका टर्नआउट उच्च कोटि का बना रहे।

योगा तनाव मुक्ति शिविर :–

विभाग में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी/स्वयंसेवक मानसिक ,शारीरिक व्याधियों से मुक्ति हेतु योगा कराने वाले प्रशिक्षित एवं जानकार से परेड़ के पहले सुबह के समय योगा करने के निर्देश जारी किये गये है। इसी प्रकार भजन–कीर्तन, सामूहिक गीत, तनावमुक्ति अभियान जारी है।

वृक्षारोपणः–

वृक्षा रोपण़ जिलों में होमगार्ड कैम्पस एवं अन्य शासकीय भूमि पर अधिक से अधिक विभिन्न वेरायटी के फलदार, फूलदार वृक्ष लगाये जावे ,इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये है ।

स्वच्छता अभियान –

जिलों की साफ –सफाई उत्तम स्तर की तथा स्वच्छता अभियान चलाकर कैम्पस एवं गॉव , शहर के जगह को चिन्हित कर नदी, तालाब, घाट किनारे, धार्मिक स्थलों एवं ऐतहासिक स्थलों की सफाई कर स्वच्छता अभियान जारी है।

स्वास्थ्य परीक्षण :–

विभाग में पदस्थ अधिकारी / कर्मचारी / स्वयंसेवक के स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुए हेल्थ कार्ड बनाये गये हैं।

रक्तदान :–

विभाग में पदस्थ अधिकारी / कर्मचारी / स्वयंसेवक जिला स्तर ,तहसील स्तर पर सिविल डिफेन्स वालेण्डियर एवं स्वयंसेवक जवानों को रक्त दान हेतु प्रेषित कर रक्तदान शिविर आयोजित किये जाने हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये ।

नशा–मुक्ति :–

होमगार्ड विभाग में नशा का सेवन करने वाले अधिकारी/कर्मचारी/स्वयंसेवक को नशा का सेवन न करने बावत आवश्यक मार्गदर्शन एवं समझाइस दी गई ।

स्थापना दिवसः–

06 दिसम्बर 2017 में अखिल भारतीय होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा संगठन का 71वॉ स्थापना दिवस समारोह संयुक्त रूप से भोपाल में तथा मुख्यालय जबलपुर, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, होमगार्ड मध्यप्रदेश जबलपुर तथा संभागीय कार्यालय/जिला कार्यालय में संयुक्त रूप से समारोह का आयोजन किया गया । उक्त समारोह में श्री प्रकाश मिश्रा, महानिदेशक, अग्नि शमन सेवा, नागरिक सुरक्षा तथा गृह रक्षक, गृह मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत संदेश एवं श्री महान भारत सागर, प्पै महानिदेशक, होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन मध्यप्रदेश के संदेश का वाचन किया गया। 71वें स्थापना दिवस का मीडिया तथा समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया ।

_____*******_____

लोक अभियोजन संचालनालय, मध्य प्रदेश, भोपाल
वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष, 2017–2018

विभागीय संरचना :–

वर्ष 1987 मे शासन व्दारा पुलिस विभाग से अभियोजन संवर्ग को पृथक करके विधि के अनुरूप स्वतंत्र लोक अभियोजन संचालनालय का गठन किया है। गृह विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2(ई) 168/87/ब(4) दो, दिनांक 8 जून 87 के व्द्वारा लोक अभियोजन संचालनालय का गठन हुआ है । संचालक, लोक अभियोजन संचालनालय म. प्र. द्वारा मुख्यतः निम्न कार्य निष्पादित किया जाता है।

(अ) राज्य में अभियोजन कार्य का नियंत्रण।

(ब) मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा अधिसूचना जारी होने पर धारा 25–ए (5) द. प्र.सं. के वर्ष 2006 में हुए संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत समस्त लोक अभियोजक तथा अतिरिक्त लोक अभियोजकों के कार्य का भी नियंत्रण और पर्यवेक्षण किया जावेगा।

(स) विधि विभाग द्वारा नियुक्त किये गये लोक अभियोजकों और अति0 लोक अभियोजकों को आवश्यक निर्देश प्रदान करना तथा उनके कार्य की नियमित समीक्षा करना ।

लोक अभियोजन विभाग के लिए स्वीकृत पदों का विवरण :–

स.क	पद का नाम	स्वीकृत पद संख्या	पदस्थ	रिक्त पद
01	संचालक	01	01	–
02	संयुक्त संचालक	02	01	01
03	उप संचालक	80	29	51
04	सहायक संचालक/ डीपीओ / अति. डीपीओ	156	125	31
05	सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी	910	753	157
06	अधीक्षक	01	01	–
07	सहा.अधीक्षक	01	01	–
08	निज सहायक	02	–	02
09	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	01	01	–
10	स्टेनोग्राफर	04	03	01
11	लेखापाल	01	–	01
12	सहायक ग्रेड–एक	28	06	22
13	सहायक ग्रेड–दो	87	28	59
14	सहायक ग्रेड–तीन	586	258	328
15	पीसीडी	51	03	48
16	एपीसीडी	51	14	37
17	स्टेनोटायपिस्ट	02	01	01
18	वाहन चालक	01	01	–
19	दफ्तरी	01	01	–
20	भृत्य	89	04	85
21	चौकीदार	01	–	01
22	स्वीपर	01	–	01
23	**योग**	**2057**	**1231**	**826**

विभाग के अंतर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरण

–निरंक–

दायित्व एवं कार्य–

अभियोजन संचालनालय का मुख्य दायित्व, म.प्र. में सभी मजिस्ट्रेट न्यायालयों व सत्र न्यायालया में विचाराधीन आपराधिक प्रकरणों का ''राज्य'' की ओर से प्रभावी संचालन कराना, ''राज्य'' अर्थात ''लोक'' का पक्ष प्रस्तुत करना तथा अपराधियों को दण्डित करवाने का हैं ।

चिन्हित जघन्य और सनसनीखेज प्रकरण–

राज्य में ''कानून का राज'' कायम रखने की दृष्टि से अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण रखने की दृष्टि से गंभीर प्रकरणों को चिन्हित किया जाता है एवं ''चिन्हित जघन्य और सनसनीखेज प्रकरणों'' में गंभीरतापूर्वक त्वरित गति से अनुसंधान और न्यायालय में इन प्रकरणों में यथेष्ठ रूप से पैरवी करने हेतु विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि अपराधियों को त्वरित दण्डित किया जा सके। सत्र न्यायालयों के समक्ष इन प्रकरणों में उप संचालक/लोक अभियोजक द्वारा पैरवी की जाती है। उक्त संबंध में अभियोजन अधिकारियों से प्रत्येक माह प्रकरणों की समीक्षा हेतु वीडियो कॉन्फ्रेन्स होती है।

गंभीर चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरणों का विवरण

वर्ष 2017 में कुल निराकृत गंभीर चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण–

म.प्र. में वर्ष 01–01–2017 से 31–12–2017 तक की स्थिति में प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में लंबित गंभीर चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरणों की उपलब्ध संख्यात्मक जानकारी के अनुसार दिनांक 01–01–2017 की स्थिति में प्रदेश में विभिन्न न्यायालयों में लंबित गंभीर चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरणों के कुल 1,272 प्रकरण लंबित थे। वर्ष 2017 में 755 चिन्हित प्रकरण प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में प्रस्तुत किये गये। इस प्रकार कुल 2,027 प्रकरणों में से 326 प्रकरणों में अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा सजा दी गयी। 133 प्रकरणों में अभियुक्त दोषमुक्त किये गये। इस प्रकार कुल 459 प्रकरणों का निकाल हुआ एवं 1568 गंभीर चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण न्यायालय में शेष लंबित हैं। सजायाबी प्रतिशत 71 रहा। तालिका निम्नानुसार हैः–

पूर्व लंबित प्रकरण	अवधि में प्रस्तुत	कुल प्रकरण	कुल निराकृत प्रकरण	सजा	दोषमुक्त	शेष लंबित	सजा का प्रतिशत
1272	755	2027	459	326	132	1568	71 प्रतिशत

नोट :– विगत वर्ष 2016 में कुल सजायाबी प्रतिशत 67 प्रतिशत था जो वर्ष 2017 में माह दिसम्बर 2017 तक 72 प्रतिशत हो चुका है। इसी प्रकार अन्य प्रकरणों की निराकरण प्रतिशतता जो वर्ष 2016 में 25.25 प्रतिमाह थी, वह अब 37.42 प्रकरण प्रतिमाह तक पहुंच चुकी है।

(अ) <u>सत्र न्यायालयों के भा.द.वि. के प्रकरण</u> :–

म.प्र. में वर्ष 01–01–2017 से 31–12–2017 तक की स्थिति में प्रदेश के सत्र न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की उपलब्ध संख्यात्मक जानकारी के अनुसार दिनांक 01–01–2017 की स्थिति में प्रदेश में सत्र न्यायालयों में भा.द.वि. के कुल 44,513 प्रकरण लंबित थे। 19,392 प्रकरण वर्ष 2017 में प्रदेश के सत्र न्यायालयों में प्रस्तुत किये गये। इस प्रकार कुल 63,905 सत्र प्रकरणों में से 3,434 प्रकरणों में अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा सजा दी गयी। 8,219 अभियुक्त दोषमुक्त किये गये। 56 प्रकरणों में अभियुक्त डिस्चार्ज हुये, 784 प्रकरणों में राजीनामा हुआ है, 408 प्रकरण फाईल/फरार किये गये, 709 प्रकरण वापिस इस प्रकार कुल 13,610 प्रकरणों का निकाल हुआ एवं 50,295 सत्र प्रकरण न्यायालय में शेष लंबित हैं। सजायाबी प्रतिशत 29.46 रहा। तालिका निम्नानुसार हैः–

पूर्व लंबित प्रकरण	वर्ष में प्रस्तुत प्रकरण	योग	सजा	बरी	डिस्चार्ज	राजीनामा	फाइल फरार	वापस	कुल निकाल	शेष लंबित	सजा का प्रतिशत
44513	19392	63905	3434	8219	56	784	408	709	13610	50295	29.46

(01 जनवरी 2017 से 31 दिसम्बर 2017 तक)

(ब) <u>सत्र न्यायालयों के अन्य विधान के प्रकरण</u> :–

म.प्र. में वर्ष 01–01–2017 से 31–12–2017 तक की स्थिति में प्रदेश के सत्र न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की उपलब्ध संख्यात्मक जानकारी के अनुसार दिनांक 01–01–2017 की स्थिति में प्रदेश में सत्र न्यायालयों में अन्य विधान के कुल 22,825 प्रकरण लंबित थे। 13,056 प्रकरण वर्ष 2017 में प्रदेश के सत्र न्यायालयों में प्रस्तुत किये गये। इस प्रकार कुल 35,881 सत्र प्रकरणों में से 1,918 प्रकरणों में अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा सजा दी गयी। 5,020 अभियुक्त दोषमुक्त किये गये। 124 प्रकरणों में अभियुक्त डिस्चार्ज हुये, 542 प्रकरणों में राजीनामा हुआ है, 247 प्रकरण फाईल/फरार किये गये, 831 प्रकरण वापिस इस प्रकार कुल 8,682 प्रकरणों का निकाल हुआ एवं 27,199 सत्र प्रकरण न्यायालय में शेष लंबित हैं। सजायाबी प्रतिशत 27.64 रहा। तालिका निम्नानुसार हैः–

पूर्व लंबित प्रकरण	वर्ष में प्रस्तुत प्रकरण	योग	सजा	बरी	डिस्चार्ज	राजीनामा	फाइल फरार	वापस	कुल निकाल	शेष लंबित	सजा का प्रतिशत
22825	13056	35881	1918	5020	124	542	247	831	8682	27199	27.64

(स) <u>अधीनस्थ न्यायालयों के पुलिस द्वारा संस्थित भा.द.वि. के प्रकरण</u> :–

म.प्र. में वर्ष 01–01–2017 से 31–12–2017 तक की स्थिति में प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की उपलब्ध संख्यात्मक जानकारी के अनुसार दिनांक 01–01–2017 की स्थिति में प्रदेश में अधीनस्थ न्यायालयों में भा.द.वि. के कुल 4,48,961 प्रकरण लंबित थे। 1,72,953 प्रकरण वर्ष 2017 में प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में प्रस्तुत किये गये। इस प्रकार कुल 6,21,914 अधीनस्थ प्रकरणों में से 29,019 प्रकरणों में अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा सजा दी गयी। 21,317 अभियुक्त दोषमुक्त किये गये। 1,851 प्रकरणों में अभियुक्त डिस्चार्ज हुये, 71,736 प्रकरणों में राजीनामा हुआ है, 9,460 प्रकरण फाईल/फरार किये गये, 10,926 प्रकरण वापिस इस प्रकार कुल 1,44,309 प्रकरणों का निकाल हुआ एवं 4,77,605 अधीनस्थ प्रकरण न्यायालय में शेष लंबित हैं। सजायाबी प्रतिशत 58 रहा। तालिका निम्नानुसार है:–

पूर्व लंबित प्रकरण	वर्ष में प्रस्तुत प्रकरण	योग	सजा	बरी	डिस्-चार्ज	राजी नामा	फाइल फरार	वापस	कुल निकाल	शेष लंबित	सजा का प्रतिशत
448961	172953	621914	29019	21317	1851	71736	9460	10926	144309	477605	58.00

(द) <u>अधीनस्थ न्यायालयों के पुलिस द्वारा संस्थित अन्य विधान के प्रकरण</u> :–

म.प्र. में वर्ष 01–01–2017 से 31–12–2017 तक की स्थिति में प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की उपलब्ध संख्यात्मक जानकारी के अनुसार दिनांक 01–01–2017 की स्थिति में प्रदेश में अधीनस्थ न्यायालयों में अन्य विधान के कुल 73,281 प्रकरण लंबित थे। 87,901 प्रकरण वर्ष 2017 में प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में प्रस्तुत किये गये। इस प्रकार कुल 1,61,182 अधीनस्थ प्रकरणों में से 65,887 प्रकरणों में अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा सजा दी गयी। 9,278 अभियुक्त दोषमुक्त किये गये। 221 प्रकरणों में अभियुक्त डिस्चार्ज हुये, 3,846 प्रकरणों में राजीनामा हुआ है, 1,913 प्रकरण फाईल/फरार किये गये, 3,543 प्रकरण वापिस इस प्रकार कुल 84,688 प्रकरणों का निकाल हुआ एवं 76,494 अधीनस्थ प्रकरण न्यायालय में शेष लंबित हैं। सजायाबी प्रतिशत 87.65 रहा। तालिका निम्नानुसार हैः–

पूर्व लंबित प्रकरण	वर्ष में प्रस्तुत प्रकरण	योग	सजा	बरी	डिस्-चार्ज	राजी नामा	फाइल फरार	वापस	कुल निकाल	शेष लंबित	सजा का प्रतिशत
73281	87901	161182	65887	9278	221	3846	1913	3543	84688	76494	87.65

(ई) <u>अधीनस्थ न्यायालयों के पुलिस के अतिरिक्त अन्य विभागों द्वारा संस्थित प्रकरण</u> :–

म.प्र. में वर्ष 01–01–2017 से 31–12–2017 तक की स्थिति में प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की उपलब्ध संख्यात्मक जानकारी के अनुसार दिनांक 01–01–2017 की स्थिति में प्रदेश में अधीनस्थ न्यायालयों में अन्य विधान के कुल 14,203 प्रकरण लंबित थे। 33,559 प्रकरण वर्ष

2017 में प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में प्रस्तुत किये गये। इस प्रकार कुल 47,762 अधीनस्थ प्रकरणों में से 37,287 प्रकरणों में अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा सजा दी गयी। 2,311 अभियुक्त दोषमुक्त किये गये। 60 प्रकरणों में अभियुक्त डिस्चार्ज हुये, 46 प्रकरणों में राजीनामा हुआ है, 216 प्रकरण फाईल/फरार किये गये, 2,449 प्रकरण वापिस इस प्रकार कुल 42,369 प्रकरणों का निकाल हुआ एवं 5,393 प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में शेष लंबित हैं। सजायाबी प्रतिशत 94.16 रहा। तालिका निम्नानुसार हैः–

पूर्व लंबित प्रकरण	वर्ष में प्रस्तुत प्रकरण	योग	सजा	बरी	डिस्चार्ज	राजीनामा	फाइल फरार	वापस	कुल निकाल	शेष लंबित	सजा का प्रतिशत
14203	33559	47762	37287	2311	60	46	216	2449	42369	5393	94.16

वर्ष 2017 में दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2017 तक के आपराधिक प्रकरणों का तालिका विवरण

विवरण	पूर्व लंबित प्रकरण	वर्ष में प्रस्तुत प्रकरण	योग	सजा	बरी	डिस्चार्ज	राजीनामा	फाइल फरार	वापस	कुल निकाल	शेष लंबित	सजा का प्रतिशत
सत्र न्या. भादवि प्रकरण	44513	19392	63905	3434	8219	56	784	408	709	13610	50295	29.46
सत्र न्या. अन्य विधान प्रकरण	22825	13056	35881	1918	5020	124	542	247	831	8682	27199	27.64
अधीनस्थ न्या. भादवि प्रकरण	448961	172953	621914	29019	21317	1851	71736	9460	10926	144309	477605	58.00
अधीनस्थ न्या. पुलिस द्वारा संस्थित अन्य विधान प्रकरण	73281	87901	161182	65887	9278	221	3846	1913	3543	84688	76494	87.65
अधीनस्थ न्या. पुलिस के अतिरिक्त अन्य विभाग प्रकरण	14203	33559	47762	37287	2311	60	46	216	2449	42369	5393	94.16

भाग–दो

बजट विहंगावलोकन (एक दृष्टि में) बजट प्रावधान, लक्ष्य, व्यय–

प्राप्त आवंटन बजट	खर्च	शेष	रिमार्क
71,46,01,200 /–	36,93,81,623 /–	34,52,19,577 /–	

आई.टी. शाखा की जानकारी

1. लोक अभियोजन विभाग के पोर्टल ''ईशनप्रॉसीक्यू-'' का नवीनीकरण का निर्माण किया गया है।

2. विभागीय प्राईड ऑफ प्रॉसीक्यूशन नवीन मॉड्यूल का निर्माण किया गया है, जिसके अंतर्गत **Award of Ph.D., Commendation by Director/DG/ADG, Director Recruitment for the Post of ADJ, Judge in High Court, National/State Award and Publication of Books** इन **06** श्रेणियों में आने वाले अभियोजन अधिकारियों का नाम ई-प्रॉसीक्यूशन पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाता है।

3. प्रॉसीक्यूटर परफार्मेंस एवेल्यूशन सिस्टम हेतु नवीन मोबाईल एप्लीकेशन एवं वेब मॉड्यूल का निर्माण किया गया है। इसके अंतर्गत अभियोजन अधिकारियों के द्वारा किये जाने वाले दैनिक न्यायालयीन एवं कार्यालयीन कार्यों का विवरण मोबाईल-एप के माध्यम से दर्ज किया जाता है। मासिक आधार पर ई-प्रॉसीक्यूशन पोर्टल पर भी जानकारियां दर्ज की जाती है। वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जांच करके मूल्यांकित किया जाता है। अंत में पूर्व निर्धारित फार्मूले के आधार पर प्रतिमाह बेस्ट प्रॉसीक्यूटर एवं बेस्ट प्रॉसीक्यूटर डिस्ट्रिक्ट का प्रशंसा पत्र संबंधित अधिकारी को प्रदान किया जाता है।

4. विभागीय ई-जनरल हेतु नवीन मॉड्यूल का निर्माण किया गया है, जिसके अंतर्गत अभियोजन अधिकारियों से विधिक विषयों पर आर्टीकल्स मंगाये जाते है एवं त्रैमासिक प्रकाशित किये जाते है।

5. विभागीय लेटर/एप्लीकेशन ट्रेकिंग हेतु उत्तरा फाईल ट्रेकिंग सिस्टम को विभाग की समस्त शाखाओं हेतु 01 जनवरी 2018 से लागू किया गया है, जिसके द्वारा कार्यालय में आये समस्त पत्रों की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जाती है। ताकि नियत समय में पारदर्शिता के साथ कार्य किया जा सके एवं पेपरलेस वर्क को बढावा मिले।

6. अभियोजन विभाग के लिये सोशल मीडिया प्लेटफार्म - फेसबुक, ट्विटर एवं इन्स्टाग्राम पर ऑफीशियल पेज बनाये गये है जिसके माध्यम से अभियोजन विभाग के कार्यों एवं अभियोजन अधिकारियों द्वारा किये जा रहे उत्कृष्ट कार्यों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है।

भाग–तीन

सारांश

राज्य शासन का यह प्रमुख दायित्व है, कि राज्य में कानून का राज्य स्थापित किया जाये। यदि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है, तो उसे उसके कृत्य के लिए शासन न्यायालय से समुचित रूप से दण्डित कराए । न्यायालयों में लंबित दाण्डिक प्रकरणों में राज्य अर्थात ''लोक'' की ओर से प्रभावी पैरवी कर त्वरित व गुणवत्तापूर्ण न्यायदान हेतु न्यायालय को सहयोग करना, ''राज्य'' का प्रमुख उत्तरदायित्व है । इस उद्देदश्य की प्राप्ति हेतु वर्तमान अभियोजन व्यवस्था को उत्तरोत्तर सुदृढ किया जा रहा है और शीघ्र ही इसके अच्छे परिणाम भी सामने आने की उम्मीद है ।

संलग्न :–

1– विभाग के उल्लेखनीय कार्य. परि0–1
2– वर्ष 2017–18 के प्रशिक्षण कार्यक्रम परि0–2
3– वि0 जां0 एवं स्थानांतरण परि0–3
4– न्यायालयीन प्रकरणों की जानकारी परि.–4

परिशिष्ट – 1

वर्ष 2017–18 में विभाग के उल्लेखनीय कार्य

1/ वर्ष 2016 – 17 में म.प्र. लोक सेवा आयोग के माध्यम से 251 पदों की चयन सूची गृह विभाग को प्रेषित की गई है। उक्त सूची में से शासन द्वारा 130 अधिकारियों के नियुक्ति आदेश जारी किये गये थे, जिनमें से 125 अधिकारियों ने कर्तव्य पर उपस्थिति दे दी है व 05 अधिकारियों ने कार्यभार ग्रहण नही किया है। तत्पश्चात शासन द्वारा जारी 66 अधिकारियों के नियुक्ति आदेश में से 47 अधिकारियों ने कर्तव्य पर उपस्थिति दे दी है। शेष 19 अधिकारियों के संबंध में कार्यवाही प्रचलन में है। इस प्रकार कुल 196 अभ्यर्थियों में से 172 अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण किया है व 24 अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण नही किया है।

अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी जानकारी :–

स. क्र.	कुल अभ्यर्थी	अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण किया	कार्यभार ग्रहण नही किया	रिमार्क
01	196	172	05	19 अभ्यर्थियों के संबंध में कार्यवाही प्रचलन में है।

2/ शासन द्वारा लोक अभियोजन संचालनालय,जिला अभियेाजन कार्यालयो एवं तहसील अभियोजन कार्यालयों में अभियोजन कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु वर्ष 2017–18 में विभिन्न श्रेणियों के कुल 605 नवीन पद स्वीकृत किये गये थे उक्त पदों पर व्यापम द्वारा संयुक्त परीक्षा उपरांत प्राप्त चयन सूची में से 212 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किये जा चुके है,जिनमें से 200 अभ्यर्थियों ने कर्तव्य पर उपस्थिति दे दी है। 10 अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण नही किया व 02 अभ्यर्थियों ने त्यागपत्र दिया है।

कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधी जानकारी :–

स.क्र.	कुल अभ्यर्थी	अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण किया	कार्यभार ग्रहण नही किया	रिमार्क
01	212	200	10	02 अभ्यर्थियों ने त्यागपत्र दिया।

परिशिष्ट–2

वर्ष 2017–18 के प्रशिक्षण कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल 601 अभियोजन अधिकारियों को विधिक,सायबर क्राइम,फॉरेंसिक एवं बैलेस्टिक साईंस, व्यक्तित्व विकास,कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिलाया गया।

1. एल.एन.जे.एन., एन.आई.सी.एफ.एस.,सेक्टर 3 बाहरी रिंग रोड रोहणी दिल्ली 110085 में 125 अभियोजन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
2. म.प्र. स्टेट ज्यूडिशियल अकादमी, जबलपुर में 134 अभियोजन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
3. सी.ए.पी.टी., कान्हासैया, भोपाल में 104 अभियेाजन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
4. आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय अकादमी, अरेरा कॉलोनी भोपाल में 09 अभियोजन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
5. सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशलन पुलिस अकादमी, हैदराबाद में 02 अभियेाजन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
6. इसके अतिरिक्त भोपाल, इंदौर,जयपुर एवं अन्य शहरों में भी समय–समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिसमें 227 अभियोजन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

LNJN Training	**New Delhi**	**125**
CAPT Training	**Bhopal**	**104**
JOTRI	**Jabalpur**	**134**
RCVP Narohna	**Bhopal**	**9**
Other Trainings (Misc.)	**Bhopal / Indore / Jaipur & others**	**227**
NPA Hyderabad	**Hyderabad**	**2**
Total		**601**

परिशिष्ट – 3

विभागीय जांच

वर्ष 2017–18 में विभागीय जांच की स्थिति निम्नानुसार है :–

1– वर्ष 2017 में लंबित विभागीय जांच प्रकरणों की संख्या – 34

2— वर्ष 2017—18 में संस्थित विभागीय जांच प्रकरणों की संख्या — 08
3— वर्ष 2017—18 में निराकृत विभागीय जांच प्रकरणों की संख्या — 17
4— दिनांक 2017—18 में शेष लंबित विभागीय जांच प्रकरणों की संख्या — 25

पूर्व में लंबित विभागीय जांच	संस्थित विभागीय जांच	निराकृत विभागीय जांच	शेष लंबित विभागीय जांच
34	08	17	25

नोटः— 1. 02 विभागीय जांच प्रकरण शासन स्तर पर लंबित है।
2. 01 विभागीय जांच प्रकरण दीर्घ शास्ति हेतु शासन स्तर पर लंबित है।

वर्ष 2017—18 में किये गये स्थानांतरण :—

अभियोजन अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण उक्त अवधि के शासन स्तर पर किये गये है । जिनका विवरण निम्न है :—

क.	पद नाम एवं श्रेणी	प्रशासनिक	संशोधित/निरस्त	स्वयं के व्यय पर	पारस्परिक सहमति	आदेश में उल्लेख नहीं	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डीडीपी प्रथम श्रेणी	05	01	01	—	1	08
2	डीपीओ द्वितीय श्रेणी	20	—	13	—	1	34
3	एडीपीओ द्वितीय श्रेणी	23	11	56	—	—	90
4	सहायक ग्रेड 1,2 व 3/सीआरपीसी लिपिक तृतीय श्रेणी	08	—	05	—	—	13
5	पीसीडी /एपीसीडी तृतीय श्रेणी	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट — 4

न्यायालयीन प्रकरणों की जानकारीः—राजपत्रित संवर्ग अधिकारी

पूर्व लंबित प्रकरण	प्राप्त प्रकरण	कुल प्रकरण	नियुक्त किये गये प्रभारी अधिकारी	अंत में प्रभारी अधि0नियुक्त करने के लिए शेष रहे प्रकरण	वे प्रकरण जिनमें जवाबदावा प्रस्तुत हो चुका है	वे प्रकरण जिनमें जवाबदावा प्रस्तुत होना शेष है।	अवधि में निराकृत प्रकरण	कुल शेष लंबित प्रकरण
42	15	57	57	निरंक	57	निरंक	17	40

न्यायालयीन प्रकरणों की जानकारी– अराजपत्रित संवर्ग कर्मचारी

पूर्व लंबित प्रकरण	प्राप्त प्रकरण	कुल प्रकरण	नियुक्त किये गये प्रभारी अधिकारी	अंत में प्रभारी अधि0नियुक्त करने के लिए शेष रहे प्रकरण	वे प्रकरण जिनमें जवाबदावा प्रस्तुत हो चुका है	वे प्रकरण जिनमें जवाबदावा प्रस्तुत होना शेष है।	अवधि में निराकृत प्रकरण	कुल शेष लंबित प्रकरण
12	3	15	15	निरंक	15	निरंक	4	11

न्यायालयीन प्रकरणों की जानकारी :– प्रायवेट

पूर्व लंबित प्रकरण	प्राप्त प्रकरण	कुल प्रकरण	नियुक्त किये गये प्रभारी अधिकारी	अंत में प्रभारी अधि0नियुक्त करने के लिए शेष रहे प्रकरण	वे प्रकरण जिनमें जवाबदावा प्रस्तुत हो चुका है	वे प्रकरण जिनमें जवाबदावा प्रस्तुत होना शेष है।	अवधि में निराकृत प्रकरण	कुल शेष लंबित प्रकरण
11	13	24	24	निरंक	24	निरंक	2	22

पूर्व से लंबित न्यायालयीन प्रकरण जिनमें जबाबदावा प्रस्तुत नही किया गया

पूर्व लंबित प्रकरण	प्राप्त प्रकरण	कुल प्रकरण	नियुक्त किये गये प्रभारी अधिकारी	अंत में प्रभारी अधि0नियुक्त करने के लिए शेष रहे प्रकरण	वे प्रकरण जिनमें जवाबदावा प्रस्तुत हो चुका है	वे प्रकरण जिनमें जवाबदावा प्रस्तुत होना शेष है।	अवधि में निराकृत प्रकरण	कुल शेष लंबित प्रकरण
65	31	96	96	निरंक	96	निरंक	23	73

पूर्व में लंबित न्यायालयीन आदेश जिनमें पालन नहीं हुआ

पूर्व के लंबित	प्राप्त न्याया.आदेश	कुल प्रकरण	पालन किये गये निर्णय	प्रकरण जिनमें आदेश का पालन नहीं हुआ	रिमार्क
निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

———*******———

संचालनालय सैनिक कल्याण, मध्य प्रदेश
विभागीय वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन – वर्ष 2017–2018

विभागाध्यक्ष

भाग–एक

विभागाध्यक्ष : **ब्रिगेडियर आर. एस. नौटियाल, संचालक सैनिक कल्याण, मध्य प्रदेश**

1. संचालनालय सैनिक कल्याण मध्यप्रदेश शासन का एक स्थाई विभाग है जो गृह (सामान्य) विभाग के अधीन कार्यरत है । यह विभाग प्रदेश के युद्ध में शहीद सैनिको की विधवाओ, भूतपूर्व सैनिको की विधवाओ, विकलांग भूतपूर्व सैनिको एवं अन्य भूतपूर्व सैनिको के कल्याण एवं पुर्नवास तथा सेवारत सैनिको के परिवार के सदस्यों के कल्याण संबंधी कार्य करता है । संचालनालय सैनिक कल्याण के अर्न्तगत वर्तमान में प्रदेश के 24 जिलो में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय कार्यरत है जो निम्नानुसार है :–

(अ) बैतूल	(ब) भिण्ड	(स) भोपाल	(द) छतरपुर	(ई) छिदंवाड़ा
(क) दमोह	(ख) खंडवा	(ग) ग्वालियर	(ध) गुना	(ड.) होशंगाबाद
(च) इन्दौर	(छ) जबलपुर	(ज) मंदसौर	(झ) मुरैना	(ञ) नंरसिहपुर
(ट) रतलाम	(ठ) रीवा	(ड) सतना	(ढ) सागर	(ण) सिवनी
(त) शहडोल	(थ) सीधी	(द) टीकमगढ़	(घ) उज्जैन	

2. देश के औसतन 55,000 सैनिक प्रत्येक वर्ष 35 से 50 वर्ष की आयु में सेना से सेवानिवृत होते है । इनमे से मध्यप्रदेश के सैनिक लगभग 1500–2000 होते है । इस संचालनालय का प्रमुख कार्य युद्ध में शहीद सैनिको की विधवाओ, भूतपूर्व सैनिको की विधवाओ उनके आश्रितो, विकलांग भूतपूर्व सैनिको तथा अन्य भूतपूर्व सैनिको के कल्याण एवं पुनर्वास हेतु तथा सेना में सेवारत सैनिको के परिवार के सदस्यो के कल्याण संबंधी कार्यो में सहायता प्रदान करना है । मध्य प्रदेश राज्य का सैन्य सेवा हेतु भर्ती कोटा अब बढ़ कर 7.5 प्रतिशत हो गया है, अतः भविष्य में 4000 – 5000 सैनिक प्रति वर्ष सेवानिवृत्त हो कर प्रदेश में बसेंगे, उनके हित के लिए यह संचालनालय कार्यरत व तैयार है।

विभागीय गतिविधियॉ / दायित्व

3. राज्य शासन द्वारा ''मुख्यमंत्री कारगिल सहायता कोष'' की स्थापना की गई है जिसके अन्तर्गत युद्ध अथवा सैनिक कार्यवाही के साथ आतंकी हमला / नक्सली हमला / आन्तरिक सुरक्षा के दौरान शहीद सैनिको की विधवाओ एवं विकलांग सैनिको को उनकी अशक्तता के अनुरूप अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किया जाता है ।

(अ) **अनुग्रह अनुदान** :– शासन के आदेशानुसार युध्द अथवा सैनिक कार्यवाही के साथ आतंकी हमला / नक्सली हमला / आन्तरिक सुरक्षा के दौरान शहीद सैनिको / अर्ध सैनिक बलों के आश्रितो को रुपये दस लाख का अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किया जाता है। अभी तक 138 शहीदों के आश्रितों को मुख्यमंत्री कारगिल सहायता कोष से रुपये 12 करोड़ 51 लाख 50 हजार स्वीकृत किये जा चुके हैं। युद्ध अथवा सैनिक कार्यवाही में विकलांग हुये भूतपूर्व सैनिको के लिये विकलांगता प्रतिशत के अनुसार रुपये 10 लाख तक राज्य शासन द्वारा स्वीकृत किये जाते है। अभी तक 31 युद्ध दिव्यांग सैनिकों को रूपये 01 करोड़ 61 लाख 60 हजार स्वीकृत किये जा चुके है।

(ब) **शौर्य अलंकरण प्राप्तकर्ताओं को वित्तीय सहायता** :– प्रदेश के निम्नलिखित पदक विजेताओं को वर्ष 2017–18 में वित्तीय सहायता प्रदान की गई है:–

(क)	ले0 जनरल आर. जे. नरोन्हा, पीवीएसएम, इन्दौर	– रू 1,00,000/–
(ख)	ब्रिग्रेडियर शिवपाल सिंह, सेना मेडल, वीएसएम, सतना	– रू 20,000/–
(ग)	मेजर जावेद अख्तर, सेना मेडल, भोपाल	– रू 50,000/–
(घ)	हवलदार सुनील कुमार सिंह, सेना मेडल, सतना	– रू 50,000/–
(ड)	स्व0 सिपाही सुरेन्द्र, मेन्शन–इन डिस्पैच, देवास	– रू 12,000/–
(च)	राईफलमेल राहुल सिंह, सेना मेडल, ग्वालियर	– रू 50,000/–
	कुल	**– रू 2,82,000/–**

(स) **आर्थिक सहायता** :– वर्ष 2017–2018 में 622 भूतपूर्व सैनिकों/विधवाओं एवं उनके आश्रितो को विभिन्न उद्देश्यों को लिये अभी तक रुपये 76,26,000/– (दिनांक 31.12.2017 की स्थिति में) की आर्थिक सहायता कल्याण निधि से वितरित की गई है ।

(द) **सेना के शहीदों के माता पिता को पेंशन** :– मध्यप्रदेश के स्थाई निवाशी सेना के शहीद सैनिकों के माता पिता को पेंशन रू 5,000/– प्रतिमाह दिनांक 24 मार्च 2017 से स्वीकृत करने का आदेश शसन द्वारा जारी किया गया है। योजना के अंतर्गत माह दिसम्बर 2017 तक 11 हितग्राहियों को पेंशन स्वीकृत कर भुगतान किया गया है।

(क) **भूतपूर्व सैनिको के लिये भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के तहत पॉलीक्लीनिक**:– भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के तहत पॉलीक्लीनिक निर्माण हेतु असैन्य क्षेत्र उज्जैन में शासकीय भूमि के आवंटन हेतु प्रयास जारी है एवं जिला इन्दौर, सीधी, खण्डवा तथा छिन्दवाड़ा में नवीन पॉलीक्लीनिक हेतु प्रस्ताव क्षेत्रीय मुख्यालय, इ.सी.एच.एस जबलपुर भेजा गया है। जिला नरसिंहपुर में चलित ई.सी.एच.एस. पॉलिक्लीनिक की व्यवस्था कराने हेतु प्रयास जारी है।

(ख) **रोजगार** :– युद्ध अथवा सैनिक कार्यवाही में शहीद सैनिक अधिकारी/सैनिको की विधवाओ/ आश्रितो के किसी एक सदस्य को उनकी शैक्षणिक योग्यतानुसार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदो पर शासकीय सेवा में नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2017–18 में एक विधवा को शासकीय सेवा में अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गयी हैं तथा 06 प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है।

(ग) राज्य शासन द्वारा द्वितीय विश्व युध्द के 274 नान पेंशनर्स भूतपूर्व सैनिको/विधवाओं को रुपये छः हजार प्रतिमाह दिनांक 10.11.2016 से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है ।

(घ) **छात्रवृत्ति** :– वर्ष 2017–2018 में विभिन्न कक्षाओ में उत्तीर्ण भूतपूर्व सैनिकों के बच्चो को मार्च माह में छात्रवृत्ति वितरित की जायेगी । वर्ष 2016–17 में रूपये 58,27,555/– की छात्रवृत्ति कल्याण निधि से वितरित की गयी।

(ञ) **पुनर्वास** :– भारतीय सशस्त्र सेना से सेवा निवृत्त होने वाले भूतपूर्व सैनिक अपेक्षाकृत जवान होते है । अतः केन्द्र शासन और राज्य शासन का यह उत्तरदायित्व है कि उनके पुनर्वास हेतु उन्हें पुर्ननियोजित करे । राज्य शासन ने संचालनालय सैनिक कल्याण को रोजगार हेतु भूतपूर्व सैनिको का नाम प्रायोजित करने के लिए अधिकृत किया गया है कि वे केन्द्र शासन, राज्य शासन और सार्वजनिक उपक्रमो में भूतपूर्व सैनिको के लिये आरक्षित पदों के लिये भूतपूर्व सैनिकों के नाम प्रायोजित करें । भूतपूर्व सैनिको हेतु आरक्षण निम्नानुसार है:–

शासकीय/सार्वजनिक उद्योग	आरक्षण की दर	
	तृतीय वर्ग	चतुर्थ वर्ग
केन्द्र शासन	10 प्रतिशत	20 प्रतिशत
सार्वजनिक उपक्रम	14.5 प्रतिशत	24.5 प्रतिशत
राज्य शासन	10 प्रतिशत	20 प्रतिशत

वर्ष 2017–18 में केन्द्र शासन, प्रदेश शासन, केन्द्र शासन के उपक्रमो, बैंकों एवं अन्य संस्थाओं में **ग्रुप सी एवं डी** में क्रमशः **142 एवं 1236** भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

4. **सैनिक विश्राम गृह** :– भूतपूर्व सैनिकों को महत्वपूर्ण शहरो में प्रवास के दौरान आरामदेह और सस्ती सुविधा उपलब्ध कराने के लिये सैनिक विश्राम गृह बनाये गये है । उनके निर्माण का खर्च केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा आधा – आधा वहन किया जाता है । वर्तमान में सैनिक विश्राम गृह निम्न जिलों में स्थित है :–

1. जबलपुर 2. मुरैना 3. भिण्ड 4. इन्दौर 5. भोपाल 6. सागर 7. ग्वालियर 8. छिन्दवाडा 9. रीवा 10. होशंगाबाद 11. रतलाम 12. सतना 13. खण्डवा 14. उज्जैन

उपरोक्त के अतिरिक्त मंदसौर, छतरपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, बैतूल, दमोह, सीधी, शहडोल, टीकमगढ़, गुना एवं शिवपुरी में सैनिक विश्राम गृह स्थापित करने हेतु शासन की ओर से भूमि आवंटित कर दी गई है।

इस संचालनालय के अथक प्रयासों से **राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी** के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों के कल्याणार्थ एवं उनकी सुविधाओं के दृष्टिगत **बैतूल** सैनिक विश्रामगृह का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है एवं शहडोल जिले में निर्माण कार्य शीघ्र किया जाना है।

5. **राज्य सैनिक बोर्ड मीटिंग/समामेलित विशेष निधि मीटिंग** :– समामेलित विशेष निधि की 18 वीं बैठक राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 04 अप्रेल 2017 को संपन्न हुई है। राज्य सैनिक बोर्ड की 19वी बैठक हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, जो विचाराधिन है।

विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी

6. **भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार** :– भूतपूर्व सेनिकों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश से मध्यप्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति की स्थापना वर्ष 1992 से की गई है, जिसके माध्यम से वर्तमान में 494 भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

7. **सीएम हेल्प लाइन** – सेवारत सैनिक/भूतपूर्व सैनिक एवं उनके आश्रित अपनी शिकायतो के निवारण हेतु सीएम हेल्प लाइन में शिकायत दर्ज करा सकते है। शिकायतों का निराकरण सात दिवस में किया जाता है । वर्तमान में 02 शिकायतों पर कार्यवाही प्रगति पर है।

8. **भूतपूर्व सैनिक रैली** – वित्तीय वर्ष 2017–2018 में 01 राज्य एवं 04 जिला स्तरिय रैलियों का आयोजन किया गया है । राज्य स्तरीय रैली का आयोजन छिन्दवाडा में किया गया तथा जिला स्तरिय रैलियो का आयोजन छतरपुर,ग्वालियर, शहडोल एवं टीकमगढ में किया गया। 01 राज्य स्तरिय रैली का आयोजन मन्दसौर में माह फरवरी 2018 में किया जाना हैं।

9. **बल्क एस.एम.एस.** – पूर्व सैनिकों का उनके पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर कल्याण एवं पुनर्वास संबंधी जानकारी की सूचना बल्क एस.एम.एस. द्वारा भेजी जा रही है।

10. पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के आधार बनवाने एवं डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाईन प्रस्तुत करने हेतु प्रयास किये गये है।

11. **स्वच्छता अभियान** – समस्त जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों के माध्यम से पूर्व सैनिकों के साथ मिलकर क्षेत्रीय नागरिकों को स्वच्छता के बारे में जागरूक किया जा रहा है एवं परिसर स्वच्छ रखने हेतु प्रयास किया जा रहा है।

भाग–दो

योजनानुसार बजट, बजट प्रबंधन एवं व्यय

1. **बजट** :– संचालनालय सैनिक कल्याण एंव जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों के स्थापना एवं कार्यालयीन व्यय पर होने वाले सम्पूर्ण व्यय का 60 प्रतिशत भाग केन्द्रीय शासन एवं 40 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है । मध्यप्रदेश शासन द्वारा मांग संख्या–4 गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय आयोजनोत्तर के अन्तर्गत इस विभाग के लिये बजट आवंटित किया जाता है । गत तीन वर्षो का बजट आवंटन एवं व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार हैः–

वर्ष	कुल बजट आवंटन	वर्ष का कुल व्यय
2015–2016	12,02,29,000.00	11,48,90,242.00
2016–2017	*21,04,93,300.00	*19,66,19,920.00
2017–2018	@19,97,16,200.00	10,76,80,135.00 (दि. 06.01.2018 तक)

***इस राशि में प्रधानमंत्री की रैली के आयोजन हेतु आवंटित रूपये 8,00,00,000/– सम्मिलित है।**
@ इस राशि में प्रधानमंत्री की रैली के आयोजन हेतु आवंटित रूपये 1,05,05,000/– सम्मिलित है।

झंडा दिवस राशि (लक्ष्य एवं एकत्रीकरण)

2. **झंडा दिवस** :– प्रत्येक वर्ष 07 दिसम्बर को समस्त भारत वर्ष में झंडा दिवस का आयोजन किया जाता है। झण्डा दिवस में शासकीय, निजी एवं सामान्य जनता से भूतपूर्व सैनिको/विधवाओ के कल्याण हेतु दान राशि एकत्रित की जाती है, इस राशि का उपयोग भूतपूर्व सैनिको/विधवाओं एवं उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता, छात्रवृत्ति, विकलांग/अंध बच्चों को आर्थिक सहायता एवं जीवन यापन इत्यादि हेतु किया जाता है। यह राशि समामेलित विशेष निधि में जमा की जाती है जिसके अध्यक्ष मा0 राज्यपाल महोदय होते है। गत चार वर्षो में एकत्रित की गई धन राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	लक्ष्य	एकत्रित धन राशि
2013	2,19,61,000.00	2,11,34,636.00
2014	2,19,61,000.00	2,47,93,037.00
2015	2,40,51,500.00	2,80,84,597.00
2016	2,40,51,500.00	2,85,83,347.00

भाग – तीन
राज्य योजनाये तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाये ।
निरंक

विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाऐं ।
निरंक

विदेशी सहायता प्राप्त योजनाऐं/परियोजनाऐं ।
निरंक

अन्य योजनाऐं ।
निरंक

भाग–चार
सामान्य प्रशासनिक विषय ।

1. **विभाग में न्यायालयीन प्रकरण** – स्थापना से सम्बन्धित माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर/माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर में कुल 06 प्रकरण लम्बित है जिनकी निगरानी की जा रही है।

2. **नियुक्तियॉ** :– वर्ष 2017–18 (31 दिसम्बर 2017 तक) में प्रथम श्रेणी अधिकारियो के 06 पद यथा भिण्ड, छतरपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सागर एवं सीधी में नियुक्ति प्रदान की गई। इसके अलावा विभाग में 20 कर्मचारियों की विभिन्न रिक्त पदो के विरूध्द नियुक्ति दी गई।

3. **विभागीय पदोन्नतियॉ**:– इस संचालनालय के अंतर्गत 24 जिला सैनिक कल्याण कार्यालय कार्यरत है। वर्ष 2017–18 (31 दिसम्बर 2017 तक) में 06 तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की विभागीय पदोन्नति की गई है।

4. **विभागीय जॉच** :– निरंक ।

5. **स्थानांतरण** :– 06

भाग–पॉच

अभिनव योजना ।

1. **सैनिक विश्राम गृह** :– भूतपूर्व सैनिकों को महत्वपूर्ण शहरो में प्रवास के दौरान आरामदेह और सस्ती सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मंदसौर, छतरपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, बैतूल, दमोह, सीधी, शहडोल, टीकमगढ़, गुना एवं शिवपुरी में सैनिक विश्राम गृह स्थापित करने हेतु शासन की ओर से भूमि आवंटित कर दी गई है। वर्ष 2017–2018 में दो सैनिक विश्रामगृह सीधी और नरसिंहपुर में निर्माण हेतु बजट आवंटन का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। स्वीकृति प्राप्त होते ही एवं बजट आवंटित होने पर इनका निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावेगा।

भाग–छः

विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन

विभाग की जानकारी हितग्राहियों तक पहुचाने के लिये प्रति वर्ष एक

'सूचना पुस्तिका' का प्रकाशन किया जाता है।

विभाग की वेब साईट

www.rsbmp.nic.in

जेण्डर बजट

निरंक

भाग–सात

सारांश

इस संचालनालय का मुख्य कार्य सेना से सेवानिवृत्त होने वाले सैनिको को पुनर्वास उपलब्ध कराना एवं भारतीय सशस्त्र सेना में सेवारत् शहीद सैनिकों के आश्रितों एवं भूतपूर्व सैनिको के पुनर्वास हेतु कल्याणकारी योजनायें प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करना है । जिसके लिए राज्य एवं जिला स्तर पर विभिन्न प्रमुख विकसित संस्थाओं/निकायों, सरकारी एवं निजी स्त्रोतों तथा भिन्न भिन्न विभागों से संपर्क किया जाता है। इसके अलावा संचालनालय एवं जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों के माध्यम से जरूरतमंद, निःसहाय भूतपूर्व सैनिको एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है । कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन–जन तक पहुॅचाने के लिये भूतपूर्व सैनिक रैलियों का आयोजन किया जाता है तथा इन रैलियों में विभिन्न स्टॉल लगाकर समस्याओं का निराकरण किया जाता है एवं सुविधायें प्रदान की जाती है जैसे चिकित्सा, पेंशन, अन्य समस्याओं का समाधान, राजस्व विभाग, सी.एस.डी. कैन्टीन, रिकार्ड ऑफीस इत्यादि।

———*******———

कार्यालय संचालक, संपदा संचालनालय, भोपाल

Website : www.mpsampada.in & E-mail : directorsampada@gmail.com

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष–2017–2018

भोपाल में विभिन्न श्रेणियों के लगभग 11202 शासकीय आवासों का आवंटन एवं प्रबंधन संपदा संचालनालय द्वारा किया जाता है। भवनों का विवरण निम्नानुसार है :–

बी श्रेणी	105	शासकीय आवास
सी श्रेणी	61	शासकीय आवास
डी श्रेणी	255	शासकीय आवास
ई श्रेणी	483	शासकीय आवास
एफ श्रेणी	1981	शासकीय आवास
जी श्रेणी	3649	शासकीय आवास
एच श्रेणी	2159	शासकीय आवास
आई श्रेणी	2509	शासकीय आवास
कुल योग	11202	शासकीय आवास

वर्तमान में 'भोपाल स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम, 2000' (संशोधित 04.10.2013, 01.10.14, 23.05.16) प्रभावशील है, जिसके अन्तर्गत शासकीय आवास आवंटन की कार्यवाही की जाती है एवं मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 के अधीन निष्कासन प्रकरण भी संधारित किये जाते हैं। आवासों के आवंटन हेतु सामान्यतः भोपाल में पदस्थापना की वरिष्ठता का क्रम रखा जाता है। 'एफ' श्रेणी के आवासों में पदस्थापना की वरिष्ठता एवं वेतनमान की वरिष्ठता दोनों के अनुसार आवास आवंटित किये जाते हैं। 'एफ' श्रेणी के आवास आवंटन समिति के निर्णय के अनुसार संचालक द्वारा आवंटित किये जाते हैं।

2) 'जी', 'एच' एवं 'आई' श्रेणी के आवासों का आवंटन पूर्णतः भोपाल में पदस्थापना की वरिष्ठता के आधार पर ही किया जाता है और यह वरिष्ठता सूची स्थायी रूप से संधारित होकर संचालनालय की वेबसाइट www.mpsampada.in पर भी प्रदर्शित की गई है। इन श्रेणियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन, गंभीर बीमारी, महिला कोटा (विधवा/तलाकशुदा/अविवाहित) आदि के लिये आरक्षण है। अतः आरक्षित श्रेणियों की वरिष्ठता पृथक–पृथक संधारित की जाती है।

शासकीय आवासों का आवंटन आरक्षण रोस्टर के अनुसार किया जाता है ।

एफ एवं जी श्रेणी तथा एच एवं आई श्रेणी के आवासों हेतु निम्नानुसार आरक्षण लागू है :–

क	विवरण	एफ/जी श्रेणी प्रतिशत में	एचएवं आई श्रेणी प्रतिशत में
1	अनुसूचित जाति	5	7
2	अनुसूचित जनजाति	5	8
3	अन्यपिछडा वर्ग	8	8
4	महिला वर्ग	5	5
5	मंत्रालय कोटा	7	7
6	विंकलांग कोटा	2	2
7	गंभीर बिमारी कोटा	2	2

3) विधानसभा कोटा अंतर्गत चारो श्रेणियों (एफ, जी, एच एवं आई) में प्रत्येक तीन माह में 1–1 आवास आवंटित करने के प्रावधान है ।

4) भौतिक उपलब्धियां :–

भोपाल में पुर्नधनत्वीकरण योंजना अतंर्गत साधिकार समिति दिनांक 05.08.2016 निर्णय अनुसार स्मार्टसिटी योंजना अंतर्गत आवास परिवर्तन किये जाने के कारण आवास आवंटन पर रोक थी। वर्तमान में आवास आवंटन On-line प्रक्रिया से किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

माह जनवरी 2015 से दिसम्बर 2017 तक कुल 1521 आवास आवंटित किये। जिसमें एफ – 320, जी – 491, एच – 440 एवं आई श्रेणी के 270 आवास आवंटित किये गयें।

5) निष्कासन :–

वर्ष 2017–18 में माह जनवरी 2017 से दिसम्बर 2017 तक सामान्य पूल एवं विभागीय अन्य विभिन्न श्रेणियों के 209 प्रकरण दर्ज किये गये, जिसमें मध्यप्रदेश लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाकर कुल 157 शासकीय आवास रिक्त कराये गये।

6) बजट प्रावधान वर्ष 2017–18 : –

वित्त वर्ष 2017–18 में शासन को प्रास्तवित बजट की स्थिति निम्नानुसार है। मुख्य शीर्ष मांग संख्या 2216 आवास 80 सामान्य 001 निर्देशन व प्रशासन 5347 संपदा संचालनालय भोपाल आयोज्नेत्तर मद में वर्ष 2016 अंतर्गत निम्नानुसार बजट प्रस्तावित हुआ हैः–

लधु शीर्ष	वर्ष 2017–18 प्रस्तावित लाख में	वर्ष 2018–19 प्रस्तावित लाख में	वर्ष 2019–20 प्रस्तावित लाख में
#11 वेतन भत्ते	90.32	102.5	124.34
#12 मजदूरी	5.95	15.00	2.00
#21 यात्रा भत्ता	0.40	0.60	0.72
#22 कार्यालय व्यय एवं अन्य	6.93	49.89	42.53
योग	103.6	167.99	169.59

7) आवास आवंटन एवं लेखा संधारण की प्रक्रिया का पूर्ण ऑटोमेशन किया जा रहा है। जिसके तहत् वेबबेस्ड साफ्टवेयर में आवेदन पत्र देने व आवास आवंटन किये जाने की आनलाईन व्यवस्था की गई है। संपदा संचालनालय द्वारा इस दिशा में भोपाल स्थित सभी शासकीय कार्यालयों के डीडीओं को सात दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर On-line आवेदन की व्यवस्था करवाई गयी है। आवास आवंटन होने पर ई–मेल/एस.एम.एस. द्वारा आवंटितीयों को आवंटन की सूचना भी दी जा सकेगी । शासकीय आवासों के आवंटन के कार्य को पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिये प्रयास किये गये हैं।

8) भोपाल नगर निगम की स्मार्ट सिटी योंजना प्रस्तावित है, जिसके प्रथम चरण में प्रभावित आवासों के आंवटितीयों को आवास परिवर्तन किये जा रहे है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कार्पो.लिमि.के पत्र क्रमांक 475 दिनांक 28.12.2016 के निम्नानुसार नवीन आवास गृहों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। विवरण निम्नानुसार है– एफ–328, जी–1556, जी– 416 एवं आई–900 कुल 3200 ।

9) भोपाल विकास प्राधिकरण की पुर्नधनत्वीकरणं योजना अंतर्गत रामनगर क्षेत्र के प्रथम चरण में आने वाले 46 आवासों को रिक्त कराया जाकर शेष आवंटितीयों को आवास परिवर्तन कर व्यवस्थापन की कार्यवाही गतिशील है।

10) वर्तमान में निम्नानुसार पद रिक्त हैं।

1.	सहायक वर्ग दो	– 1 पद
2.	सहायक वर्ग तीन	– 6 पद
3.	सहायक अधीक्षक	– 1 पद
4.	राजस्व निरीक्षक	– 2 पद
5.	भृत्य	– 3 पद

11) संपदा संचालनालय, भोपाल हेतु तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के भर्ती नियम तैयार किया गया है। कार्यालय संचालक संपदा संचालनालय भोपाल में विगत पांच वर्षो में किसी भी प्रकार की सीधी नियुक्ति प्रदान नहीं की गयी है एवं स्थानांतरण निंरक है।

न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार है : – कुल 28 न्यायालयीन प्रकरण है। समस्त में जवाबदावा प्रस्तुत है ।

12) कार्यालयीन भवन हस्तांनातरण व मरम्मत संबधी :– मध्यप्रदेश शासन गृह (सामान्य) विभाग के आदेश एफ–01/144/दोए(3) दिनांक 18.01.1994 के पैरा–4 में दिये निर्देशासनुसार संपदा संचालनालय के कार्यालय भवन की व्यवस्था भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुर्नवास विभाग के चारईमली लिंक रोड नम्बर 3 भवन में अस्थायी रूप से की गयी है । उपरोक्त दिनांक से आज दिनांक तक कार्यालय निंरंतर संचालित हो रहा है। मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के आदेश क्रमांक एफ–6–3/2017/47 दिनांक 22 फरवरी 2017 द्वारा उपरोक्त भवन का हस्तानांतरण हो चुका है, तद्परांत भवन की मरम्मत का कार्य कराया गया है। विद्युत यांत्रिकी की जानकारी निंरक है।

———*******———

कार्यालाय मेडिकोलीगल इन्स्टीट्यूट, गॉधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल
वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष–2017–2018

1. विभागीय संरचना :–

भारत सरकार द्वारा वर्ष–1964 के गठित सर्वेक्षण समिति की सिफारिश के अनुसार केन्द्रीय गृह मंत्रालय की यह अपेक्षा थी कि देश में प्रत्येक राज्य में मेडिकोलीगल संस्थान की स्थापना इस लिए की जाये कि पूरे देश में मेडिकोलीगलका कार्य बहुत ही निम्न स्तर का था। जिसे उपर उठाया जाये। अतः उस समय की सिफारिश के अनुसार वर्ष–1977 में मध्यप्रदेश शासन को भोपाल में देश का प्रथम मेडिकोलीगल संस्थान की स्थापना का श्रेय प्राप्त हुआ। इस संस्थान में कुल स्वीकृत पदों की संख्या–53 है।

2. विभाग के दायित्व :–

01. मध्यप्रदेश के विभिन्न स्थानों से प्राप्त मेडिकोलीगल प्रकरणों में विशिष्ट मत देना तथा सन्दर्भित किये गये शवों का शव परीक्षण करना व संदिग्ध घटना स्थल का निरीक्षण करना।
02. फोरेन्सिक मेडिसिन विषय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्ययन में सहायक होना ।
03. न्यायपालिका, कार्यपालिका, स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग के मध्य अत्यन्त निकट का सामनजस्य बनाते हुए मेडिकोलीगल प्रकरणों में उपयुक्त परामर्श देना ।
04. पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचाारियों, न्याय विभाग के न्यायाधीशों, लोक अभियोजन अधिकारियों एवं स्वास्थ्य विभाग के सहायक शल्य चिकित्सकों के अधिकारियों को मेडिकोलीगल विषय में समुचित प्रशिक्षण देना ।
05. इस संस्थान में सभी प्रकार की अनुसंधान की प्रयोगशालायें भी उपलब्ध हैं। जिसमें मुख्य रूप से फोरेन्सिक एनथ्रोपोलॉजी, एन्टोमोलॉजी, टॉक्सीकोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी तथा डॉयटम–टेस्ट आदि से संबंधित अनुसंधानात्मक प्रयोगशालायें हैं। इसके अतिरिक्त अपराध की पुर्नरचना एवं अनुसंधानात्मक विश्लेषण भी किया जाता है ।

3. विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी एवं प्रमुख विशेषताऐं :–

इस संस्थान में मेडिकोलीगल प्रकरणों में विशिष्ट–मत देना, शवों का शव–परीक्षण करना, अप्राकृतिक तथा संदिग्ध मृत्यु के कारणों का पता लगाना एवं इस विषय से संबंधित अन्य प्रमुख कार्य विशेष रूप से किये जाते हैं। इसके अलावा न्यायिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों एवं सहायक शल्य चिकित्सकों को मेडिकोलीगल विषय में समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है ।

4. महत्वपूर्ण सांख्यिकीय (01 जनवरी,2017 से 31 दिसम्बर, 2017 तक गत एक वर्ष तक की प्रमुख उपलब्धियॉ) :–

वर्ष–2017 में दिनांक 01–01–2017 से 31–12–2017 तक 2638 शव–परीक्षण किये गये, जबकि मेडिकोलीगल एक्सपर्ट ओपीनियन के कुल–90 प्रकरण प्राप्त हुए एवं इसी अवधि में मेडिकोलीगल प्रकरण जैसेः– इन्युरी, उम्र की जॉच, बलात्कार की जॉच एवं सेक्स आदि के कुल–318 प्रकरण प्राप्त हुए। हिस्टोपैथोलॉजी के कुल–1126 प्रकरण, डॉयटम टेस्ट के कुल–1225 प्रकरण, एन्टोमोलॉजी के कुल–10

प्रकरण, तथा विसरा जॉच विश्लेषण के कुल–277 प्रकरण जॉच एवं वैज्ञानिक विश्लेषण हेतु प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार उक्त अवधि में कुल–5684 प्रकरण संस्थान को प्राप्त हुए हैं।

5. <u>मेडिकोलीगल प्रशिक्षण संबंधित जानकारी :–</u>

01. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के न्यायिक अधिकारियों हेतु गत वर्षों में 10 मेडिकोलीगल प्रशिक्षण सत्र मेडिकोलीगल संस्थान में आयोजित किये गये थे, जिसमें लगभग 300 न्यायिक अधिकारियों ने मेडिकोलीगल प्रशिक्षण का लाभ उठाया । हाल ही में क्रमशः माह जुलाई, 2017 में 29 एवं माह अगस्त, 2017 में 30 न्यायिक अधिकारी 03 दिवसीय मेडिकोलीगल प्रशिक्षण सत्र में उपस्थित हुए ।
02. सम्भागीय मुख्यालयों पर जाकर चिकित्सा अधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों को तथा प्रशासन अकादमी द्वारा आयोजित राज्य सेवा के उप जिलाधीशों, उप पुलिस अधीक्षकों, लोक अभियोजकों, सहायक लोक अभियोजकों एवं चिकित्सा अधिकारियों को नियमित रूप से मेडिकोलीगल प्रशिक्षण दिया जाता है।
03. सम्भाग स्तर पर लोक स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों को भी मेडिकोलीगल विषय में प्रशिक्षण दिया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त इस विभाग के चिकित्सकों को विभिन्न समूह में संस्थान में आकर मेडिकोलीगल प्रशिक्षण के शिविर भी नियमित रूप से आयोजित किये गये हैं।

2. <u>विभागीय पदौन्नतियाँ, विभागीय जॉच, विभागीय नियुक्तियाँ, स्थानान्तरण एवं न्यायालयीन प्रकरणों के संबंध में जानकारी :–</u>

01. संस्थान अन्तर्गत रिक्त सीधी भरती से भरे जाने वाले मेडिकल ऑफीसर (मेडिकल) के 04 पदों पर मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने की कार्यवाही प्रचलन में हैं। तृतीय श्रेणी संवर्ग में स्टेनोग्राफर एवं सहायक ग्रेड–3 के पदों पर मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल के माध्यम से 03 पदों पर नियुक्तियाँ की गई हैं।
02. संस्थान में राजपत्रित एवं अराजपत्रित संवर्गों के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कोई भी विभागीय जॉच का प्रकरण लंबित/विचाराधीन नहीं है ।
03. मेडिकोलीगल संस्थान, भोपाल का संभाग/जिला/तहसील/विकास खण्ड स्तर पर कोई अधीनस्थ कार्यालय स्थित/कार्यरत नहीं है। अतः स्थानान्तरण से संबंधित संस्थान की जानकारी निरंक रहेगी।
04. न्यायालयीन प्रकरणों के संबंध में वर्तमान् स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में 05 प्रकरण विचाराधीन हैं। सभी प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की जाकर शासन सर्मथन में जवाबदावे प्रस्तुत किए जा चुके हैं। अद्यतन स्थिति में किसी भी प्रकरण के संबंध में कोई भी शासन विरूद्ध अभियुक्ति/स्थगन आदि पारित नहीं है एवं न ही किसी प्रकरण में अवमानना की कार्यवाही ही प्रचलित है।

<u>भाग–दो</u>

1. <u>बजट विहंगावलोकन/एक दृष्टि में :–</u>

वित्तीय बजट वर्ष–2016–2017 (01–04–2016 से 31–03–2017) में इस संस्थान के लिए कुल रूपये–57,31,000/– का बजट राशि प्राप्त हुई थी, जिसमें से रूपये–52,86,059/– का व्यय किया गया एवं रूपये–4,44,491/– की राशि शासन को समर्पित की गयी। वित्तीय बजट वर्ष–2017–2018 हेतु संस्थान के लिये कुल राशि रूपये–3,75,32,000/– आवंटित है ।

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एफ–11–19/2015/1/9, दिनांक 08–05–2015 के परिपेक्ष्य में जेन्डर बजट से संबंधित संस्थान की जानकारी निरंक रहेगी।

2. <u>बजट प्रावधान लक्ष्य व्यय/योजना वार</u> :–

संस्थान एक नॉन–प्लॉन/आयोजनत्तर विभाग है। इसके अतिरिक्त संस्थान अन्तर्गत कोई भी राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित योजना/कल्याणकारी योजना आदि स्वीकृत नहीं है ।

<u>सारांश :–</u>

संस्थान द्वारा शव परीक्षण करना व संदिग्ध मृत्यु के प्रकरणों में विशेषज्ञ मत देना एवं चिकित्सा अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों, पुलिस कर्मियों को समय–समय पर मेडिकोलीगल प्रशिक्षण दिया जाता है।

संस्थान का संभाग/जिला/तहसील/विकास खण्ड स्तर पर कोई अधीनस्थ कार्यालय कार्यरत नहीं है।

———*******———

कार्यालय अधीक्षक मध्यप्रदेश स्टेट गैरेज, भोपाल
वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष–2017–2018

विभागीय वार्षिक प्रतिवेदन
वर्ष 2017–18

मध्य प्रदेश शासन

विभाग का नाम	–	गृह विभाग
प्रभारी मंत्री का नाम	–	मान0श्री भूपेन्द्र सिंह गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन

सचिवालय

अपर मुख्य सचिव का नाम	–	श्री के.के. सिंह
सचिव	–	श्री केदार शर्मा
अपर सचिव	–	श्री शेखर वर्मा
अवर सचिव	–	श्री श्रीदास

विभागाध्यक्ष

भाग–एक

विभागीय संरचना –

सचिव	–	श्री केदार शर्मा
अधीनस्थ कार्यालय (प्रभारी अधीक्षक)	–	मध्य प्रदेश स्टेट गैरेज, भोपाल श्री संजीव श्रीवास्तव, अधीक्षक म.प्र.स्टेट गैरेज, भोपाल
विभागों के अंतर्गत आने वाले मंडल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरण	–	
विभाग के दायित्व	–	मंत्री मंडल सचिवालय, उच्च अधिकारियों वाहनों का आवंटन एवं मरम्मत कार्य,पेट्रोल/डीजल आदि का प्रदाय। केन्द्र एवं अन्य राज्य से आने वाले राजकीय अतिथियों को मय वाहन चालक सहित वाहन व्यवस्था करना। राजभवन के वाहनों में पेट्रोल प्रदाय। विधान सभा के वाहनों में पेट्रोल प्रदाय
सामान्य एवं प्रमुख विशेषताएं	–	मध्य प्रदेश स्टेट गैरेज से वाहन का आवंटन एवं मरम्मत पेट्रोल/डीजल का प्रदाय/राजकीय अतिथियों हायर चार्जेस पर वाहन उपलबध कराया जाना।
महत्वपूर्ण सांख्यिकी	–	निरंक

भाग–दो

बजट विहंगावलोकन(एक दृष्टि में)	–	रूपये–
	–	वेतन रूपये– 5,94,98000
	–	यात्रा व्यय–1,00,000
	–	कार्यालय व्यय रूपये–09,86,000
	–	अनुरक्षण व्यय रूपये– 60,60,000
	–	वाहन प्रतिस्थापन रूपये–1,800000
	–	पेट्रोल क्रय मद रूपये–1,40,00000
	–	लघु निर्माण कार्य रूपये– 2,00,000
	–	भारित (डिक्री धन)– 1,00,000
	–	परीक्षा एवं प्रशिक्षण– 51,000
	–	व्यावसायिक सेवाएं– 5,20,000
बजट प्रावधान, लक्ष्य व्यय(योजनाएं)	–	स्टेट गैरेज आधुनिकीकरण वर्ष– निल
	–	में प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है।
	–	101 राज्य आयोजना–
	–	7210–स्टेट गैरेज भवन निर्माण 64
		वृहद –निल–

भाग–तीन

निरंक

राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

(अ)	राज्य योजना	–	101 राज्य आयोजना
(ब)	केन्द्र प्रवर्तित योजना	–	निरंक
(स)	विश्व बैक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाएं	–	निरंक
(द)	विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं/ परियोजनाएं	–	निरंक
(ई)	अन्य योजनाएं	–	निरंक

भाग–चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

निरंक

भाग–पांच

अभिनव योजना

निरंक

भाग–छः

प्रकाशन

निरंक

भाग–सात

सारांश

केन्द्रीय स्तर की कोई भी योजनांए संचालित नहीं की जाती है।

विभागीय जांच

श्री जमाल कुरैशी वाहन चालक की विभागीय जांच कार्य प्रचलन में है।

न्यायालयीन प्रकरण

कुल –04 प्रकरण माननीय न्यायालयों में लंबित है। जिनमें से 04 प्रकरण सेवा मेटर से संबंधित मा0उच्च न्यायालय, जबलपुर में लंबित है।

पदोन्नति

–निरंक–

स्थानांतरण

कार्यालय मध्य प्रदेश स्टेट गैरेज, जहांगीराबाद, भोपाल एकल स्वरूप का कार्यालय है इसका मध्य प्रदेश में अन्य कोई कार्यालय नहीं है। अतः यहां से कर्मचारियों के स्थानांतरण नहीं किया जाता है।

नियुक्ति

कार्यभारित आकस्मिकता निधि में स्वीकृत पद 87 वाहन चालक को नियमित स्थापना में परिवर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रचलन है।

कार्यालय अधीक्षक मध्य प्रदेश स्टेट गैरेज, जहांगीराबाद, भोपाल

कर्मचारियों/अधिकारियों की सूची

क्र.	पद नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	रिमार्क
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	अधीक्षक	01	–	01	–
2.	स्टोर ऑफिसर	01	–	01	–
3.	लेखाधिकारी	01	–	01	–
4.	मुख्य लिपिक	01	–	01	–
5.	स्टोर कीपर	01	–	01	–
6.	सहा0वर्ग–2	02	–	02	–
7.	सहायक वर्ग–3	09	06	03	–
8.	फोरमेन	01	–	01	–
9.	हैडमिस्त्री	01	–	01	–
10.	फिटर	08	02	06	–
11.	सहायक मैकेनिक	03	01	02	–
12.	विद्युतकार	02	–	02	–
13.	टर्नर	01	–	01	–
14.	अपहोस्टर	01	–	01	–
15.	वेल्डर कम लौहार	01	–	01	–
16.	चौकीदार कान्टी0	03	02	01	–
17.	क्लीनर नियमित	19	13	06	–
18.	क्लीनर कान्टी0	05	05	–	–
19.	टाईम कीपर	01	01	–	–
20.	पेट्रोल इश्युअर	04	03	01	–
21.	भृत्यु	02	01	01	–
22.	स्वीपर	01	01	–	–
23.	डिस्पैच राईडर	02	01	01	–
24.	नियमित वा0चा0	64	34	30	–
25	कान्टी0वा0चा0	87	43	44	–
	कुल योग	**222**	**113**	**109**	**–**

———*******———

मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भोपाल
वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष–2017–2018

भाग–एक

➢ **संरचना :–**

भोपाल गैस त्रासदी के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन द्वारा आपदा प्रबंध संस्थान की स्थापना 19 नवम्बर,1987 को की गयी थी। वर्ष 1995 में इसे मध्य प्रदेश सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया। मध्यप्रदेश के मान्नीय मुख्य मंत्री, संस्थान की साधारण सभा के सभापति है । संस्थान के प्रबंधन एवं क्रियाकलापों के संचालन हेतु कार्यकारिणी परिषद गठित है। अतिरिक्त मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग, कार्यकारणी परिषद के अध्यक्ष एवं कार्यपालन संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान, सदस्य सचिव है।

➢ **अधीनस्थ कार्यालय का विवरण :–**

संस्थान का मुख्यालय पर्यावरण परिसर, ई–5 अरेरा कॉलोनी भोपाल में स्थित है। संस्थान का कोई भी अधीनस्थ कार्यालय नहीं है।

➢ **दायित्व :–**

संस्थान द्वारा निम्नलिखित दायित्वों का निर्वहन किया जाता है :–

- प्राकृतिक व औद्योगिक आपदाओं की रोकथाम, इनके प्रभावों के न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन;
- प्राकृतिक व औद्योगिक आपदाओं के प्रबंधन हेतु परामर्श सेवा उपलब्ध कराना ;
- प्राकृतिक व औद्योगिक आपदाओं की रोकथाम, निरोध एवं उनके प्रभावों के न्यूनीकरण के लिये जन सामान्य हेतु जन जागृति कार्यक्रमों को आयोजित करना ;
- प्राकृतिक एवं औद्योगिक आपदा प्रबंधन के विषयों पर सूचनाओं का संकलन, प्रलेखन एवं शोध कार्य सम्पादित करना।
- आपदा प्रबंधन योजना का प्रमाणीकरण ।

संस्थान का प्रमुख उद्देश्य प्राकृतिक एवं औद्योगिक आपदाओं की रोकथाम तथा इनसे जन सामान्य को होने वाली क्षति को न्यूनतम करने हेतु शासकीय, अर्ध शासकीय एवं निजी संस्थानों के अमले में आपदाओं के नियंत्रण एवं प्रबंधन की क्षमता विकसित करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना है। साथ ही संस्थान जन सामान्य हेतु प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों में जन–जागृति कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है। इसके अतिरिक्त देश एवं प्रदेश के उद्योगों, आपदाओं की रोकथाम एवं प्रबंधन में संलग्न शासन के विभिन्न विभागों, राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय संस्थानों को आपदा प्रबंधन विषय पर परामर्श सेवा एवं सलाहकारी सेवा प्रदान करता है।

संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक व औद्योगिक आपदाओं के प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं परामर्श सेवा प्रदान करने वाली एक उत्कृष्ठ संस्था के रूप में स्थापित हो चुका है। संस्थान की तकनीकी योग्यताओं का लाभ देश के प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठान एवं आपदा प्रबंधन में संलग्न संस्थान ले रहे है। संस्थान द्वारा संपादित किये जाने वाली प्रमुख गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

➢ **प्रशिक्षण कार्यक्रमः–**

- **प्रदेश के लिये :–** प्राकृतिक एवं औद्योगिक आपदाओं की रोकथाम तथा इसके प्रभावों को कम करने हेतु विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन संस्थान की प्रमुख गतिविधि है। इसके तहत संस्थान द्वारा आपदा प्रबंधन के समस्त प्रासंगिक विषयों पर नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस गतिविधि के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन के आपदा प्रबंधन से जुड़े विभिन्न विभागों, उद्योगों एवं स्वंय सेवी संगठनों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। संस्थान द्वारा वित्तिय वर्ष 2017–18 में राज्य शासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों हेतु कुल 70 प्रशिक्षण कार्यक्रम का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से अभी तक कुल 41 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है।

- **अन्य प्रदेशों के लिये** :–संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के प्रभाव को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी संस्थान से उनके अधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु आग्रह किया तथा 05 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।

➢ **परामर्श सेवा :–**

संस्थान द्वारा प्राकृतिक एवं औद्योगिक आपदाओं की रोकथाम एवं प्रबंधन हेतु विशिष्ट तकनीकी दक्षता हासिल की गयी है, इसके फलस्वरूप संस्थान देश के महत्वपूर्ण रासायनिक उद्योगों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों हेतु सलाहकारिता सेवा प्रदान कर रहा है। संस्थान की विशिष्ट सलाहकारिता सेवाएं प्रदेश एवं केन्द्र शासन के अतिरिक्त देश के विभिन्न महत्वपूर्ण निजी एवं सार्वजनिक उपक्रम आदि ले रहे हैं।

संस्थान द्वारा आपदाओं के प्रबंधन से संबंधित निम्न विषयों पर परामर्श सेवा देने की क्षमता विकसित की गयी है :–

- प्राकृतिक एवं औद्योगिक आपदाओं हेतु आपातकालीन कार्य योजना।
- अति खतरनाक औद्योगिक इकाईयों की ऑन–साइट एवं औद्योगिक क्षेत्रों की ऑफ–साइट योजना।
- प्राकृतिक एवं औद्योगिक आपदाओं के खतरों का आंकलन एवं विश्लेषण।
- जन–समुदाय आधारित जिला आपदा प्रबंधन योजना।
- उद्योगों का सेफ्टी ऑडिट।

संस्थान द्वारा सतत रूप से विभिन्न खतरनाक रासायनिक उद्योगो के सेफ्टी आडिट, खतरनाक औद्योगिक इकाइयों के लिए जोखिम आंकलन एवं आपदा प्रबंधन परियोजना का निर्माण किया जाता है। वर्ष 2017–18 में संस्थान द्वारा 14 सलाहकारिता कार्य किये गये हैं।

➢ **जनजागृति कार्यक्रम**

- समाज के विभिन्न वर्गों जैसे विद्यार्थी, औद्योगिक क्षेत्रों में रहने वाले जन सामान्य, ग्रामीण समुदाय, स्वयंसेवी संगठनों आदि हेतु प्रदेश के विभिन्न आपदा संभावित क्षेत्रों में जनजागृति कार्यक्रमों का आयोजन संस्थान द्वारा सतत रूप से किया जा रहा है। जिसमें अभी तक संस्थान द्वारा कुल 22 जनजागृति कार्यक्रमों का आयोजन विभिन्नों जिलों में किया जा चुका है ।
- संस्थान द्वारा होमगार्डस के माध्यम से जिला स्तर एवं विकासखंड स्तर पर जनजागृति कार्यक्रमों आपदा प्रबंध के विषय पर आयोजित किये जा रहे है।

सूचना एवं प्रलेखन :–

संस्थान द्वारा विभिन्न आपदाओं की रोकथाम व सुचारू प्रबंधन से संबंधित पहलुओं पर उपलब्ध सूचनाओं का संकलन एवं प्रचार प्रसार किया जाता है। आपदा प्रबंधन पर जन चेतना हेतु समुचित उपयोगी सामग्री का विकास एवं विभिन्न गतिविधियों व माध्यमों से उक्त सामग्री का लोकहित हेतु वितरण एवं प्रसारण किया जाता है।

संस्थान ने अपनी वेबसाइट को अद्यतन कर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन से संबंधित विषयों पर उपलब्ध नवीन सूचनाओं, प्रलेखों, दिशानिर्देशों, संपर्क सूत्रों की सुगमता सुनिश्चित की है। संस्थान द्वारा आपदा प्रबंधन विषय पर उत्कृष्ठ पुस्तकालय की स्थापना की गयी है, जिसमें वर्तमान में आपदा प्रबंधन विषय से सम्बन्धित लगभग 5220 पुस्तकें, 260 महत्वूपर्ण जर्नल्स, 872 सीडी एवं 1138 मानचित्र, टोपोशीट आदि उपलब्ध हैं।

➢ **महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ :–**

- पेट्रोलियम एण्ड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (पीएनजीआरबी) के अर्न्तगत आपातकालीन प्रतिक्रिया एवं आपदा प्रबंधन योजना (ईआरडीएमपी) का सर्टिफिकेशनः–

संस्थान को पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस नियामक बोर्ड, भारत सरकार द्वारा पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस इकाइयों द्वारा निर्मित की जाने वाली आपदा प्रबन्धन योजनाओं के प्रमाणीकरण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एक सक्षम संस्थान के रूप में मान्यता सत्र 2011 में दी गई ।

संस्थान द्वारा पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस नियामक बोर्ड, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार देश की ऑयल एवं गैस रिफायनरी, यूनिट्स, का सर्टीफिकेशन सुरक्षा उपायों की समीक्षा के उपरांत किया जाता है। इस क्रम में वर्ष 2011 से संस्थान द्वारा देश की 132 इकाइयों के सर्टीफिकेशन का कार्य लिया गया है। वर्ष 2017–18 में 12 पेट्रोलियम एवं गैस इकाइयों के सर्टीफिकेशन का कार्य लिया गया है।

- **राष्ट्रीय कान्फ्रेस 2017:–**

  आपदा प्रबंध संस्थान द्वारा दिनांक 13–14 अक्टूबर 2017 को International Day for Disaster Reduction के उपलक्ष्य में एक National Conference 2017 का आयोजन UNDP, UNIEF, GITL, के सहयोग से किया गया, जिसमें तेल एवं गैस कंपनियों के वरिष्ठ स्तर के 150 से अधिक अधिकारी सम्मिलित हुये ।

भाग – दो

➢ **बजट प्रावधानः–**

वित्तीय वर्ष 2016–2017 में संस्थान को राशि रूपये 485.00 लाख का बजट आवंटन राज्य योजना अन्तर्गत प्राप्त हुआ था। वर्ष 2017–2018 में राज्य योजना अन्तर्गत राशि रूपये 550.00 लाख का बजट प्रावधान निम्नानुसार मदों में स्वीकृत किया गया है जिसके विरूद्व राशि रूपये 222.75 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है। वर्ष के मदवार बजट प्रावधान निम्नानुसार हैः–

विवरण	राशि लाख में
प्रशिक्षण कार्यक्रम	80.00
जनजाग्रति कार्यक्रम	50.00
स्थापना व्यय	400.00
पुस्तकालय	20.00
कुल योजना प्रावधान	**550.00**

भाग–तीन

➢ **केन्द्र प्रवर्तित योजना**

संस्थान स्थापना काल से ही अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सतत् रूप से प्रयासरत है एवं प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर पर अपनी गतिविधियाँ संचालित कर रहा है। संस्थान के विशिष्ट ज्ञान एवं क्षमता को देखते हुये केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा निम्नांकित परियोजनाओं के संचालन हेतु संस्थान का चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है :–

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय	एनविस केन्द्र की स्थापना

भाग–चार

➢ **अभिनव योजनाः–**

- पीएनजीआरबी, भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंध संस्थान को तेल एवं प्राकृतिक गैस इकाईयों की आपात योजनाओं के प्रमाणीकरण हेतु सक्षम संस्थान के रूप में मान्यता प्रदान की गई है । जिसके अंतर्गत संस्थान द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस इकाईयों की आपात योजनाओं का प्रमाणीकरण किया जाता है ।
- प्रमाणीकरण का अधिकार लेने के लिए (PNGRB) के निर्देश पर National Accreditation Board For Certifying Bodies (NABCB) ने क्षमता विकास के साथ–साथ संस्थान को ISO: 17020:2012 प्रमाणित भी किया। यह प्रमाण पत्र इस तथ्य का घोतक है कि संस्थान आयल एण्ड गैस सेक्टर की इकाईयों के आपदा प्रबंधन के विभिन्न आयामों का परीक्षण कर उन्हें प्रमाणित कर सकता है।

- संस्थान द्वारा यूएनडीपी इंडिया के सहयोग से हिमाचल प्रदेश के 08 औद्योगिक क्षेत्रों में ऑफ साईट आपदा प्रबंधन योजना सोलन जिले में 04, ऊना में 02 एवं सिरमोर में 02 तैयारी की जा रही है।
- आपदा प्रबंधन संस्थान ने मध्यप्रदेश राज्य योजना आयोग के सहयोग से 'आपदा प्रबंधन' पर स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम शैक्षणिक वर्ष 2016–17 से आरंभ किया गया। प्रथम बैच में 33 विद्यार्थियों द्वारा डिप्लोमा लिया गया था। शैक्षणिक सत्र 2017–18 तके 23 विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश लिया गया।

भाग–पांच

➢ **प्रकाशन –**

संस्थान द्वारा कॉमिक फायर मॉकड्रिल बुक का प्रकाशन माननीय, श्री भूपेन्द्र सिंह, गृह मंत्री, मध्यप्रदेश शासन किया गया है। जिसका उपयोग स्कूल सेफ्टी कार्यक्रम के किया जा रहा है।

माननीय गृह मंत्री जी, श्री भूपेन्द्र सिंह, मध्यप्रदेश शासन
श्री के.के. सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग,
श्री संजीव सिंह, कार्यपालन संचालक द्वारा फायर मॉकड्रिल (सचित्र कथा) का प्रकाशन

भाग– छः

➢ **राज्य महिला नीति**

राज्य की महिला नीति के अन्तर्गत किये गये प्रावधानों के पालन पर संस्थान द्वारा विशेष ध्यान दिया गया। संस्थान में कार्यरत महिला कर्मियों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु संस्थान में मूलभूत भौतिक सुविधाओं को बेहतर किया गया है। संस्थान की मुख्य गतिविधि प्रशिक्षण कार्यक्रमो एवं जन–जागृति कार्यक्रमो में महिला वर्ग की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु विशेष जोर दिया गया है।

भाग – सात

➢ सारांश

संस्थान स्थापना काल से ही अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सतत रूप से प्रयासरत है। प्राकृतिक एवं औद्योगिक आपदा प्रबंधन के विशिष्ट क्षेत्रों में ज्ञान अर्जित करते हुए संस्थान द्वारा प्रतिष्ठित संस्थानों को प्रशिक्षण एवं सलाहकारिता सेवा प्रदान की गयी। संस्थान अपनी विशिष्ट जानकारी एवं कार्यों की वजह से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान बना चुका है तथा राज्य में आपदा न्यूनीकरण की दिशा में उत्तरोत्तर कार्य कर रहा है तथा मध्य प्रदेश शासन के आपदा प्रबंधन में आवश्यक कार्यों में क्षमतावृद्वि हेतु कृत संकल्पित एवं अग्रसर है।

———*******———

मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भोपाल
वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष–2017–2018

1- <u>विभागीय संरचना</u>:-

मध्यप्रदेश में आपदाओ के प्रभावी प्रबंधन और उससे संबन्धित या उसके आनुषंगित विषयों का उपबंध करने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन दिनांक 05 सितंबर 2007 को क्र-432 एफ. 35-115-2006- सी-एक,आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 -(2005 का 53) के अनुसरण में हुआ । इस अधिनियम तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मार्गदर्शीकाओं के अनुसरण में, वर्ष 2011 में मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन पालिसी का निर्माण किया गया ।

प्राधिकरण के कार्यों की निगरानी तथा मार्गदर्शन हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक स्टेयरिंग समिति का गठन किया गया है जिसमे माननीय मंत्री, गृह विभाग उपाध्यक्ष हैं तथा माननीय मंत्रीगण वित्त विभाग, राजस्व विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, लोक निर्माण विभाग, मुख्य सचिव तथा प्राधिकरण के उपसभापति समिति के सदस्य हैं। अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (गृह) इस समिति के समन्वयक एवं सचिव हैं।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सभापति माननीय गृह मंत्री, मध्यप्रदेश शासन हैं। प्राधिकरण के उपसभापति राज्य शासन द्वारा नामित सेवानिवृत पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश शासन हैं। प्राधिकरण के माननीय सदस्यगण अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (गृह विभाग), प्रमुख सचिव (राजस्व विभाग), प्रमुख सचिव (वित्त विभाग), प्रमुख सचिव (नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग), प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य विभाग), प्रमुख सचिव (ग्रामीण विकास विभाग) एवं पुलिस महानिदेशक हैं तथा सचिव गृह मध्यप्रदेश शासन प्राधिकरण के सचिव सह समन्वयक हैं।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति के सभापति मुख्य सचिव महोदय हैं तथा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (गृह विभाग), प्रमुख सचिव (राजस्व विभाग), प्रमुख सचिव (वित्त विभाग), तथा प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) इसके सदस्य हैं। इस समिति में विशेष आमंत्रित सदस्यप्रमुख सचिव (ग्रामीण विकास विभाग) प्रमुख सचिव (लोक निर्माण विभाग) प्रमुख सचिव (नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग), पुलिस महानिदेशक, महानिदेशक होम गार्ड एवं नागरिक सुरक्षा, राज्य समन्वयक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, अतिरिक्त महानिदेशक, एस.डी.ई.आर.एफ, संचालक आपदा प्रबंध संस्थान हैं तथा सचिव (गृह) समिति के सचिव/ समन्वयक हैं।

इस प्राधिकरण की स्थापना के समय से कुल स्वीकृत पदों की संख्या-54 है।

मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लिए स्वीकृत पदों का विवरण :-

अनु. क्र	पद का नाम	पद की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या			परामर्शी की संविदा नियुक्ति द्वारा	अभ्युक्तियां/ कार्यरत लोगों की संख्या
			सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा		
1	**समन्वयक/संचालक (पदेन सचिव गृह)**	01	निरंक	निरंक	100%	निरंक	अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों में से सरकार द्वारा नियुक्त किया गया अधिकारी 01
2	**उप संचालक**	06	निरंक	निरंक	60%	40%	02
3	**प्रशिक्षण विशेषज्ञ**	02	तदैव	तदैव	50%	50%	–
4	**सहायक संचालक**	13	तदैव	तदैव	60%	40%	01
5	**सहायक लेखा अधिकारी**	01	तदैव	तदैव	100%	निरंक	–
6	**स्टेनोग्राफर**	01	तदैव	तदैव	100%	निरंक	–
7	**लेखापाल**	01	तदैव	तदैव	100%	निरंक	01
8	**कार्यालय सहायक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर**	14	तदैव	तदैव	60%	40%	01
9	**वाहन चालक**	02	तदैव	तदैव	50%	50%	–
10	**भृत्य**	13	तदैव	तदैव	60%	40%	05
		कुल 54	–	–	-	–	–

रिक्त पदों पर भर्ती हेतु प्राधिकरण के भर्ती नियम में संशोधन की कार्यवाही अंतिम चरणों में हैं। उपरोक्त स्वीकृत पदों के अतिरिक्त परियोजना आधारित संविदा पद पर 02 राज्य स्तरीय तथा 18 जिला स्तरीय सलाहकार भी कार्यरत हैं।

2- विभाग के दायित्व:-

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में आपदा प्रबंधन के लिये नीतियां तथा प्रदेश की आपदा प्रबंधन कार्य योजना बनाना तथा उसका अनुमोदन पश्चात पालन कराना प्राधिकरण का प्रमुख उदेश्य है।

आपदा प्रबंधन हेतु सिफारिशे, आपदाओं की रोकथाम, पूर्व तैयारी, शमन के उपाय तथा आपदाओं के दौरान तत्पर राहत, बचाव एवं प्रतिवादन से संबंधित कार्यों के समन्वयन,नियंत्रण एवं निर्देशन से संबंधित कार्यवाहियों को संपन्न करने हेतु प्राधिकरण प्रतिबद्ध है।प्राधिकरण राज्य सरकार के विभागों द्वारा अपनी

विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदाओं के निवारण तथा शमन के उपायों के एकीकरण, विभागीय आपदा प्रबंधन कार्य योजना, सभी विभागों के मानक संचालन प्रक्रिया का निर्माण, आवश्यक तकनीकी सहायता, तैयार की गई आपदा प्रबंधन योजनाओं का अनुमोदन, आवश्यक पुनर्विलोकन तथा कार्यान्वयन को संपादित करेगा।

इसी क्रम में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 25 (1) के अनुसरण में, राज्य शासन द्वारा प्रत्येक जिले के लिये जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में किया गया। जिला प्राधिकरण द्वारा जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना की स्वीकृति उपरांत अनुमोदन राज्य प्राधिकरण द्वारा कराया जावेगा।

3- <u>नवीन उपलब्धियां-</u>

<u>राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए)भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सुदृढीकरण हेतु सहयोग</u>:-

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), भारत सरकार के सहयोग से मध्यप्रदेश स्थित विद्यमान खतरों के प्रबंधन हेतु राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन कार्ययोजना के उन्नयनीकरण हेतु राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय विशेषज्ञों की सहायता लेने हेतु राषि रू. 1.58 करोड़ प्रदान किये हैं। इसके क्रियान्वयन हेतु राज्य प्राधिकरण नें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के साथ (MOU)हस्स्ताक्षरित किया है। इस योजना के तहत मध्यप्रदेश स्थित विभिन्न खतरों का मूल्यांकन किया जाकर राज्य स्थित विभागीय आपदा प्रबंधन कार्य योजना तथा जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना का निर्माण तथा उन्नयीकरण किया जा रहा है।

<u>विभागीय आपदा प्रबंधन कार्य योजनाका विकास</u>

विभागीय आपदा प्रबंधन कार्य योजना के अन्तर्गत सर्वप्रथम चिन्हित 05 विभागों मुख्यतः जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के विभागीय आपदा प्रबंधन कार्य योजना अपने अंतिम चरण में है तथा योजना अनुसार मार्च 2018 तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं पशुपालन विभाग की विभागीय आपदा प्रबंधन कार्य योजना राज्य सलाहकारों के माध्यम से विभागों में जमा की जावेगी।

<u>जिला आपदा प्रबंधन कार्ययोजना का उन्नयन</u>

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रदेश के 13 जिलों भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, विदिशा, सीहोर, रायसेन, रतलाम, शहडोल, रीवा, सिंगरौली, छिंदवाड़ा एवं देवास के जिला आपदा प्रबंधन कार्ययोजना का उन्नयन प्राधिकरण द्वारा जिला आपदा प्रबंधन सलाहकारों के माध्यम से किया गया है। योजना के अंतर्गत आपदा जोखिम

न्यूनीकरण,पूर्व तैयारी तथा तत्पर प्रतिक्रिया एवं प्रतिवादन शामिल हैं । इनके अलावा प्रदेश के शेष जिलों के आपदा प्रबंधन कार्ययोजना का उन्नयन कार्य प्रगति पर है तथा योजना अनुसार मार्च 2018 तक इन्हे सम्पन्न किया जावेगा।

आपदा प्रबंधन अभ्यास का आयोजन

इसके अन्तर्गत योजना अनुसार विभिन्न जिले में चिन्हित प्राकृतिक एवं मानव जनित खतरों से निपटने की तैयारी को सुदृढ़ करने के प्रयास किए जा रहे है। इस अभ्यास के आयोजन हेतु जिले के सभी विभागों एवं उपलब्ध संसाधनों का उपयोग हो रहा है। इस अभ्यास हेतु जिला एवं पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन सेवाऐं, उद्योग विभाग,होम गार्ड एवं एस. डी. ई. आर. एफ, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियांत्रिकी विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, जल संसाधन विभाग, पशुपालन विभाग, पंचायत विभाग, खनन विभागएवं अन्य सभी संबन्धित सरकारी विभागों तथा गैर सरकारी संस्थाओं को सम्मिलित कर किया जा रहा है। मार्च 2018 तक चिन्निहित कुल 12 जिलों में नदी के आस-पास संभावित बाढ, मुख्य सड़क मार्गो पर ज्वलनशील रसायनों का परिवहन करते हुये दुर्घटना, भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में संभावित भगदड़, शहरी तथा औद्यौगिक परिक्षेत्र में अग्नि/रसायनिक दुर्घटनाएं, भूकंप के दौरान बड़े भवनों में अग्नि दुर्घटनाओं एवं भवनों को खाली करानातथा व्यस्त बाजारों में अग्नि दुर्घटना,बड़े बांधों से संबंधित उत्पन्न बाढ़ के खतरों, औद्योगिक परिक्षेत्र में कोयले की खदानों में दुर्घटना आदि विषयों पर अभ्यास किए जा रहें हैं। इसके आयोजन पर योजना अनुसार मार्च 2018 तक राशि रूपये 12.00 लाख का व्यय किया जा रहा है।

आपदा मित्र योजना

जब कभी भी आपदा कि स्थिति निर्मित होती है, सर्वप्रथम सामुदायिक स्वयंसेवकों द्वारा ही राहत एवं बचाव कार्यसम्पन्न किए जाते हैं। जन- धन के व्यापक नुकसान को कम करने में इनके कार्य काफी असरदार होते हैं। इस कड़ी में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से आपदा मित्र योजना अंतर्गत देश के 25 राज्यों में से चुने हुये 30 बाढ़ संभावित जिलों से **200** प्रशिक्षित सामुदायिक स्वंसेवकों के हिसाब से कुल **6000** स्वंसेवक तैयार करना है।इस योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश से होशंगाबाद जिले का चयन प्रायः यहाँ हर वर्ष बाढ़ की निर्मित स्थिति को देखते हुए की गई है। इस योजना के अंतर्गत स्वयंसेवकों के सामान्य कौशल को, प्रशिक्षण तथा आवश्यक जीवन रक्षक उपकरणों से लैस कर इनकी उपयोगिता तथा कार्यकुशलता को बढ़ाया जा रहा है। स्वंसेवकों को आपदा प्रतिक्रिया, समन्वयन एवं जान बचाने हेतु कौशल विकास, व्यक्तिगत रक्षात्मक उपकरण एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया किट का प्रदाय किया जा रहा है। योजना अनुसार सामुदाय आधारित आपातकालीन भंडार जिसमें रोशनी के साधन जैसे टार्च, खोज एवं बचाव के उपकरण तथा प्राथमिक उपचार किट इत्यादि का भंडारण किया जा रहा है ।

इस योजना के कार्यान्यवयन पर मार्च **2018** तक राशि रूपये **45.40** लाख का व्यय किया जा रहा है।

बाढ़ आपदा प्रबंधनहेतु ज़िला स्तरीय पूर्व तैयारी

मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2017 में प्रदेश के सभी जिलों में बाढ़ से संबन्धित पूर्व तैयारी को सुनिश्चित करने हेतु एक बाढ़ पूर्व तैयारी मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी) तथा ज़िले के महत्वपूर्ण 16 विभागों द्वारा बाढ़ से पूर्व की जाने वाली तैयारियों से संबन्धित चेकलिस्ट तैयार किया गया । इस चेकलिस्ट को सभी जिलों को इस आशय से भेजा गया ताकि ज़िले में बाढ़ पूर्व तैयारी सुनिश्चित की जा सके। इस चेकलिस्ट में बाढ़ आपदा प्रबंधन से जुड़े ज़िले के महत्वपूर्ण विभागों द्वारा अपेक्षित पूर्व तैयारी के कार्य का वर्णन किया गया था । प्रत्येक विभाग को चेकलिस्ट अनुसार कार्यवाही को पूर्ण कर इसकी सूचना प्राधिकरण के वेब पोर्टल www.mpsdma.mp.gov.in पर अपलोड करने की व्यवस्था भी की गई थी, ताकि राज्य स्तर पर पूर्व तैयारी की निगरानी सुनिश्चित की जा सके।

4- नवाचार-

ग्रीष्मकालीन ऋतु में गर्म हवाओ तथा लू के प्रकोप से उत्पन्न संभावित खतरों के प्रबंधन तथा जन मानस को इससे बचाव हेतु व्यापक स्तर पर जन जागृति हेतु पूरे प्रदेश में जिला कलेक्टरों को दिशानिर्देश जारी किए गए।

मानसून वर्ष 2017 के दौरान बाढ़ की अप्रिय स्थितियों स्थितियों का सामना करने हेतु पूर्व तैयारी पर विशेष बल दिया गया था। इसके अंतर्गत बाढ़ प्रभावित जिलों से प्रभावी संवाद कायम किए गए। इन जिलों के साथ साथ अन्य बाढ़ प्रभावी जिलों से समन्यवन स्थापित कर बाढ़ पूर्व तैयारी किए जाने का प्रयास किया गया।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर वर्ष 2017 में मानसून के दौरान अतिवृष्टि वाले संभावी जिलों की बाढ़ पूर्व तैयारी हेतु चेतावनी प्रसारण का कार्य प्राधिकरण द्वारा पत्र, ई मेल,एवम एस, एम, एस, अलर्ट द्वारा किया गया।

5- विभागीय नियुक्तियाँ, पदोन्नति, जांच, स्थानांतरण एवं न्यायालयीन प्रकरण के संबंध में जानकारी-

I. प्राधिकरण में प्रारम्भिक प्रतिनियुक्ति उपरांत अन्य रिक्त पदों के विरुद्ध भी प्रतिनियुक्ति तथा संविदा नियुक्ति का कार्य नियमानुसार प्रगति पर है। प्राधिकरण के सभी पद स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा परामर्शी की संविदा नियुक्ति द्वारा भरे जाने हैं अतः विभागीय पदोन्नति से संबन्धित प्राधिकरण की जानकारी निरंक रहेगी।

II. प्राधिकरण में किसी भी संवर्ग के किसी भी अधिकारी / कर्मचारी के विरूद्ध कोई भी विभागीय जांच का प्रकरण लंबित/ विचाराधीन नहीं है।

III. प्राधिकरण का संभाग / जिला / तहसील / विकास खण्ड स्तर पर कोई अधीनस्थ कार्यालय स्थित / कार्यरत नहीं है। अतः स्थानांतरण से संबन्धित प्राधिकरण की जानकारी निरंक रहेगी।

IV. न्यायालयीन प्रकरणो के संबंध में वर्तमान स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय,जबलपुर में 01 प्रकरण लंबित है। प्रकरण में प्रभारी अधिकारी नियुक्त की जाकर प्रकरणो में नियमानुसार जवाबदावा प्रस्तुत किया जा रहा हैं। किसी भी प्रकरण में शासन के विरुद्धकोई भी अभियुक्ति / निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया है।

6- <u>बजट विहंगवलोकन</u>-

वित्तीय बजट वर्ष 2017-2018 में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण **(0201)**–सचिव मध्यप्रदेश शासन, गृह विभागके लिए रुपए **6,53,25,000/-** बजट राशि निम्नानुसार 04 योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त हुई है।

क्रमांक	योजना	आंकड़े हज़ार रुपयों में
1	**राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सचिवालय.(7329)**	**30524/-**
2	**आपदा सूचना एवं संचार तकनीक विकास(7330)**	**16500/-**
3	**आपदा प्रबंधन क्षमता विकास(7331)**	**16951/-**
4	**आपदा प्रबंधन निर्माण कार्य(7332)**	**1400/-**

बजट आंकड़े रुपयों में - 6,53,75,000/-

7- <u>भावी कार्ययोजनाए:</u>-

- मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन कार्ययोजना का उन्ननयन किया जाना है।
- आपदा प्रबंधन हेतु प्रदेश के अन्य मुख्य विभागों का विभागीय आपदा प्रबंधन कार्ययोजना का निर्माण किया जावेगा।
- पूरे प्रदेश में आपदा सूचना एवं संचार तकनीक विकास क्षमता बढ़ाने के अंतर्गत भावी कार्ययोजनाए निम्नांकित हैं।

- जन सामान्य को वेब पोर्टल से जानकारी डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से दिये जाने हेतु आवश्यक संसाधन विकास किया जाना है। ।
- जन सामान्य के उपयोग हेतु आपदा प्रबंधन मोबाइल एप का निर्माण किया जाना है। जन सामान्य के उपयोग हेतु इंटरैक्टिव वेब पोर्टल का निर्माण किया जा रहा है।
- प्रदेश में विद्यमान खतरों के मेपिंग तथा उचित प्रबंधन हेतु लार्ज स्केल डिजिटल डाटा base का निर्माण किया जाना है।
- प्रदेश में विद्यमान बाढ़ पूर्वानुमान तकनीक को विकसित करने एवं वर्षामापी यंत्र तथा संबन्धित अन्य उपकरणों का सुदृढीकरण किया जाना है।

- **पूरे प्रदेश में आपदा प्रबंधन क्षमता विकास के अंतर्गत भावी कार्ययोजनाए निम्नांकित हैं।**

  - राज्य स्तर पर शासकीय अधिकारियों हेतु सेमिनार एवं कार्यशाला का आयोजन किया जाना है।
  - व्यापक आपदा प्रबंधन जन जागरूकता हेतु ग्रामीण स्तर तक कार्यक्रम किए जाने है।
  - राज्य एवं अंतर्राजीय स्तर पर आपदा प्रबंधन मेला का आयोजन किया जाना है।
  - मध्य प्रदेश में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणको अंतराष्ट्रोय आपदा प्रबंधन संस्थानों के रूप में विकसित करने हेतु प्रधिकरण में नियुक्त अधिकारीगण हेतु देश विदेश में आपदा प्रबंधन पर उपलब्ध संसाधनों से अवगत करने तथा आवश्यक क्षमता विकास हेतु अध्ययन भ्रमण किया जाना है।

- **वृहद निर्माण कार्य के अंतर्गत प्राधिकरण हेतु राज्य स्तरीय सर्वसुविधायुक्त नवीन कार्यालय भवन निर्माण की योजना है।**

———*******———